सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग
DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE

पेंशन संबंधी निदेशों का सार-संग्रह

अक्टूबर, 2024

Compendium of Pension Related Instructions

October, 2024

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पेंशन संबंधी निदेशों का सार – संग्रह, अक्टूबर, 2024

Compendium of Pension related Instructions, October, 2024

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग
DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा अक्टूबर, 2024 में जारी किए गए परिपत्रों का सार- संग्रह
Compendium of circulars issued by Department of Pension and Pensioners' Welfare during October, 2024

क्र. सं. S.No.	परिपत्र सं. Circular No.	विषय Subject	दिनांक Date	पृष्ठ सं. Page No.
1	1/5/2024-पी&पी डबल्यू(एफ़)-9809	केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939/2023 के अधीन सतत परिचर भत्ते (सीएए) में वृद्धि के संबंध में	03.10.2024	1-3
	1/5/2024-P&PW(F)-9809	Enhancement of Constant Attendant Allowance (CAA) under CCS Extraordinary Pension) Rules, 1939 / 2023 – reg.	03.10.2024	4-6
2	57/03/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/ 8361(1)	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के संबंध में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सरकारी कर्मचारी द्वारा अंशदान - संबंधी।	07.10.2024	7-8
	57/03/2022-P&PW(B) /8361(1)	Contribution by the Government employee to the National Pension System in respect to Central Government employees covered under NPS.	07.10.2024	9-10
3	57/03/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/ 8361(2)	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के संबंध में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सरकार द्वारा अंशदान - संबंधी।	07.10.2024	11-12
	57/03/2022-P&PW(B) /8361(2)	Contribution by the Government employee to the National Pension System in respect to Central Government employees covered under NPS-reg.	07.10.2024	13-14
4	57/03/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/ 8361(3)	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के संबंध में सरकारी सेवा से त्यागपत्र देने पर हकदारी - संबंधी।	07.10.2024	15-16
	57/03/2022-P&PW(B) /8361(3)	Entitlement on resignation from Government Service in respect of Central Government servant covered under the National Pension System -reg.	07.10.2024	17-18
5	57/03/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/ 8361 (4)	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्रीय सरकार के कर्मचारी के किसी निगम, कंपनी या निकाय में अथवा उसके अधीन आमेलन होने पर हकदारी -संबंधी।	07.10.2024	19-20
	57/03/2022-P&PW(B) /8361(4)	Entitlement on absorption in or under a corporation, company or body in respect of Central Government servant covered under the National Pension System -reg.	07.10.2024	21-22

6	1/1(33)/2024-पी&पीडबल्यू(ई)	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन, सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की दो पत्नियों के बीच कुटुंब पेंशन का निपटारा -संबंधी।	10.10.2024	23-24
	1/1(33)/2024-P&PW(E)	Settlement of Family Pension between two wives of a Government Servant or Pensioner under CCS (Pension) Rules, 2021-reg.	10.10.2024	25-26
7	11/15/2022-पी&पीडबल्यू(एच)-8363	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन केंद्र सरकार के कर्मचारी की अधिवर्षिता होने पर पेंशन मामले पर कार्रवाई।	11.10.2024	27-29
	11/15/2022-P&PW(H)-8363	Processing of Pension case on superannuation under CCS (Pension) Rules, 2021 in respect of Central Government Servant-reg..	11.10.2024	30-33
8	11(15)/2022-पी&पीडबल्यू(एच)	वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना	11.10.2024	34-37
	11(15)/2022-P&PW(H)	Submission of Annual Life Certificate	11.10.2024	38-41
9	57/03/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8361 (5)	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्रीय सरकार के कर्मचारी के संबंध में सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृति पर हकदारी -संबंधी।	11.10.2024	42-43
	57/03/2022-P&PW(B) /8361(5)	Entitlement on voluntary retirement from Government service in respect of Central Government servant covered under the National Pension System -reg.	11.10.2024	44-45
10	57/03/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8361(6)	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्रीय सरकार के कर्मचारी के संबंध में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत संचित पेंशन कॉर्पस पर, अनिवार्ये सेवानिवृति या पदच्युति या सरकारी सेवा से हटाए जाने का प्रभाव -संबंधी।	11.10.2024	46-47
	57/03/2022-P&PW(B) /8361(6)	Effect of compulsory retirement or dismissal or removal from Government service on the accumulated pension corpus under NPS in respect of Central Government servant covered under the National Pension System -reg.	11.10.2024	48
11	11/15/2022-पी&पीडबल्यू(एच)-8363	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन मामले पर कार्रवाई होने के पश्चात, किसी ऐसी घटना के बारे में, जिसका पेंशन या किन्हीं सरकारी शोध्यों से संबंध है, लेखा अधिकारी को प्रज्ञापना देने के संबंध में।	11.10.2024	49
	11/15/2022-P&PW(H)-8363	Intimation to Accounts Officer regarding any event having bearing on pension or any Government dues after processing of	11.10.2024	50

		pension case under the CCS (Pension) Rules, 2021-reg.		
12	28/04/2024-पी&पीडबल्यू(आई)/क्यूएस/10145	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन बहाली पर विगत सेवा की गणना।	11.10.2024	51
	28/04/2024-P&PW(I)/QS/10145	Counting of past service on reinstatement under the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021-reg.	11.10.2024	52
13	28/04/2024-पी&पीडबल्यू(आई)/क्यूएस/10145	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पुनर्नियोजित सरकारी सेवकों की दशा में सेवानिवृत्ति पूर्व सिविल सेवा की गणना।	11.10.2024	53
	28/04/2024-P&PW(I)/QS/10145	Counting of pre-retirement civil service in the case of re-employed Government servants under the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021.	11.10.2024	54
14	28/04/2024-पी&पीडबल्यू(आई)/क्यूएस/10145	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन सिविल नियोजन से पूर्व की गई सैन्य सेवा की गणना।	11.10.2024	55
	28/04/2024-P&PW(I)/QS/10145	Counting of military service rendered before civil employment under the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021.	11.10.2024	56
15	57/02/2021-पी&पीडबल्यू(बी)/7138	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निरीक्षण तंत्र(एनपीएस ओएसएम) ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन की स्थिति पर छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में।	14.10.2024	57
	57/02/2021-P&PW(B)/7138	Submission of six-monthly report on status of implementation of NPS through the NPS oversight mechanism online portal - reg.	14.10.2024	58
16	57/06/2021-पी&पीडबल्यू (बी)	केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली 2021 की अधिसूचना से पूर्व राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी की मृत्यु अथवा निःशक्तता या अशक्तता होने के कारण सेवा से कार्यमुक्त किए जाने की दशा में, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के अधीन हितलाभ प्राप्त करने पर कर्मचारी के हिस्से तथा उस पर रिटर्न की वापसी- संबंधी।	14.10.2024	59-63
	57/06/2021-P&PW(B)	Refund of employees share with returns thereon on availing benefits under CCS (Pension) Rules, 1972 or CCS(EoP) Rules, in the event of death of a Central Government employee covered under National Pension System or his discharge on the ground of disablement or	14.10.2024	64-68

		invalidation prior to notification of the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021-reg.		
17	11(15)/2022-पी&पीडबल्यू(एच)-8363	विदेश में रहने वाले पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों की बाबत वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना।	15.10.2024	69-70
	11(15)/2022-P&PW(H)-8363	Submission of Annual Life Certificate in respect of Pensioners/family pensioners living abroad.	15.10.2024	71-72
18	55/13/2023-पी&पीडबल्यू(सी) (पार्ट1)	केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की बाबत ऑनलाइन (भविष्य/ई-एचआरएमएस) के माध्यम से पेंशन मामलों को एकल पेंशन आवेदन प्ररूप 6-क में प्रस्तुत करना।	15.10.2024	73
	55/13/2023-P&PW(C)(Part1)	Submission of Pension cases in Single Pension Application Form 6-A in respect of Central Government retiring officials through online mode (Bhavishya/e-HRMS)	15.10.2024	74
19	14/12/2023-पी&पीडबल्यू(सीपेन)-9012	CPENGRAMS पोर्टल पर केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की शिकायतों के संवेदनशील, सुलभ और सार्थक निवारण के लिए व्यापक दिशानिर्देश	16.10.2024	75-76
	14/12/2023-P&PW(CPEN)-9012	Comprehensive guidelines for sensitive, accessible and meaningful redresssal of Central Government Pensioners' grievances of CPENGRAMS Portal-reg.	16.10.2024	77-78
20	38/10(04)/2024-पी&पीडबल्यू(ए) (ई-10124)	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन कवर किए गए केंद्र सरकार के सिविल सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अतिरिक्त पेंशन संस्वीकृत करने के लिए शर्तें- संबंधी।	18.10.2024	79
	38/10(04)/2024-P&PW(A) (e10124)	Conditions for grant of additional pension to the retired Central Government Civil employees covered under CCS (Pension) Rules, 2021-reg.	18.10.2024	80
21	38/10(04)/2024-पी&पीडबल्यू(ए) (ई-10124)	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन प्राधिकृत किए जाने के पश्चात पेंशन का पुनरीक्षण-संबंधी।	18.10.2024	81
	38/10(04)/2024-P&PW(A) (e10124)	Revision of pension after authorisation under CCS (pension) Rules, 2021-reg.	18.10.2024	82
22	11/15/2022-पी&पीडबल्यू(एच)-8363(I)	पति/पत्नी के नाम में परिवर्तन – पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की सलाह।	24.10.2024	83-84
	11/15/2022-P&PW(H)-8363(I)	Change of name of spouse- Advice of Department of Pension and Pensioners Welfare	24.10.2024	85-86

23	11/15/2022-पी&पीडबल्यू(एच)-8363(III)	ऐसा सरकारी कर्मचारी, जो किसी शारीरिक या मानसिक कमजोरी के कारण पेंशन प्ररूपों को प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है, की बाबत पेंशन/कुटुंब पेंशन प्राधिकृत करने के मामलों पर कार्रवाई- संबंधी।	24.10.2024	87
	11/15/2022-P&PW (H)-8363(III)	Processing of cases for authorization of pension/family pension in respect of a Government servant who is not in a position to submit the pension forms on account of any bodily or mental infirmity-reg.	24.10.2024	88
24	3/7/2024-पी&पी डबल्यू(एफ़)(10139)	सेवानिवृत होने वाले सरकारी कर्मचारी को जीपीएफ का अंतिम भुगतान समय पर करने से संबंधित स्पष्टीकरण- संबंधी।	25.10.2024	89-90
	3/7/2024-P&PW(F) (10139)	Clarification regarding timely payment of GPF final payment to the retiring Government servant - regarding	25.10.2024	91-92
25	57/03/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/ 8361(7)	अर्हक सेवा का आवधिक सत्यापन और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव स्तर पर मॉनिटरिंग।	25.10.2024	93
	57/03/2022-P&PW(B) /8361(7)	Periodic verification of Qualifying service and monitoring at the level of Secretary of the administrative Ministry / Department	25.10.2024	94
26	57/03/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/ 8361(8)	केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 की प्रयोज्यता – संबंधी।	25.10.2024	95
	57/03/2022-P&PW(B) /8361(8)	Applicability of the CCS (Implementation of National Pension System), Rules, 2021-reg.	25.10.2024	96
27	57/03/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/ 8361(9)	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों से केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्री य पेंशन प्रणाली का कार्यान्व यन) नियमावली, 2021 के नियम 10 के अधीन विकल्प- संबंधी	25.10.2024	97
	57/03/2022-P&PW(B) /8361(9)	Options under rule 10 of the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 from Central Government employees covered under the National Pension System -reg.	25.10.2024	98
28	11/15/2022-पी&पीडबल्यू(एच)-8363(IV)	सरकारी कर्मचारी के अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने पर पेंशन और उपदान प्राधिकृत करने की प्रक्रिया में विभिन्न कार्रवाईयों को पूरा करने की समय-सीमा।	25.10.2024	99-100
	11/15/2022-P&PW (H)-8363(IV)	Timelines for completion of various activities in the process of authorization of pension and gratuity on retirement on	25.10.2024	101-102

		superannuation of a government servant.		
29	1/15/2024-पी&पी डबल्यू(एफ़)/9809	प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा पेंशन संबंधी नियमों का कार्यान्वरयन तथा सेवानिवृत्ति हितलाभों का समय पर जारी किया जाना।	25.10.2024	103
	1/15/2024-P&PW(F) /9809	Implementation of pension related rules and timely release of retirement benefits by the administrative Ministries / Departments-reg.	25.10.2024	104
30	42/02/2024-पी&पीडबल्यू (डी)	केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों /कुटुंब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की मंजूरी - संशोधित दर पर दिनांक 01.07. 2024 से लागू।	30.10.2024	105-106
	42/02/2024-P&PW (D)	Grant of Dearness Relief to Central Government pensioners/family pensioners - Revised rate effective from 01.07.2024-reg	30.10.2024	107-108
31	11/15/2022-पी&पीडबल्यू(एच)-8363(II)	केंद्र सरकार के पेंशनभोगी के कुटुंब के ब्यौरे से पुत्री का नाम हटाने पर स्पष्टीकरण।	30.10.2024	109
	11/15/2022-P&PW (H)-8363 (II)	Clarification on deletion of name of daughter from the family details of a Central Government pensioner-reg.	30.10.2024	110
32	38/05(25)/2024-पी&पीडबल्यू(ए) (9633)	पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को न्यायिक मामलों के संदर्भ भेजने हेतु नीति - अनुदेश - संबंधी।	15.07.2024	111-112
	38/05(25)/2024-P&PW(A)(9633)	Policy for reference of Court Cases to Department of Pension and Pensioners' Welfare – Instructions –reg.	15.07.2024	113-114

*****

सं.1/5/2024-पी&पीडबल्यू(एफ)-9809
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग
(डेस्क-एफ़)
***

तीसरा तल, लोक नायक भवन
खान मार्केट नई दिल्ली -110003
दिनांक : 03.10.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939/2023 के अधीन सतत परिचर भत्ते(सीएए) में वृद्धि के संबंध में।

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 3 अक्तूबर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/4/2017-पी&पीडबल्यू(एफ) द्वारा पे मैट्रिक्स में संशोधित वेतन पर देय महंगाई भत्ते में हर बार 50% की बढ़ोत्तरी होने पर सिविलियन पेंशनभोगियों को देय सतत परिचर भत्ते की दरों को 25% तक बढ़ाने के आदेश जारी किए गए थे।

2. पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने दिनांक 18.09.2024 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन(प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों से दिनांक 01.01.2024 से सतत परिचर भत्ते की राशि को मौजूदा 6750/- रुपये से 25% बढ़ाकर 8438/- रुपये प्रति माह करने का अनुरोध किया है।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपरोक्त निर्देशों को सभी संबंधितों के संज्ञान में लाएं।

03.10.2024
(दिलीप कुमार साहू)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 011-24641627

सेवा में,
मानक वितरण सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि :

मानक पृष्ठांकित सूची के अनुसार राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि।

सं. 1/4/2017 - P&PW(F)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन

खान मार्केट, नई दिल्ली -110003

दिनांक : 03 अक्तूबर, 2017

कार्यालय आदेश

विषय : केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिश पर सरकार के फैसले का कार्यान्वयन - सतत् परिचर भत्ता - के संबंध में ।

सतत् परिचर भत्ते को संशोधित करके मौजूदा 4500 रूपए प्रति माह से 6750 रूपये प्रति माह की वृद्धि करने संबंधी इस विभाग के दिनांक 2 अगस्त, 2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/4/2017 - P&PW(F) के अनुसरण में यह भी निर्णय लिया गया है कि वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन पर महंगाई भत्ते में हर बार 50% की वृद्धि होने पर सिविलियन पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले सतत् परिचर भत्ते को 25% की दर से बढ़ाया जाएगा ।

2. इस विभाग के दिनांक 2 अगस्त, 2017 के कार्यालय ज्ञापन सं 1/4/2017-पी एंड पी डब्लू (एफ) की अन्य सभी नियम और शर्तें समान रहेंगी ।

3 भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के व्यक्तियों के संबंध में ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

4. ये आदेश वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 11.07.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं 11-1/2016-IC और दिनांक 25.07.2017 के आईडी संख्या 11-1/2016-IC/Pt के तहत दी गई सहमति के साथ जारी किए जाते हैं ।

सु. चौधुरी

(सुजाशा चौधुरी)

निदेशक

फोन: 24635979

सेवा में

1. मानक वितरण सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग ।

प्रतिलिपि : मानक पृष्ठांकित सूची के अनुसार राष्ट्रपति सचिवालय, उप-राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी ए जी), संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) आदि ।

सं. 1/5/2024-पी&पीडबल्यू(एफ)-9809
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग
(डेस्क-एफ़)
***

तीसरा तल, लोक नायक भवन
खान मार्केट नई दिल्ली -110003
दिनांक : 18.09.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939/2023 के अधीन सतत परिचर भत्ता(सीएए) में वृद्धि के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 3 अक्टूबर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/4/2017-पी&पीडबल्यू(एफ) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसके द्वारा पे मैट्रिक्स में संशोधित वेतन पर देय महंगाई भत्ते में हर बार 50% की बढ़ोत्तरी होने पर सिविलियन पेंशनभोगियों को देय सतत परिचर भत्ते की दरों को 25% तक बढ़ाने के आदेश जारी किए गए(प्रतिलिपि संलग्न)।

2. व्यय विभाग ने अपने दिनांक 12.03.2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/1/2024-ई-II(बी) द्वारा 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते की दरों को मूल वेतन के 46% की मौजूदा दर से बढ़ाकर 50% करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। तदनुसार, सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा दिनांक 01.01.2024 से सतत परिचर भत्ते की राशि को मौजूदा 6750/- रुपये से 25% बढ़ाकर 8438/- रुपये प्रति माह किया जाए।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

18.09.2024
(दिलीप कुमार साहू)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 011-24641627

सेवा में,
मानक वितरण सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि :

मानक पृष्ठांकित सूची के अनुसार राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि।

फा. न. **1/5/2024-P&PW(F)-9809**
भारत सरकार**Government of India**
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय **Ministry of Personnel, PG & Pensions**
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग **Department of Pension & Pensioners' Welfare**
(Desk-F)
***

लोक नायक भवन 3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट नई दिल्ली Khan Market, New Delhi-110 003
दिनांक Dated: 03.10.2024

OFFICE MEMORANDUM

विषय : Enhancement of Constant Attendant Allowance (CAA) under CCS (Extraordinary Pension) Rules, 1939 / 2023 – reg.

The Department of Pension & Pensioners' Welfare (DoPPW) vide O.M. No.1/4/2017-P&PW(F) dated 3rd October, 2017 had conveyed that the rate of Constant Attendant Allowance payable to the Civilian pensioners shall be increased by 25% every time the dearness allowance on the revised Pay in the Pay Matrix is increased by 50%.

2. DoPPW vide O.M. of even number dated 18.09.2024 (copy enclosed) has requested all Ministries / Departments to enhance the amount of Constant Attendant Allowance by 25% from the existing Rs.6750/- to Rs.8438/- per month with effect from 01.01.2024.

3. All the Ministries / Departments may please bring the above to the notice of all concerned.

Signed by Dilip Kumar Sahu
Date: 03-10-2024 10:51:55

(Dilip Kumar Sahu)
Under Secretary to the Government of India
Tele. No. 011-24641627

To,

All Ministries/Departments of the Govt. of India as per standard distribution list.

Copy to:

President's Secretariat, Vice President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Supreme Court of India, C&AG, UPSC, CPAO etc. as per standard endorsement list.

No.1/4/2017--P&PW (F)
Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners Welfare
****

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated the 3rd October, 2017.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Implementation of Government's decision on the recommendation of the VIIth Pay Commission on CCS (Extraordinary Pension) Rules, 1939 – Constant Attendant Allowance – regarding.

.....

In continuation of this Department's OM No.1/4/2017-P&PW(F) dated 2nd August 2017, revising the Constant Attendant Allowance from the existing Rs.4500/- p.m to Rs.6750/- p.m, it has also been decided that the rate of Constance Attendant Allowance payable to the Civilian pensioners shall be increased by 25% every time the dearness allowance on the revised Pay in the Pay Matrix increases by 50%.

2. All other terms and conditions of this Department's OM NO. 1/4/2017-P&PW(F) dated 2nd August 2017 will remain the same.

3 In so far as persons belonging to Indian Audit and Accounts Department, these orders issue after consultation with the Comptroller & Auditor General of India.

4. These orders are issued with the concurrence of the Ministry of Finance (Department of Expenditure) vide, their OM No.11-1/2016-IC dated 11.07.2017 and ID No.11-1/2016-IC/Pt dated 25.07.2017

5. Hindi version will follow.

Choudhury

(Sujasha Choudhury)
Director
Tel: 24635979

To

All Ministry/Department of the Government of India as per standard distribution list.

Copy to: President's Secretariat, Vice President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Supreme Court of India, C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list.

फा. न. 1/5/2024-P&PW(F)-9809
भारत सरकारGovernment of India
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय Ministry of Personnel, PG & Pensions
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग Department of Pension & Pensioners' Welfare
(Desk-F)
***

लोक नायक भवन 3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट नई दिल्ली Khan Market, New Delhi-110 003
दिनांक Dated : 18.09.2024

OFFICE MEMORANDUM

विषय : Enhancement of Constant Attendant Allowance (CAA) under CCS (Extraordinary Pension) Rules, 1939 / 2023 – reg.

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No.1/4/2017-P&PW(F) dated 3rd October, 2017 conveying that the rate of Constant Attendant Allowance payable to the Civilian pensioners shall be increased by 25% every time the dearness allowance on the revised Pay in the Pay Matrix increased by 50% (copy attached).

2. Department of Expenditure vide their OM No. 1/1/2024-E-II(B) dated 12.03.2024 has issued instructions regarding enhancement of Dearness Allowance Rates from existing 46% to 50% of the Basic Pay with effect from 1st January 2024. Accordingly, all the Ministries / Departments may enhance the amount of Constant Attendant Allowance by 25% from the existing Rs.6750/- to Rs.8438/- per month with effect from 01.01.2024.

3. This issues with the approval of competent authority.

(Dilip Kumar Sahu)
Under Secretary to the Government of India
Tele. No. 011-24641627

To,

All Ministries/Departments of the Govt.of India as per standard distribution list.

Copy to:

President's Secretariat, Vice President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Supreme Court of India, C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list.

सं.-57/03/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8361(1)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक : 7 अक्तूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सरकारी कर्मचारी द्वारा अंशदान-संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को प्रशासित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। इन नियमों का नियम 6 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में केंद्र सरकार के कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले अंशदानों से संबंधित है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 के नियम 6 के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली परिभाषित अंशदान के आधार पर कार्य करेगी। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए सरकारी कर्मचारी प्रतिमास अपनी परिलब्धियों का दस प्रतिशत या समय-समय पर यथा अधिसूचित ऐसे अन्य प्रतिशत का अंशदान करेगा। देय अंशदान की रकम को अगले उच्चतर रूपये तक पूर्णांकित किया जाएगा।

3. निलंबन की अवधि के दौरान, कर्मचारी द्वारा उसके विकल्प पर अंशदान किया जा सकेगा। तथापि, यदि जांच के निष्कर्ष पर सरकार द्वारा पारित अंतिम आदेशों में, निलंबन के अधीन व्यतीत की गई अवधि को ड्यूटी के रूप में या छुटटी पर, जिसके लिए छुटटी वेतन संदेय है, माना गया, तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अंशदान का निर्धारण उन परिलब्धियों पर आधारित होगा जिनके लिए निलंबन की अवधि के लिए कर्मचारी हकदार हो जाता है। अंशदान की जमा की जाने वाली राशि और निलंबन की अवधि के दौरान पहले से जमा की गई राशि के अंतर को ब्याज सहित अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा किया जा सकेगा। इस प्रयोजनार्थ ब्याज की दर लोक भविष्य निधि निक्षेपों के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा यथानिर्णीत ब्याज की दर होगी।

4. ड्यूटी से अनुपस्थिति (छुटटी पर या अन्यथा) की अवधि के दौरान, जिसके लिए कोई वेतन या छुटटी वेतन संदेय नहीं है, अभिदाता द्वारा कोई अंशदान नहीं किया जा सकेगा।

5. केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी विभाग या संगठन में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण की अवधि के दौरान, अभिदाता इन नियमों के अध्यधीन उसी प्रकार होगा, जिस प्रकार वह स्थानांतरित या प्रतिनियुक्ति न होने पर होता और इन नियमों के नियम 5 के अनुसार परिकलित उपलब्धियों के आधार पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए अंशदान करना जारी रखेगा।

जारी -

6. परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अपना अंशदान जारी रखेगा।

7. संयुक्त राष्ट्र सचिवालय या अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निमाण और विकास बैंक, या एशियाई विकास बैंक या राष्ट्रमंडल सचिवालय अथवा किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रतिनियुक्ति सहित भारत में या भारत के बाहर विदेश सेवा के दौरान व्यक्तिगत पेंशन खाते में अंशदानों की कटौती और जमा को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण(पीएफआरडीए) द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार विनियमित किया जा सकेगा।

8. आहरण और संवितरण अधिकारी सरकारी कर्मचारी के वेतन से अंशदान की कटौती करेगा और बिल को प्रत्येक अभिदाता के संबंध में अंशदान कटौती के ब्यौरों सहित यथास्थिति, वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी को प्रत्येक मास के बीसवें दिन पर या उससे पूर्व भेजेगा।

9. (i) यथास्थिति, वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी, आहरण और संवितरण अधिकारी द्वारा वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी को उप-नियम (8) के अधीन प्रत्येक अभिदाता के संबंध में भेजे गए अंशदान के ब्यौरों के आधार पर अभिदाता अंशदान फाइल तैयार और अपलोड करेगा तथा प्रत्येक मास के पच्चीसवें दिन तक अंतरण आईडी सृजित करेगा।

(ii) यथास्थिति, वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी, न्यासी बैंक को प्रत्यायित बैंक के माध्यम से प्रत्येक मास के अंतिम कार्य दिवस तक अंशदान प्रेषित करेगा। तथापि, मार्च माह के लिए, अंशदान वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी द्वारा न्यासी बैंक को प्रत्यायित बैंक के माध्यम से अप्रैल माह के प्रथम कार्य दिवस को प्रेषित किया जा सकेगा।

(iii) अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में विहित समयावधि के पश्चात अंशदान जमा करने में विलंब होने की दशा में,जिसमें अभिदाता की गलती न हो, इन नियमों के नियम 8 के अनुसार यथाअवधारित, अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में विलंबित अवधि के लिए ब्याज सहित राशि जमा की जा सकेगी।

10. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली मामलों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

चक्रवर्ती

(एस.चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)

No. - 57/03/2022-P&PW(B)/8361(1)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 07th October, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Contribution by the Government employee to the National Pension System in respect to Central Government employees covered under NPS.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 to govern service related matters of Central Government civil employees covered under National Pension System. Rule 6 of these rules deals with contributions by the Central Government employee into the National Pension System.

2. In accordance with rule 6 of the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021, the National Pension System shall work on defined contribution basis. A Government employee shall make a contribution of ten per cent or such other percentage as may be notified from time to time, of his emoluments to the National Pension System every month. The amount of contribution payable shall be rounded off to the next higher rupee.

3. During the period of suspension, contribution may be made by the employee at his option. However, if in the final orders passed by the Government on conclusion of the inquiry, the period spent under suspension is treated as duty or leave for which leave salary is payable, contributions to the National Pension System shall be determined based on the emoluments which the employee becomes entitled to for the period of suspension. The difference of the amount of contribution to be deposited and the amount of contribution already deposited during the period of suspension, shall be credited to the Individual Pension Account of the Subscriber along with interest. The rate of interest for this purpose would be the rate of interest as decided by the Government from time to time for the Public Provident Fund deposits.

4. No contribution shall be made by the Subscriber during the period of absence from duty (whether on leave or otherwise) for which no pay or leave salary is payable.

5. During the period of transfer on deputation to a Department or organisation under the Central Government or the State Government, the Subscriber shall remain subject to these rules in the same manner, as if he was not so transferred or sent on deputation and will continue to contribute towards National Pension System based on emoluments worked out in accordance with rule 5 of these rules.

Contd.

6. The Subscriber shall contribute toward National Pension System during the period spent under probation.

7. Deduction and crediting of contributions to the Individual Pension Account during foreign service in India or outside India, including deputation to United Nations' Secretariat or other United Nations' Bodies, the International Monetary Fund, the International Bank of Reconstruction and Development, or the Asian Development Bank or the Commonwealth Secretariat or any other International organisation, shall be regulated in accordance with the instructions issued by the Department of Personnel and Training from time to time and the procedure laid down by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA).

8. The Drawing and Disbursing Officer shall deduct the contribution from the salary of the Government servant and send the bill to the Pay and Accounts Officer or Cheque Drawing and Disbursing Officer, as the case may be, along with details of contributions deducted in respect of each Subscriber on or before Twentieth day of each month.

9. (i) The Pay and Accounts Officer or the Cheque Drawing and Disbursing Officer, as the case may be, based on the details of contributions in respect of each Subscriber sent by the Drawing and Disbursing Officer to Pay and Accounts Officer or Cheque Drawing and Disbursing Officer under sub-rule (8), shall prepare and upload a Subscription Contribution File and generate a Transaction ID by Twenty- fifth day of each month.

(ii) The Pay and Accounts Officer or the Cheque Drawing and Disbursing Officer, as the case may be, shall remit the contribution to the Trustee Bank through the Accredited Bank by the last working day of each month. However, the contribution for the month of March shall be remitted by the Pay and Accounts Officer or the Cheque Drawing and Disbursing Officer to the Trustee Bank through the Accredited Bank on the first working day of the month of April.

(iii) In case of delay in crediting of contribution to the Individual Pension Account of the Subscriber beyond the prescribed timeline due to factors not attributable to the Subscriber, the amount shall be credited to the Individual Pension Account of the Subscriber along with interest for the delayed period, as determined in accordance with rule 8 of these rules.

10. All Ministries/Departments are requested that the above provisions may be brought to the notice of the personnel dealing with the NPS matters of employees in the Ministry /Department and attached /subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Govt. of India

To
All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list).

सं.-57/03/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8361(2)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक : 7 अक्तूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सरकार द्वारा अंशदान-संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को प्रशासित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। इन नियमों का नियम 7 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले अंशदानों से संबंधित है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 के नियम 7 के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली परिभाषित अंशदान के आधार पर कार्य करेगी। केंद्र सरकार प्रतिमास केंद्र सरकार के कर्मचारी के व्यक्तिगत पेंशन खाते में सरकारी कर्मचारी की परिलब्धियों का चौदह प्रतिशत या समय-समय पर अधिसूचित ऐसे अन्य प्रतिशत का अंशदान करेगी। देय अंशदान की रकम को अगले उच्चतर रूपये तक पूर्णांकित किया जाएगा।

3. सरकार द्वारा उस अवधि के लिए कोई अंशदान नहीं किया जाएगा जिसके दौरान सरकारी कर्मचारी को इन नियमों के अनुसार अंशदान करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, ऐसे मामलों में जहां अभिदाता को चिकित्सीय आधार पर या नागरिक उपद्रव के कारण कार्यग्रहण करने या पुनःकार्यग्रहण करने में असमर्थता के कारण; या अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में उपयोगी समझे जाने वाले उच्च अध्ययन को करने के लिए छुट्टी दी जाती है, और ऐसी छुट्टी के दौरान, छुट्टी वेतन देय नहीं है या ऐसी दर पर देय है जो पूर्ण वेतन से कम है, तो सरकार नोशनल परिलब्धि जिसमें इन नियमों के नियम 5 में निर्दिष्ट छुटटी वेतन और महंगाई भत्ता, गैर अभ्यास भत्ता सम्मिलित है, का चौदह प्रतिशत या समय-समय पर अधिसूचित ऐसे अन्य प्रतिशत की राशि का अंशदान करेगी।

4. सरकारी कर्मचारी के निलंबन के अधीन होने की दशा में, सरकार द्वारा ऐसे निलंबन की अवधि के दौरान कर्मचारी को संदत्त निर्वहन भत्ते को ध्यान में रखते हुए अवधारित की गई परिलब्धियों के आधार पर अंशदान किया जा सकेगा। यदि अभिदाता ने निलंबन की कथित अवधि के दौरान अपने अंशदान का भुगतान नहीं करने का विकल्प चुना था तो निलंबन की अवधि के दौरान सरकार द्वारा कोई अंशदान नहीं किया जाएगा।

5. तथापि, जहां जांच के निष्कर्ष पर सरकार द्वारा पारित अंतिम आदेशों में निलंबन के अधीन व्यतीत की गई अवधि को ड्यूटी के रूप में या छुटटी माना जाता है, जिसके लिए छुटटी वेतन संदेय है, तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए सरकार द्वारा अंशदान का निर्धारण उन परिलब्धियों के आधार पर किया जाएगा जिसके लिए अभिदाता निलंबन की अवधि के लिए हकदार हो जाता है। सरकार द्वारा जमा की जाने वाले अंशदान की राशि और निलंबन की अवधि के दौरान पहले से जमा की गई अंशदान की राशि के अंतर को ब्याज सहित अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ ब्याज की दर सामान्य भविष्य निधि निक्षेपों के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा यथानिर्णित ब्याज की दर होगी।

6. संयुक्त राष्ट्र सचिवालय या अन्य संयुक्त राष्ट्र निकाय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निमाण और विकास बैंक, या एशियाई विकास बैंक या राष्ट्रमंडल सचिवालय अथवा किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रतिनियुक्ति सहित भारत में या भारत के बाहर विदेश सेवा के दौरान व्यक्तिगत पेंशन खाते में सरकार द्वारा दिए जाने वाले अंशदान को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों और प्राधिकरण द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

7. अभिदाता द्वारा अंशदान की राशि के प्रेषण के मामले में समयसीमा के लिए यथालागू उपबंध सरकार द्वारा अंशदान के प्रेषण के मामले में भी लागू होंगे। अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में विहित समयावधि के पश्चात अंशदान जमा करने में विलंब होने की दशा में, जिसमें अभिदाता की गलती न हो, इन नियमों के नियम 8 के अनुसार यथाअवधारित, विलंबित अवधि के लिए ब्याज सहित राशि, अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा की जा सकेगी।

8. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली मामलों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(एस.चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)

No. - 57/03/2022-P&PW(B)/8361(2)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 07th October, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Contribution by the Government to the National Pension System in respect to Central Government employees covered under NPS.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 to govern service related matters of Central Government civil employees covered under National Pension System. Rule 7 of these rules deals with contributions by the Central Government into the National Pension System.

2. In accordance with rule 7 of the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021, the National Pension System shall work on defined contribution basis. The Central Government shall make contribution of fourteen per cent or such other percentage as may be notified from time to time, of the emoluments of a Government servant to the Individual Pension Account of the Central Government employee every month. The amount of contribution payable shall be rounded off to the next higher rupee.

3. No contribution shall be made by the Government for the period during which the Government employee is not required to make contribution in accordance with these rules. However, in cases where the leave is granted to the Subscriber on medical ground or due to his inability to join or rejoin duty on account of civil commotion; or for pursuing higher studies considered useful in discharge of his official duty, and during such leave, leave salary is not payable or is payable at a rate which is less than full pay, the Government shall make contribution equal to fourteen per cent or such other percentage as may be notified from time to time, of the notional emoluments comprising the amount representing pay and dearness allowance in the leave salary, non-practicing allowance referred to in rule 5 of these rules.

4. In the case of a Government employee under suspension, contribution shall be made by the Government on the basis of the emoluments determined by taking into account the subsistence allowance paid to the employee during the period of such suspension. No contribution shall be made by the Government during the period of suspension where the Subscriber had opted not to pay his contribution during the said period of suspension.

Contd-

5. However, if in the final orders passed by the Government on conclusion of the inquiry, the period spent under suspension is treated as duty or leave for which leave salary is payable, contributions by the Government to the National Pension System shall be determined based on the emoluments which the Subscriber becomes entitled to for the period of suspension. The difference of the amount of contribution to be deposited by the Government and the amount of contribution already deposited during the period of suspension, shall be credited to the Individual Pension Account of the Subscriber along with interest. The rate of interest for this purpose would be the rate of interest as decided by the Government from time to time for the Public Provident Fund deposits.

6. Contribution by the Government to the Individual Pension Account during foreign service in India or outside India, including deputation to United Nations' Secretariat or other United Nations' Bodies, the International Monetary Fund, the International Bank of Reconstruction and Development, or the Asian Development Bank or the Commonwealth Secretariat or any other International organisation, shall be regulated in accordance with the orders issued by Department of Personnel and Training from time to time and the procedure laid down by the Authority.

7. The provisions regarding time line as applicable in the case of remittance of contribution by the Subscriber would also be applicable for remittance of contribution by the Government. In case there is a delay in crediting of contribution to the Individual Pension Account of the Subscriber beyond the prescribed timeline due to factors not attributable to the Subscriber, the amount shall be credited to the Individual Pension Account of the Subscriber along with interest for the delayed period, as determined in accordance with rule 8 of these rules.

8. All Ministries/Departments are requested that the above provisions may be brought to the notice of the personnel dealing with the NPS matters of employees in the Ministry /Department and attached /subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Govt. of India

To

All Ministries/Departments/Organisations,

(As per standard list)

सं.-57/03/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8361(3)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक : 7 अक्तूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी के संबंध में सरकारी सेवा से त्यागपत्र देने पर हकदारी-संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को प्रशासित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 का नियम 14, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी के सरकारी सेवा से त्यागपत्र देने पर हकदारी से संबंधित है। इस नियम के अनुसार, सरकारी सेवा या पद से त्यागपत्र देने पर, जब तक कि इसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जनहित में वापस लेने की अनुमति न हो, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अधिवर्षिता पूर्व अभिदाता की निकासी के मामले में यथास्वीकार्य, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार अभिदाता की संचित पेंशन कॉर्पस में से एकमुश्त और वार्षिकी का भुगतान किया जाएगा।

3. एकमुश्त निकासी और वार्षिकी का ऐसा संदाय, उस तारीख जिससे त्यागपत्र प्रभावी होता है और अभिदाता अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाता है, से नब्बे दिनों की अवधि समाप्त होने से पूर्व नहीं किया जा सकेगा।

4. तथापि, यदि अभिदाता की मृत्यु उस तारीख से नब्बे दिनों की अवधि समाप्त होने से पूर्व हो जाती है, जिस दिन से त्यागपत्र प्रभावी हो जाता है, तो भुगतान उस व्यक्ति को किया जाएगा जो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण(पीएफआरडीए) द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार अधिवर्षिता पूर्व राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाता की निकासी के मामले में यथास्वीकार्य, ऐसा भुगतान प्राप्त करने के योग्य हो।

5. सरकारी कर्मचारी सेवा से त्यागपत्र देने पर भी अपने विकल्प पर, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण(पीएफआरडीए) द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार गैर-सरकारी अभिदाता के रूप

जारी-

में, उसी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाय करना जारी रख सकेगा।

6. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की बाबत सरकारी सेवा से त्यागपत्र देने पर हकदारी से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का, सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली मामलों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(एस.चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)

No. - 57/03/2022-P&PW(B)/8361(3)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 7th October, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Entitlement on resignation from Government service in respect of Central Government servant covered under the National Pension System -reg.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 to govern the service related matters of Central Government civil employees covered under the National Pension System.

2. Rule 14 of the Central Civil Services (Implementation of NPS) Rules, 2021 provides for entitlement on resignation from Government service of a Central Government servant covered under National Pension System. The rule provides that on resignation from a Government service or a post, unless it is allowed to be withdrawn in the public interest by the appointing authority, the lump sum and the annuity out of the Subscriber's accumulated pension corpus shall be paid to him in accordance with the regulations notified by the Authority as admissible in the case of exit of a Subscriber from the National Pension System before superannuation.

3. Such payment of lump sum withdrawal and annuity shall not be made before the expiry of a period of ninety days from the date on which the resignation becomes effective and the Subscriber is relieved of his duty.

4. However, if the Subscriber dies before the expiry of a period of ninety days from the date on which the resignation becomes effective, the payment shall be made to the person eligible to receive such payment immediately in accordance with the regulations notified by the Pension Fund Development and Regulatory Authority (PFRDA) as admissible in the case of exit of a Subscriber from the National Pension System before superannuation.

5. The Government servant on his resignation from service, at his option, may continue to subscribe to the National Pension System with the same Permanent Retirement Account Number, as a non-Government subscriber in accordance with the regulations notified by PFRDA.

6. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding entitlement on resignation from Government service of a Central Government servant covered under National Pension System may be brought to the notice of the personnel

Contd -

dealing with the NPS matters of employees in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

सं.-57/03/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8361(4)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक : 7 अक्तूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी के किसी निगम, कंपनी या निकाय में अथवा उसके अधीन आमेलन होने पर हकदारी-संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को प्रशासित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 का नियम 15 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी के किसी निगम, कंपनी या निकाय में अथवा उसके अधीन आमेलन होने पर हकदारी से संबंधित है। नियम 15 के अनुसार, यदि किसी सरकारी कर्मचारी को केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के पूर्णतः या आंशिक स्वामित्व या नियंत्रित निगम या कंपनी अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या वितपोषित किसी निकाय(स्वायत्त या सांविधिक) में या उसके अधीन किसी सेवा या पद में आमेलित होने के लिए अनुज्ञा प्रदान की गई है, तो उसे ऐसे आमेलन की तारीख से सेवा से सेवानिवृत्त माना जाएगा और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अधिवर्षिता पर अभिदाता की निकासी के मामले में यथास्वीकार्य हितलाभ प्राप्त करने का पात्र होगा।

3. अभिदाता नए संगठन में उसी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाय करना जारी रखेगा, यदि नए संगठन में समान प्रणाली विद्यमान है, और उस स्थिति में ऐसे आमेलन के समय उसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन कोई हितलाभ प्राप्त नहीं होगा किंतु नए निकाय या संगठन आदि, जिसमें उसे आमेलित किया गया है, से निकासी के पश्चात हितलाभ प्राप्त होंगे।

4. तथापि, ऐसे स्वायत्त या सांविधिक निकाय अथवा पब्लिक सेक्टर के उपक्रम के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर नहीं किए गए हैं, तो ऐसा अभिदाता, अपने विकल्प पर, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण(पीएफआरडीए) द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार, गैर-सरकारी अभिदाता के रूप में उसी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाय करना जारी रख सकेगा।

जारी -

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी के किसी निगम, कंपनी या निकाय में अथवा उसके अधीन आमेलन होने पर हकदारी से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का, सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली मामलों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(एस.चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)

No. - 57/03/2022-P&PW(B)/8361(4)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 7th October, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Entitlement on absorption in or under a corporation, company or body in respect of Central Government servant covered under the National Pension System -reg.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 to govern the service related matters of Central Government civil employees covered under the National Pension System.

2. Rule 15 of the Central Civil Services (Implementation of NPS) Rules, 2021 provides for entitlement on absorption in or under a corporation, company or body (autonomous or statutory) in respect of a Central Government servant covered under the National Pension System. The rule provides that a Government servant who has been permitted to be absorbed in a service or post in or under a Corporation or Company wholly or substantially owned or controlled by the Central Government or a State Government or in or under a Body (autonomous or statutory) controlled or financed by the Central Government or a State Government, shall be deemed to have retired from service from the date of such absorption and shall be eligible to receive benefits under the National Pension System in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015 as admissible in the case of exit of Subscriber on superannuation.

3. The Subscriber shall continue to subscribe to the National Pension System with the same Permanent Retirement Account Number in the new organisation if the same system exists in the new organisation and in that case he shall not receive any benefit under the National Pension System at the time of such absorption but shall receive benefits after exit from the new body or organisation, etc. where Subscriber has been absorbed.

4. However, in case, the employees of such autonomous or statutory body or public sector undertaking are not covered by the National Pension System, such subscriber may, at his option, continue to subscribe to the National Pension System with the same Permanent Retirement Account Number as a non-Government subscriber, in accordance with the regulations notified by Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA).

Contd-

5. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding entitlement on absorption in or under a corporation, company or body in respect of a Central Government servant covered under the National Pension System may be brought to the notice of the personnel dealing with the NPS matters of employees in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list).

सं 1/1(33)/2024-पीएंडपीडब्ल्यू(ई)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरी मंजिल, लोकनायक भवन

खान मार्केट, नई दिल्ली

दिनांक 10 अक्टूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली 2021 के अधीन, सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की दो पत्नियों के बीच कुटुंब पेंशन का निपटारा-संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली 2021 को अधिसूचित किया है और केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली 2021 का नियम 50 सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर कुटुंब पेंशन के संदाय से संबंधित है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(6) के अनुसार, मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के कुटुंब के सदस्यों को कुटुंब पेंशन निम्न क्रमानुसार संदेय होगी -

(i) उप-नियम(8) के उपबंधों के अधीन, विधवा या विधुर, (सेवानिवृत्ति के पश्चात विवाहित पति/पत्नी और न्यायिक्तः पृथक्कृत पत्नी/पति भी सम्मिलित),

(ii) उप-नियम(9) के उपबंधों के अधीन, बच्चे(दत्तक बच्चे, सौतेले बच्चे और पेंशनभोगी की सेवानिवृत्ति के पश्चात् जन्मे बच्चे भी सम्मिलित),

(iii) उप-नियम(10) के उपबंधों के अधीन, मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के आश्रित माता-पिता(दत्तक माता-पिता सम्मिलित),

(iv) उप-नियम(11) के उपबंधों के अधीन, मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के आश्रित सहोदर(अर्थात् भाई या बहन) जो किसी मानसिक या शारीरिक नि:शक्तता से ग्रस्त हों।

जबकि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(6)(1) के लिए दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार - इस नियम के प्रयोजनार्थ, 'विधवा' और 'विधुर' से, मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के साथ कानूनी तौर पर विवाहित क्रमशः महिला और पुरुष अभिप्रेत होगा।

3. जबकि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(8)(ग) के अनुसार-

जहां मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी एक से अधिक विधवाओं को छोड़ जाता है, विधवाओं को बराबर अंशों में कुटुंब पेंशन का संदाय होगा और विधवा की मृत्यु या अपात्रता होने पर, कुटुंब पेंशन का उसका अंश उसके बच्चे या बच्चों के लिए देय होगा जो उप-नियम (9) में उल्लिखित पात्रता शर्तों को पूरा करता है या करते हैं।

4. इस संबंध में, इस विभाग में कई संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें पहली पत्नी के जीवित रहने पर दूसरी पत्नी की कुटुंब पेंशन के लिए पात्रता के बारे में पूछा गया है। पहली पत्नी के जीवित रहते हुए, दूसरी पत्नी रखना हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के उपबंधों के विरुद्ध है तथा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के उपबंधों के भी प्रतिकूल है। इस मामले की जांच की गयी है और यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों पर केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाए और कुटुंब पेंशन के लिए पात्रता का निर्धारण करने के लिए, दूसरी पत्नी या दूसरे विवाह के वैध या अन्यथा, होने के मुद्दे पर, विधि कार्य विभाग से परामर्श करके, मामले के अनुसार निर्णय लिया जाए।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन दो पत्नियों के बीच कुटुंब पेंशन का निपटारा करने संबंधी निर्णय लेने से पूर्व विधि कार्य विभाग से परामर्श करने की प्रक्रिया का पालन करें, साथ ही इन निदेशों को मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशनभोगी हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

10/10/24

(सोनिका खट्टर)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)

F. No. 1/1(33)/2024-P&PW(E)
Ministry of Personnel, P.G. and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
.....

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi- 110003.
Dated 10th October, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Sub:- Settlement of Family Pension between two wives of a Government Servant or Pensioner under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 - reg.

The undersigned is directed to say that Department of Pension,in supersession of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 and Rule 50 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 deals with payment of family pension on death of a Government servant/pensioner.

2. In accordance with Rule 50 (6) of the CCS (Pension) Rules, 202, the family pension shall be payable to the members of the family of the deceased Government servant or pensioners in the following order -

i. Subject to provisions of sub-rule (8), widow or widower, (including a post-retiral spouse and judicially separated wife or husband)
ii. subject to provisions of sub-rule (9), children (including adopted children, step children and children born after retirement of the pensioner),
iii. subject to provisions of sub-rule (10), dependent parents (including adoptive parents) of the deceased Government servant or pensioner,
iv. subject to provisions of sub-rule (11), dependent siblings (i.e. brother or sister) of the deceased Government servant or pensioner, suffering from a mental or physical disability

Whereas the Explanation to Rule 50(6) (1) of the CCS (Pension) Rules, 2021 states that -For the purpose of this rule 'widow' and 'widower' shall mean a spouse, legally wedded to the deceased Government servant or the pensioners.

3. Whereas Rule 50(8)(c) of the CCS (Pension) Rules, 2021 states that-

Where the deceased Government servant or pensioner is survived by more widow than one, the family pension shall be paid to the widows in equal shares and on the death or ineligibility of a widow, her share of the family pension shall become payable to her child or children who fulfil the eligibility conditions mentioned in sub-rule (9).

4. In this regard, references have been received in this department regarding eligibility of family pension to the second wife when the first wife is alive. Having second wife when the first wife is alive is against the provisions of Hindu Marriage Act, 1955 and also contradictory to the provisions of CCS(Pension) Rules, 2021. The matter has been examined and it has been decided that such cases needs to be processed in accordance with the provisions of CCS (Pension) Rules, 2021 and the issue of second wife or second marriage being legal or otherwise, may be decided first in consultation with Department of Legal Affairs on case to case basis for deciding the eligibility for Family Pension.

5. All Ministries/Departments are requested to follow the process of consultation with Department of Legal Affairs before arriving at decision regarding Settlement of Family Pension between two wives under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021. Such cases must be brought to the notice of the officer dealing with the pensioners' benefits in the respective Ministry/Department by the attached/subordinate offices.

10/10/24

(Sonika Khattar)
Under Secretary to the Govt. of India

To

All Ministries/Departments/Organizations (As per attached list).

11/15/2022-पी&पीडबल्यू(एच)-8363

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन,

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक :11-10-2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन केंद्र सरकार के कर्मचारी की अधिवर्षिता होने पर पेंशन मामले पर कार्रवाई।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 57 केंद्र सरकार के कर्मचारी की अधिवर्षिता होने पर पेंशन मामलों पर की जाने वाली कार्रवाई से संबंधित है। नियम 57 के अनुसार, कार्यालयाध्यक्ष सरकारी कर्मचारी की अधिवर्षिता की तारीख से एक वर्ष पूर्व किए जाने वाले प्रारंभिक कार्य की अवधि को निम्नलिखित तीन प्रक्रमों में विभाजित करेगा, अर्थात् :-

(क) पहला प्रक्रम- सेवा का सत्यापन;-

(i) कार्यालयाध्यक्ष सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका को देखेगा और अपना यह समाधान कर लेगा कि नियम 30 के अधीन सत्यापित सेवा के पश्चातवर्ती सेवा का सत्यापन के प्रमाणपत्र उसमें अभिलिखित है या नहीं;

(ii) सेवा के असत्यापित प्रभाग या प्रभागों की बाबत वह यथास्थिति, सेवा के उस प्रभाग या उन प्रभागों को वेतन बिलों, निस्तारण पंजियों या अन्य सुसंगत अभिलेखों जैसे कि अंतिम वेतन प्रमाणपत्र तथा अप्रैल मास की वेतन पर्ची(जो पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवा के सत्यापन को दर्शाती है) के आधार पर सत्यापित करेगा और सेवा पुस्तिका में आवश्यक प्रमाणपत्रों को अभिलिखित करेगा;

(iii) यदि किसी अवधि की सेवा का उपखंड(i) और उपखंड(ii) में विनिर्दिष्ट रीति से इस कारण सत्यापन नहीं किया जा सकता है कि उस अवधि में सरकारी कर्मचारी ने किसी अन्य कार्यालय या विभाग में सेवा की थी तो कार्यालय अध्यक्ष, जिसके अधीन सरकारी कर्मचारी वर्तमान में सेवारत है, उस कार्यालय के जिसमें सरकारी कर्मचारी के बारे में यह दर्शाया गया है कि उसने उस काल में वहां सेवा की थी; कार्यालय अध्यक्ष को मामला सत्यापन के प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट करेगा;

(iv) उपखंड(iii) में निर्दिष्ट सूचना प्राप्त होने पर, उस कार्यालय या विभाग का कार्यालय अध्यक्ष उपखंड(ii) में विनिर्दिष्ट रीति से ऐसी सेवा के प्रभाग या प्रभागों का सत्यापन करेगा और ऐसे संदर्भ के प्राप्त होने की तारीख से दो मास के भीतर निर्दिष्ट करने वाले कार्यालय अध्यक्ष को आवश्यक प्रमाणपत्र संप्रेषित करेगा;

परंतु यदि किसी अवधि की सेवा का सत्यापन नहीं हो पा रहा है, इसे एक साथ निर्दिष्ट करने वाले कार्यालय अध्यक्ष के संज्ञान में लाना होगा;

(v) यदि पूर्ववर्ती उपखंड में निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी अवधि या अवधियां पेंशन के लिए अर्हक समझी जाएंगी;

(vi) यदि इसके पश्चात् किसी भी समय, यह पाया जाता है कि कार्यालय अध्यक्ष या अन्य संबद्ध प्राधिकारियों ने सेवा के किसी भी अनर्हक अवधि की संसूचना नहीं दी, प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग का सचिव इस प्रकार संसूचित नहीं किए जाने के लिए जिम्मेदारी तय करेगा;

(vii) उपखंड(i), (ii), (iii), (iv) और (v) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अधिवर्षिता की तारीख से आठ मास पूर्व पूरी की जाएगी;

(viii) यदि सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के किसी प्रभाग को उपखंड(i) या उपखंड(ii) या उपखंड(iii) या उपखंड(iv) या उपखंड(v) में विनिर्दिष्ट रीति से सत्यापित नहीं किया जा सकता है तो सरकारी कर्मचारी को एक मास के भीतर सादे कागज पर एक लिखित कथन फ़ाइल करने के लिए कहा जाएगा जिसमें वह यह बताएगा कि उसने वास्तव में उस अवधि में सेवा की थी और कथन के अंत में वह इस बात के प्रतीक स्वरूप ऐसे घोषणापत्र पर अपने हस्ताक्षर करेगा कि उस कथन में जो कुछ कहा गया है वह सही है;

(ix) यदि उपखंड(iii) में निर्दिष्ट लिखित कथन में दिए गए तथ्यों पर विचार कर लेने के पश्चात कार्यालय अध्यक्ष का समाधान हो जाता है तो वह सेवा के उस प्रभाग के बारे में यह स्वीकार करेगा कि वह सेवा उस सरकारी कर्मचारी की पेंशन की गणना के प्रयोजनों के लिए की गई सेवा है; तथा

(x) यदि किसी सरकारी कर्मचारी को जानबूझकर कोई गलत जानकारी देते हुए पाया जाता है, जो उसे ऐसे किसी भी लाभ का हकदार बनाता है, जिसका अन्यथा वह हकदार नहीं है, तो उसे एक गंभीर अवचार माना जाएगा।

(ख) दूसरा प्रक्रम- सेवा पुस्तिका के लोपों की पूर्ति,-

(i) सेवा के सत्यापन के प्रमाणपत्रों की संवीक्षा करते समय कार्यालय अध्यक्ष उनमें ऐसे लोपों, त्रुटियों या कमियों का पता करेगा, जिनका परिलब्धियों के अवधारण और पेंशन के लिए अर्हक सेवा से सीधा संबंध है;

(ii) खंड(क) में यथाविनिर्दिष्ट, सेवा के सत्यापन को पूरा करने के लिए और उपखंड(i) में निर्दिष्ट लोपों को पूरा करने, त्रुटियों और कमियों को दूर करने की हर चेष्टा की जाएगी;

(iii) ऐसे लोप, त्रुटि या कमी जिसे पूरा न किया जा सके तथा सेवा की अवधि जिसके बारे में सरकारी कर्मचारी ने कोई कथन प्रस्तुत नहीं किया हो तथा सेवा का वह प्रभाग जो सेवा पुस्तिका में असत्यापित दिखाया गया है और जिसे खंड(क) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापित करना संभव नहीं है, उपेक्षा की जाएगी और सेवा पुस्तिका के प्रविष्टियों के आधार पर पेंशन अर्हक सेवा का अवधारण किया जाएगा;

(iv) परिलब्धियों और औसत परिलब्धियों की गणना करने के प्रयोजन से कार्यालय अध्यक्ष सेवा के अंतिम दस मास में ली गई या ली जाने वाली परिलब्धियों की शुद्धता सेवा पुस्तिका से सत्यापित करेगा;

(v) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवा के अंतिम दस मास में परिलब्धियां सेवा पुस्तिका में ठीक प्रकार से दर्शाई गई है, कार्यालय अध्यक्ष सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व केवल चौबीस मास की अवधि की परिलब्धियों की शुद्धता का सत्यापन करेगा और उस तारीख से पूर्व की किसी अवधि के बारे में नहीं।

(ग) तीसरा प्रक्रम- जैसे ही दूसरा प्रक्रम पूरा होता है, किंतु सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से आठ मास पूर्व, कार्यालय अध्यक्ष,-

(i) सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को पेंशन तथा उपदान के प्रयोजन के लिए प्रस्तावित अर्हक सेवाकाल और सेवानिवृत्ति उपदान तथा पेंशन की संगणना के लिए प्रस्तावित परिलब्धियों और औसत परिलब्धियों के संबंध में एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा;

(ii) यदि कार्यालय अध्यक्ष द्वारा उपदर्शित प्रमाणित सेवा और परिलब्धियां उसको स्वीकार नहीं है, तो सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को दो मास के भीतर, उसके दावे के समर्थन में सुसंगत दस्तावेजों द्वारा समर्थित अस्वीकृति के कारणों को कार्यालय अध्यक्ष को प्रस्तुत करने का निदेश देगा;

(iii) सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को प्ररूप 6-क प्रस्तुत करने की सलाह देगा।

(2) (क) सरकारी कर्मचारी कार्यालय अध्यक्ष को सम्यक रूप से भरा हुआ प्ररूप 6-क अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से छह मास पूर्व प्रस्तुत करेगा;

(ख) सरकारी कर्मचारी प्ररूप 6-क में आवेदन कर सकेगा, यदि वह केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन का संराशीकरण), नियमावली 1981 के अनुसार पेंशन के प्रतिशत को संराशीकृत कराने का इच्छुक हो।

(3) (क) जहां कार्यालय अध्यक्ष का यह समाधान हो जाए कि किसी शारीरिक या मानसिक कमजोरी के कारण सरकारी कर्मचारी उप-नियम(2) में निर्दिष्ट प्ररूपों को प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है, कार्यालय अध्यक्ष सरकारी कर्मचारी के पति/पत्नी या पति/पत्नी की अनुपस्थिति में, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र कुटुंब के सदस्य को प्ररूप 6-क प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(ख) यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए कुटुंब का कोई भी सदस्य पात्र नहीं है, तो कुटुंब के उस सदस्य को, जिसके पक्ष में सरकारी कर्मचारी द्वारा उपदान के भुगतान के लिए नामनिर्देशन किया गया था, प्ररूप 6-क के लिए अनुज्ञा दी जा सकेगी :

परंतु जहां उक्त प्ररूप पति/पत्नी या कुटुंब के किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, सरकारी कर्मचारी तब तक पेंशन के प्रतिशत को संराशीकृत कराने के लाभ का हकदार नहीं होगा जब तक केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन का संराशीकरण), नियमावली 1981 के अनुसार ऐसे संराशीकरण के लिए बाद में वह स्वयं आवेदन नहीं करता।

सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 57 के अधीन केंद्र सरकार के कर्मचारी की अधिवर्षिता होने पर पेंशन मामलों पर कार्रवाई करने संबंधी उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(सुभाष चंदर)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 24644631

सेवा में

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन(मानक सूची के अनुसार)

11/15/2022-P&PW(H)-8363
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110 003
Date: 11-10-2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: **Processing of pension case on superannuation under CCS (Pension) Rules, 2021 in respect of Central Government Servant.**

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.

2. Rule 57 of CCS (Pension) Rules, 2021 stipulates the procedure for processing of pension cases in respect of Central Government servant on superannuation. Rule 57 provides that the Head of Office shall divide the period of prepatory work of one year before the date of superannuation of Government servant in the following three stages, namely:-

(a) First Stage – Verification of service;-

(i) the Head of Office shall go through the service book of the Government servant and satisfy himself as to whether the certificates of verification for the service subsequent to the service verified under Rule 30 are recorded therein;

(ii) in respect of the unverified portion or portions of service, he shall verify the portion or portions of such service, as the case may be, based on pay bills, acquittance rolls or other relevant records, such as last pay certificate and pay slip for month of April (which shows verification of service for the previous financial year) and record necessary certificates in the service books;

(iii) If the service for any period is not capable of being verified in the manner specified in sub-clause (i) and sub-clause (ii), that period of service having been rendered by the Government servant in another office or Department, the Head of Office under which the Government servant is at present serving shall refer the said period of service to the Head of Office in which the Government servant is shown to have served during that period for the purpose of verification;

(iv) on receipt of communication referred to in sub-clause (iii), the Head of Office in that office or Department shall verify the portion or portions of such service, in the manner as specified in

sub-clause (ii), and send necessary certificates to the referring Head of Office within two months from the date of receipt of such a reference:

Provided that in case a period of service is incapable of being verified, it shall be brought to the notice of the referring Head of Office simultaneously;

(v) If no response is received within the time referred to in the preceding sub-clause, such period or periods shall be deemed to qualify for pension.

(vi) If at any time thereafter, it is found that the Head of Office and other concerned authorities had failed to communicated any non-qualifying period of service, the Secretary of the administrative Ministry or Department shall fix responsibility for such non-communication;

(vii) The process specified in sub-clauses (i), (ii), (iii), (iv) and (v) shall be completed eight months before the date of superannuation;

(viii) if any portion of service rendered by a Government servant is not capable of being verified in the manner specified in sub-clause (i) or sub-clause (ii) or sub-clause (iii) or sub-clause (iv) or sub-clause (v), the Government servant shall be asked to file a written statement on plain paper within a month, stating that he had in fact rendered service for that period, and shall, at the foot of the statement, make and subscribe to a declaration as to the truth of that statement;

(ix) the Head of Office shall, after taking into consideration the facts in the written statement referred to in sub-clause (viii) admit that portion of service as having been rendered for the purpose of calculating the pension of that Government servant; and

(x) if a Government servant is found to have given any incorrect information willfully, which makes him or her entitled to any benefits which he or she is not otherwise entitled to, it shall be construed as a grave misconduct.

(b) Second State – Making good the omissions in the service book, –

(i) the Head of Office while scrutinizing the certificates of verification of service, shall also identify if there are any other omissions, imperfections or deficiencies which have a direct bearing on the determination of emoluments and the service qualifying for pension;

(ii) every effort shall be made to complete the verification of service, as specified in clause (a) and to make good the omissions, imperfections or deficiencies referred to in sub-clause (i);

(iii) any omission, imperfection or deficiency which is incapable of being made good and the periods of service about which the Government servant has submitted no statement and the portion of service shown as unverified in the service book which it has not been possible to verify in accordance with the procedure laid down in clause (a) shall be ignored and service qualifying for pension shall be determined on the basis of the entries in the service book;

(iv) for the purpose of calculation of emoluments and average emoluments, the Head of Office shall verify from the service book the correctness of the emoluments drawn or to be drawn during the last ten months of service;

(v) in order to ensure that the emoluments during the last ten months of service have been correctly shown in the service book, the Head of Office shall verify the correctness of emoluments only for the period of twenty four months preceding the date of retirement of a Government servant, and not for any period prior to that date.

(c) Third Stage.- As soon as the second stage is completed, but not later than eight months prior to the date of retirement of the Government servant, the Head of Office shall,-

(i) furnish to the retiring Government servant a certificate regarding the length of qualifying service proposed to be admitted for the purpose of pension and gratuity and also the emoluments and the average emoluments proposed to be reckoned for retirement gratuity and pension;

(ii) direct the retiring Government servant to furnish to the Head of Office the reasons for non-acceptance, supported by the relevant documents in support of his claim within two months if the certified service and emoluments as indicated by the Head of Office are not acceptable to him;

(iii) advise the retiring Government servant to submit Form 6-A.

(2) (a) The Government servant shall submit duly completed Form 6-A to the Head of the Office, not later than six months prior to his date of retirement.;

(b) The Government servant shall also apply in Form 6-A, if he so desires, for commutation of a percentage of pension in accordance with the Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981.

(3) (a) Where the Head of Office is satisfied that the Government servant is not in a position to submit the forms referred to in sub-rule (2) on account of any bodily or mental infirmity, the Head of Office may allow the spouse of the Government servant or, in the absence of the spouse, the member of the family eligible to receive family pension on death of Government servant, to submit Form 6-A.

(b) If there is no member of the family eligible to receive family pension on death of Government servant, a member of the family in whose favour a nomination was made by the Government servant for payment of gratuity, may be allowed to submit Form 6-A:

Provided that where the said form is submitted by the spouse or any other member of the family, the Government servant shall not be entitled to the benefit of commutation of

pension until he himself subsequently applies for such commutation in accordance with the Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981.

All Ministries/Departments are requested that the above provisions of Rule 57 of CCS (Pension) Rules, 2021, regarding procedure for processing of pension cases in respect of Central Government servant on superannuation, may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(Subhash Chander)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele. No. 24644631

To

All Ministries/Departments/Organizations (As per standard list)

सं.11(15)/2022-पी&पीडबल्यू (एच)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोक नायक भवन,

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक : 11th अक्तूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : - वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना।

केंद्रीय सरकार के प्रत्येक पेंशनभोगी को अपनी पेंशन आगे जारी रखने के लिए नवंबर मास में वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होता है। यह देखा गया है कि इस प्रयोजन के लिए बड़ी संख्या में केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगी व्यक्तिगत रूप से बैंक शाखाओं में जाते हैं।

2. अति वरिष्ठ पेंशनभोगियों के लिए एक अतिरिक्त विशेष विंडो देने के लिए, इस विभाग ने दिनांक 18.07.2019 के अपने का.ज्ञा.सं. 1/20/2018-पी&पीडबल्यू(ई) द्वारा 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों को प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर के स्थान पर 1 अक्तूबर से वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी।

3. वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए पेंशनभोगी के लिए उपलब्ध विभिन्न तरीकों को एक बार फिर पेंशनभोगियों की जागरूकता के लिए संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। पेंशनभोगी की सुविधानुसार वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र मैन्युअल रूप से या डिजिटल रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है:–

i. पेंशन संवितरण प्राधिकरणों(पीडीए) द्वारा जीवन प्रमाणपत्र को रिकॉर्ड किया जा सकता है, यदि पेंशनभोगी व्यक्तिगत रूप से पीडीए के समक्ष उपस्थित होता है।

ii. पेंशनभोगी की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं होगी, यदि पेंशनभोगी किसी 'नामित अधिकारी' द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाणपत्र प्ररूप प्रस्तुत करता है, सीपीएओ द्वारा जारी योजना पुस्तिका के पैरा 14.3 के अनुसार, निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित, निर्धारित प्ररूप में जीवन प्रमाणपत्र जमा करने वाले पेंशनभोगी को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जाती है। सीपीएओ की योजना पुस्तिका के अनुसार जीवन प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए नामित अधिकारियों की सूची **अनुबंध-I** में संलग्न है।

iii. पेंशनभोगी जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। "जीवन प्रमाण" के माध्यम से फिंगरप्रिंट द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया https://youtu.be/nNMlkTYqTF8 पर देखी जा सकती है। यूआईडीएआई ने ऐसे सभी बायोमेट्रिक उपकरणों का ब्यौरा उपलब्ध कराया है जो किसी व्यक्ति के बायोमेट्रिक्स को कैप्चर करने के लिए अनुमत हैं। पेंशनभोगी ऐसे सभी उपकरणों की जानकारी www.uidai.gov.in साइट पर प्राप्त कर सकते हैं।

iv. पेंशनभोगी यूआईडीएआई आधार सॉफ्टवेयर पर आधारित फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी प्रणाली का उपयोग करके भी जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं, जिसके द्वारा ऑनलाइन जमा करने के लिए, किसी भी एंड्रॉइड आधारित स्मार्ट फोन से, जीवन प्रमाण मोबाइल एप्लिकेशन पर पेंशनभोगी की लाइव तस्वीर को कैप्चर करके, डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जनरेट किया जा सकता है। फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से डीएलसी जनरेट करने की पूरी प्रक्रिया, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के पेंशनर्स पोर्टल पर "जीवन प्रमाण→ डीएलसी तैयार करने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन पूरी प्रक्रिया" उपलब्ध है। URL:http://pensionersportal.gov.in/Document/Face_JP.pdf

v. डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक(आईपीपीबी) ने मेटी(MeitY) के साथ मिलकर नवंबर, 2024 में पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की पहल: "डाकियों के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए डोरस्टेप सेवा" को सफलतापूर्वक शुरू किया है। आईपीपीबी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जनरेट करने के लिए, डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए, 1.41 लाख से अधिक डाकघरों तथा स्मार्ट फोन और बायोमेट्रिक उपकरणों से लैस 2.06 लाख से अधिक डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों के अपने राष्ट्रीय नेटवर्क का उपयोग कर रहा है। आईपीपीबी द्वारा दी जा रही डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र की सुविधा के बारे में अधिक जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसका यूआरएल है : https://ippbonline.com/web/ippb/digital-life-certificate1। डोरस्टेप सेवा का अनुरोध निम्नानुसार किया जा सकता है :

क. स्मार्टफोन पर गूगल प्ले स्टोर से "Post info APP" डाउनलोड करके।
ख. कंप्यूटर पर ippbonline.com के माध्यम से।
ग. डाकघर के माध्यम से।
घ. 155299/033-22029000 पर कॉल करके।
ङ. contact@ippbonline.in पर ईमेल करके।

vi. 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एलायंस, जो बैंकिंग सुधारों में सुगमता के अंतर्गत देश के 100 प्रमुख शहरों में अपने ग्राहकों के लिए "डोरस्टेप बैंकिंग" की सुविधा प्रदान करते हैं, के माध्यम से भी डोरस्टेप बैंकिंग उपलब्ध है। पीएसबी एलायंस ने डोरस्टेप बैंकिंग(डीएसबी)के अंतर्गत जीवन प्रमाणपत्र के संग्रहण की सेवा शुरू की है। डीएसबी एजेंट सेवा प्रदान करने के लिए पेंशनभोगी के घर पर जाएगा। पेंशनभोगी निम्नलिखित 3 चैनलों में से किसी भी एक द्वारा सेवा बुक कर सकते हैं :

- मोबाइल – 'डोरस्टेप बैंकिंग ऐप' - गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर ,
- वेबसाइट - https://psballiance.com/doorstep-banking.html
- टोल फ्री नंबर – 9152220220 पर कॉल करके

4. सभी पेंशन संवितरण प्राधिकरणों से अनुरोध है कि अनुपालनार्थ इस कार्यालय ज्ञापन का संज्ञान लें और पेंशनभोगियों के बीच इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(सुभाष चंदर)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 24644431

सेवा में,

1. सभी पेंशन संवितरण बैंक और पेंशन संवितरण प्राधिकरणों के सीएमडी/सीपीपीसी ।
2. केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय(सीपीएओ), वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, त्रिकूट -II, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली ।
4. सचिव, रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्लॉक,नई दिल्ली।
5. सचिव, पूर्व-सैनिक कल्याण विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
6. सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
7. सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, डाक विभाग, डाक भवन, नई दिल्ली।
9. एनआईसी : - इस विभाग के वेबसाइट पर डालने हेतु ।
10. पेंशनभोगियों के पोर्टल के अंतर्गत सभी पेंशनभोगी संघः- पेंशनभोगियों के बीच प्रचार-प्रसार के लिए।

जीवन प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की सूची(सीपीएओ द्वारा जारी योजना पुस्तिका के पैरा 14.3 के अनुसार)

(i) दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति;

(ii) भारतीय पंजीकरण अधिनियम के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार;

(iii) सरकारी राजपत्रित अधिकारी;

(iv) पुलिस थाने का न्यूनतम उप-निरीक्षक के पद का प्रभारी पुलिस अधिकारी;

(v) डाकघर का पोस्टमास्टर, विभागीय उप- पोस्टमास्टर या निरीक्षक;

(vi) भारतीय रिज़र्व बैंक का ग्रेड-I अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक या उसके सहायक बैंक का अधिकारी(ग्रेड-II अधिकारी सहित);

(vii) न्यायमूर्ति;

(viii) खंड विकास अधिकारी, मुनसिफ, तहसीलदार या नायब तहसीलदार:

(ix) पंचायत, ग्राम पंचायत, गांव पंचायत या किसी गांव की कार्यकारी समिति का प्रमुख;

(x) गांव की कार्यपालक समिति

(xi) संसद सदस्य, राज्य विधान सभा का सदस्य, या संघ शासित प्रदेश/प्रशासन की विधान सभा का सदस्य;

(xii) कोषागार अधिकारी।

No. 11(15)/2022-P&PW(H)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110003
Dated: 11th October, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Submission of Annual Life Certificate.

Every Central Government pensioner has to submit Annual Life Certificate in the month of November for further continuation of pension. It has been observed that a large number of Central Government pensioners physically visit bank branches for this purpose.

2. As a measure to enable an additional exclusive window to very senior pensioners, this Department, vide its OM No. 1/20/2018-P&PW(E) dated 18.07.2019, has allowed the pensioners in the age group of 80 years and above, to submit Annual Life Certificate from 1st October onwards, instead of 1st November onwards, every year.

3. The different modes available to a pensioner for submission of Annual Life Certificate are once again summarized for Pensioners' awareness. An Annual Life Certificate can be submitted manually or digitally as per convenience of the pensioner by following modes: -

i. Life certificate can be recorded by Pension Disbursing Authorities (PDAs), if the pensioner physically appears before the PDA.

ii. Personal appearance of a pensioner will not be required, if the pensioner submits the life certificate form signed by any 'designated official'. In accordance with para 14.3 of the Scheme Booklet issued by CPAO, a pensioner who produces a life certificate in the prescribed form, signed by persons specified, is exempted from personal appearance. A list of designated officials specified for signing the Life Certificate as per the scheme booklet of CPAO is attached as **Annexure-I**.

iii. Pensioners can submit Life Certificate online through Jeevan Pramaan Portal. The process of submission of Digital Life Certificate, through "Jeevan Pramaan", using fingerprint, may be seen at https://youtu.be/nNMlkTYqTF8 . UIDAI has provided details of all biometric devices which are permissible for capturing biometrics of a person. Pensioners may visit the site www.uidai.gov.in to get information of all such devices.

iv. Pensioners can also submit Life Certificates using the Face Authentication technology system based on UIDAI Aadhaar software whereby it is possible to generate a Digital Life Certificate from any Android based smart phone by capturing the live photograph of the pensioner for online submission on the Jeevan Pramaan mobile application. The process flow for generating DLCs through Face Authentication is available on DoPPW's Pensioners Portal at Jeevan Pramaan ➔ Process flow of face authentication technique for DLC generation. URL: https://pensionersportal.gov.in/Document/Face_JP.pdf .

v. India Post Payments Bank (IPPB) of Department of Posts along with MeitY has successfully launched the initiative of the Department of Pension & Pensioners' Welfare: "Doorstep Service for submission of Digital Life Certificate through Postman" in November, 2020. IPPB is utilizing its national network of more than 1.41 lakh access points in Post Offices and more than 2.06 lakhs Postmen & Gramin Dak Sevaks with smart phones and biometric devices to provide Doorstep Banking Services for generation of Digital Life Certificates. Information about Digital Life Certificates facility through IPPB is available on the website with URL: https://ippbonline.com/web/ippb/digital-life-certificate1 . The request for doorstep service can be placed through:

a. Post Info app, downloaded from Play store on Smartphones.
b. Through Computer on ippbonline.com.
c. Through post office
d. By calling on number 155299/ 033-22029000.
e. Email on contact@ippbonline.in

vi. Doorstep Banking is also available through the Alliance comprising 12 Public Sector Banks which do "Doorstep Banking" for its customers in 100 major cities of the country under Ease of Banking Reforms. PSB Alliance has introduced the service for collection of Life Certificates under the umbrella of Doorstep Banking (DSB). DSB Agent shall visit the doorstep of Pensioner to render the service. Service can be booked by the pensioner through any of the following three channels:

- Mobile - 'Doorstep Banking' app – Google Play Store and App store
- Website- https://psballiance.com/doorstep-banking.html
- Call on toll-free number- 9152220220

4. All Pension Disbursing Authorities are requested to take note of this OM for compliance and give wide publicity of the same amongst pensioners.

5. This issues with the approval of the competent authority.

(Subhash Chander)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel. No. 24644431

To

1) CMDs/CPPCs of all Pension Disbursing Banks and Pension Disbursing Authorities.
2) Central Pension Accounts Office (CPAO), Ministry of Finance, Department of Expenditure, Trikoot-II, Bhikaji Cama Place, New Delhi.
3) Chairman, Railway Board, Ministry of Railways, Rail Bhawan, New Delhi.
4) Secretary, Ministry of Defence, South Block, New Delhi.
5) Secretary, Department of Ex-Servicemen Welfare, South Block, New Delhi.
6) Secretary, Department of Financial Services, Jeevan Deep Building, Sansad Marg, New Delhi.
7) Secretary, Department of Telecommunications, Sanchar Bhavan, New Delhi.
8) Secretary, Department of Posts, Dak Bhavan, New Delhi
9) NIC: -for posting on website of this Department.
10) All Pensioners Associations under Pensioners' Portal: for giving vide publicity among pensioners.

Annexure-I

List of persons specified for signing the Life Certificate (Para 14.3 of Scheme Booklet by CPAO)

i. A person exercising the powers of a Magistrate under the Criminal Procedure Code;
ii. A Registrar or Sub-Registrar appointed under Indian Registration Act;
iii. A Gazetted Officer of the Government;
iv. A Police Officer not below the rank of Sub-Inspector in-charge of a Police Station;
v. A Postmaster, a departmental Sub-Postmaster or an Inspector of Post Offices;
vi. A Class-I office of the Reserve Bank of India, An Officer (including Grade-11 Officer) of the State Bank of India or of its subsidiary;
vii. A Justice of Peace;
viii. A Block Development Officer, Munsif, Tehsildar or Naib Tehsildar;
ix. A Head of Village Panchayat, Gram Panchayat, Gaon Panchayat or an
x. Executive Committee of a Village;
xi. A Member of Parliament or State Legislatures or of Legislatures of Union Territory Governments/Administrations;
xii. Treasury Officer

***

सं.-57/03/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8361(5)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक : 11 अक्तूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी के संबंध में सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर हकदारी-संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को प्रशासित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 का नियम 12, सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी के संबंध में सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर हकदारी से संबंधित है। इस नियम के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी द्वारा बीस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने के पश्चात किसी भी समय, वह नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में तीन मास से अन्यून का सूचना देकर सेवा से सेवानिवृत्त हो सकता है।

3. उप-नियम (1) के अधीन दिए गए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृति की अपेक्षा होगी। तथापि, जहां नियुक्ति प्राधिकारी कथित नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व सेवानिवृत्ति की अनुज्ञा प्रदान करने से इनकार नहीं करता है, सेवानिवृत्ति कथित अवधि की समाप्ति की तारीख से प्रभावी हो जाएगी।

4. सरकारी कर्मचारी, नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में कारण देते हुए, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तीन मास के कम के नोटिस को स्वीकार करने के लिए अनुरोध कर सकेगा। ऐसे अनुरोध की अभिप्राप्ति होने पर नियुक्ति प्राधिकारी, योग्यता के आधार पर तीन मास के नोटिस की अवधि कम करने के ऐसे अनुरोध पर विचार कर सकेगा और यदि उसका समाधान हो जाता है कि नोटिस की अवधि के घटने से कोई प्रशासनिक असुविधा नहीं होगी, नियुक्ति प्राधिकारी तीन मास के नोटिस की अपेक्षा को शिथिल कर सकता है।

5. ऐसा सरकारी कर्मचारी, जो इस नियम के अधीन सेवानिवृत्त होना चाहता है और जिसने नियुक्ति प्राधिकारी को इस आशय का आवश्यक नोटिस दिया है, को ऐसे प्राधिकारी के विशिष्ट अनुमोदन के अतिरिक्त, अपने नोटिस को वापस लेने से रोक दिया जाएगा। तथापि, वापसी के लिए अनुरोध उनकी सेवानिवृत्ति की आशयित तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व किया गया हो।

जारी -

6. यह नियम ऐसे सरकारी कर्मचारी पर लागू नहीं होगा,जो -

(क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधिशेष कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित तारीक 28 फरवरी, 2002 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 25013/6/2001-स्था(ए) द्वारा अधिसूचित, समय-समय पर यथासंशोधित, विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त होता है; या

(ख) स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलित होने के लिए सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होता है।

7. सरकारी कर्मचारी, सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अंतर्गत अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाले अभिदाता को स्वीकार्य हितलाभों का हकदार होगा।

8. यदि सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को जारी रखने या हितलाभों के भुगतान को आस्थगित करने का इच्छुक है, तो वह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार इस संबंध में एक विकल्प का प्रयोग करेगा।

9. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी के संबंध में सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर हकदारी संबंधी उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली मामलों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(एस.चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)

No. - 57/03/2022-P&PW(B)/8361(5)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 11th October, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Entitlement on voluntary retirement from Government service in respect of Central Government servant covered under the National Pension System.

The undersigned is directed to say that the Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 to govern the service related matters of Central Government civil employees covered under the National Pension System.

2. Rule 12 of the Central Civil Services (Implementation of NPS) Rules, 2021 provides for voluntary retirement from service and entitlement on voluntary retirement from Government service in respect of a Central Government servant covered under National Pension System. The rule provides that at any time after a Central Government employee covered under NPS has completed twenty years' regular service, he may, by giving notice of not less than three months in writing to the appointing authority, retire from service.

3. The notice of voluntary retirement given under sub-rule (1) shall require acceptance by the appointing authority. However, where the appointing authority does not refuse to grant the permission for retirement before the expiry of the period specified in the said notice, the retirement shall become effective from the date of expiry of the said period.

4. Government servant may make a request in writing to the appointing authority to accept notice of voluntary retirement of less than three months giving reasons therefore. The appointing authority, on receipt of such a request, may consider the request for curtailment of the period of notice of three months on merits and if he is satisfied that the curtailment of the period of notice will not cause any administrative inconvenience, the appointing authority may relax the requirement of notice of three months.

5. Government servant who has chosen to retire under this rule and has given the necessary notice to that effect to the appointing authority, shall be precluded from withdrawing his notice except with the specific approval of such authority. However, the request for withdrawal shall be made at least fifteen days before the intended date of his retirement.

Contd.

6. This rule shall not apply to a Government servant who, -

(a) retires under the Special Voluntary retirement Scheme of Department of Personnel and Training relating to voluntary retirement of surplus employees as notified by their Office Memorandum No. 25013/6/2001-Estt. (A) dated the 28th February, 2002 as amended from time to time; or
(b) retires from Government service for being absorbed in an autonomous body or a public sector undertaking.

7. Government servant, on voluntary retirement from service, shall be entitled to benefits admissible under the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015 to the Subscriber retiring on superannuation.

8. If the Government servant intends to continue his Individual Pension Account or to defer payment of benefits under the National Pension System beyond the date of retirement, he shall exercise an option in this regard in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015.

9. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding entitlement on voluntary retirement from Government service in respect of a Central Government servant covered under the National Pension System may be brought to the notice of the personnel dealing with the NPS matters of employees in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

सं.-57/03/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8361(6)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक : 11 अक्तूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी के संबंध में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत संचित पेंशन कॉर्पस पर, अनिवार्य सेवानिवृत्ति या पदच्युति या सरकारी सेवा से हटाए जाने का प्रभाव-संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को प्रशासित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 का नियम 18, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी के संबंध में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत संचित पेंशन कॉर्पस पर, उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति या पदच्युति या सरकारी सेवा से हटाए जाने के प्रभाव से संबंधित है।

3. इस नियम के अनुसार यदि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किया गया, कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी, सरकारी सेवा से शास्ति स्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत होता है या पदच्युत या हटा दिया जाता है, तो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसरण में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाता की अधिवर्षिता पूर्व निकासी के मामले में यथास्वीकार्य अभिदाता की संचित पेंशन कॉर्पस से एकमुश्त और वार्षिकी राशि संदेय होगी।

4. तथापि, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारी, अपने विकल्प पर, एक गैर-सरकारी अभिदाता के रूप में उसी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाय करना जारी रख सकेगा।

5. उपरोक्त उपबंध, तथापि, इन नियमों द्वारा कवर नहीं किए गए उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के संबंध में, ऐसे मामलों में की गई किसी भी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा और वे हितलाभ, ऐसे नियमों के अनुसरण में विनियमित किए जा सकेंगे, जो ऐसे हितलाभों पर लागू होते हैं।

जारी.

6. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के संबंध में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत संचित पेंशन कॉर्पस पर, सरकारी कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति या पदच्युति या सरकारी सेवा से हटाए जाने के प्रभाव से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली मामलों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(एस.चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)

No. - 57/03/2022-P&PW(B)/8361(6)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 11th October, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Effect of compulsory retirement or dismissal or removal from Government service on the accumulated pension corpus under NPS in respect of Central Government servant covered under the National Pension System -reg.

The undersigned is directed to say that the Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 to govern the service related matters of Central Government civil employees covered under the National Pension System.

2. Rule 18 of the Central Civil Services (Implementation of NPS) Rules, 2021 provides for effect of compulsory retirement or dismissal or removal from Government service on the accumulated pension corpus under NPS in respect of Central Government Civil employees covered under NPS.

3. The rule provides that where a Central Government employee covered under NPS is compulsorily retired from service as a penalty or is dismissed or removed from Government service, the lump sum and the annuity out of his accumulated pension corpus shall be paid to him in accordance with the regulations notified by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) payable to the Subscriber as admissible in the case of exit of a Subscriber from the National Pension System before superannuation.

4. However, the Government employee, at his option, may continue to subscribe to the National Pension System with the same Permanent Retirement Account Number as a non-Government subscriber, in accordance with the regulations notified by the Authority.

5. The above provisions shall, however, be without prejudice to any action being taken in such cases in respect of gratuity and other retirement benefits not covered by these rules and those benefits shall be regulated in accordance with the rules as applicable to such benefits.

6. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding effect of compulsory retirement or dismissal or removal from Government service on the accumulated pension corpus under NPS in respect of Central Government Civil employees covered under the NPS may be brought to the notice of the personnel dealing with the NPS matters of employees in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

11/15/2022-पी&पीडब्ल्यू(एच)-8363

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन,

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक :११-10-2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन मामले पर कार्रवाई होने के पश्चात, किसी ऐसी घटना के बारे में, जिसका पेंशन या किन्हीं सरकारी शोध्यों से संबंध है, लेखा अधिकारी को प्रज्ञापना देने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 61 में, किसी ऐसी घटना के बारे में, जिसका पेंशन या किन्हीं सरकारी शोध्यों से संबंध है, लेखा अधिकारी को प्रज्ञापना देने के लिए, कार्यालय अध्यक्ष की भूमिका स्पष्ट की गई है। नियम 61 के अनुसार, पेंशन मामले को लेखा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात कार्यालय अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की जानी अपेक्षित है :-

(1) यदि, नियम 60 के अधीन पेंशन मामले और पेंशन पत्रों को लेखा अधिकारी को भेज देने के पश्चात कोई ऐसी घटना घटती है जिसका संबंध अनुज्ञेय पेंशन की रकम से है, तो इस तथ्य की रिपोर्ट कार्यालय अध्यक्ष द्वारा लेखा अधिकारी को तुरंत की जाएगी।

(2) यदि, नियम 60 के उप-नियम(2) के अधीन लेखा अधिकारी को सरकारी शोध्यों की विशिष्टियों की प्रज्ञापना देने के पश्चात कोई अतिरिक्त सरकारी शोध्य कार्यालय अध्यक्ष की जानकारी में आते हैं, तो ऐसे शोध्यों की लेखा अधिकारी को तुरंत रिपोर्ट की जाएगी।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 61 के उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(सुभाष चंदर)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 24644631

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

11/15/2022-P&PW(II)-8363
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110 003
Date: 11-10-2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: **Intimation to Accounts Officer regarding any event having bearing on pension or any Government dues after processing of pension case under the CCS (Pension) Rules, 2021-reg.**

The undersigned is directed to say that the Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.

2. Rule 61 of CCS (Pension) Rules, 2021 stipulates the role of Head of Office towards the intimation to Accounts Officer regarding any event having bearing on pension or any Government dues. In accordance with Rule 61, following actions needs to be taken by Head of Office after submission of pension case to the Accounts Officer:

(1) If, after the pension case and pension papers have been forwarded to the Accounts Officer under Rule 60, any event occurs which has a bearing on the amount of pension admissible, the fact shall be promptly reported to the Accounts Officer by the Head of Office.

(2) If, after the particulars of Government dues have been intimated to the Accounts Officer under sub-rule (2) of Rule 60, any additional Government dues come to the notice of the Head of Office, such dues shall be promptly reported to the Accounts Officer.

3. All Ministries/Departments are requested that the above provisions of Rule 61 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(Subhash Chander)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele. No. 24644631

To

All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list)

25926

सं.28/04/2024-पी&पीडब्ल्यू(आई)/क्यूएस/10145

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक : 11 अक्तूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन बहाली पर विगत सेवा की गणना।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 25 के अनुसार, ऐसा सरकारी कर्मचारी, जो सेवा से पदच्युत कर दिया गया था, हटा दिया गया था अथवा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था, और तत्पश्चात् अपील पर या पुनर्विलोकन पर बहाल कर दिया गया है, अपनी विगत सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में कराने का हकदार है।

2. यथास्थिति, पदच्युति, हटाए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख तथा बहाली की तारीख के बीच सेवा में जितनी अवधि का व्यवधान हुआ है, उस अवधि और निलंबन की, यदि कोई हो, अवधि की **गणना तब तक अर्हक सेवा के रूप में नहीं की जाएगी**, जब तक उसे उस प्राधिकारी के, जिसने बहाली का आदेश पारित किया था, किसी विनिर्दिष्ट आदेश द्वारा कर्त्तव्य अथवा छुट्टी के रूप में विनियमित नहीं कर दिया जाता।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन बहाली पर विगत सेवा की गणना संबंधी उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

समीन अंसारी

(समीन अंसारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन

(मानक सूची के अनुसार)

No. 28/04/2024-P&PW(I)/QS/10145
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market
New Delhi, Dated the 11th October, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Counting of past service on reinstatement under the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. In accordance with Rule 25 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021, if a Government servant who was dismissed, removed or compulsorily retired from service, and is subsequently reinstated on appeal or review, is entitled to count his past service as qualifying service.

2. The period of interruption in service between the date of dismissal, removal or compulsory retirement, as the case may be, and the date of reinstatement, and the period of suspension, if any, **shall not count** as qualifying service unless regularized as duty or leave by a specific order of the authority which passed the order of reinstatement.

3. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding Counting of past service on reinstatement under the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

समीन अंसारी

(Samin Ansari)
Under Secretary to the Govt. of India

To All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

सं.28/04/2024-पी&पीडब्ल्यू(आई)/क्यूएस/10145

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक : 11 अक्तूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पुनर्नियोजित सरकारी सेवकों की दशा में सेवानिवृत्ति पूर्व सिविल सेवा की गणना।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 19 के अनुसार और इस विभाग के दिनांक 02.10.2022 के का.ज्ञा.सं.28/90/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8297 के क्रम में, ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जिसने पेंशन जारी रखने या अपनी पूर्व सेवा के लिए अनुज्ञेय उपदान को प्रतिधारित करने का विकल्प दिया था, और उस दशा में उसकी पूर्व सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में नहीं की जाएगी, तो उसकी पश्चात्वर्ती सेवा के लिए अनुज्ञेय पेंशन या उपदान इस परिसीमा के अध्यधीन है कि सेवा उपदान अथवा पेंशन का पूंजी मूल्य और सेवानिवृत्ति उपदान, यदि कोई हो, पेंशन के मूल्य और सेवानिवृत्ति उपदान के, यदि कोई हो, जो यदि सेवा की दोनों अवधियां मिला दी जाएं तो, सरकारी कर्मचारी के अंतिम रूप से सेवानिवृत्त होने के समय उसे अनुज्ञेय हो तथा पहले की सेवा के लिए उसे पहले से ही अनुदत्त सेवानिवृत्ति हितलाभों के मूल्य के अंतर से अधिक नहीं होगा।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पुनर्नियोजित सरकारी सेवकों की दशा में सेवानिवृत्ति पूर्व सिविल सेवा की गणना संबंधी उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

समीन अंसारी

(समीन अंसारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन

(मानक सूची के अनुसार)

No. 28/04/2024-P&PW(I)/QS/10145
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market
New Delhi, Dated the 11th October, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Counting of pre-retirement civil service in the case of re-employed Government servants under the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.

2. In accordance with Rule 19 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021 and in continuation of this Department O.M. No. 28/90/2022-P&PW(B)/8297 dated 02.10.2022, in the case of a Government servant who opted to continue to draw the pension or retain the gratuity sanctioned for his earlier service, and in whose case his former service was not to be counted as qualifying service, the pension or gratuity admissible for his subsequent service is subject to the limitation that service gratuity, or the capital value of the pension and retirement gratuity, if any, shall not be greater than the difference between the value of the pension and retirement gratuity, if any, that would be admissible at the time of the Government servant's final retirement if the two periods of service were combined and the value of retirement benefits already granted to him for the previous service.

3. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding Counting of pre-retirement civil service in the case of re-employed Government servants under the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

(Samin Ansari)
Under Secretary to the Govt. of India

To All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

सं.28/04/2024-पी&पीडब्ल्यू(आई)/क्यूएस/10145

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक : 11 अक्तूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन सिविल नियोजन से पूर्व की गई सैन्य सेवा की गणना।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 20 के अनुसार और इस विभाग के दिनांक 02.10.2022 के का.ज्ञा.सं.28/90/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8297 के क्रम में, जहां केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के अधीन ऐसा कोई आदेश पारित किया गया हो जिसमें यह अनुज्ञा दी गई हो कि पहले की गई सैनिक सेवा की गणना सिविल पेंशन के लिए अर्हक सेवा के एक भाग के रूप में की जाएगी तब उस आदेश के बारे में यह समझा जाएगा कि उसमें सैनिक सेवा में और सैनिक तथा सिविल सेवा के बीच सेवा में व्यवधान, यदि कोई हो, का माफ किया जाना सम्मिलित है।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन सिविल नियोजन से पूर्व की गई सैन्य सेवा की गणना संबंधी उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

समीन अंसारी

(समीन अंसारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन

(मानक सूची के अनुसार)

No. 28/04/2024-P&PW(I)/QS/10145
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market
New Delhi, Dated the 11th October, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Counting of military service rendered before civil employment under the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.

2. In accordance with Rule 20 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021 and in continuation of this Department O.M. No. 28/90/2022-P&PW(B)/8297 dated 02.10.2022, Where an order was passed under the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 allowing previous military service to count as part of the service qualifying for civil pension, the order shall be deemed to include the condonation of interruption in service, if any, in the military service and between the military and civil services.

3. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding Counting of military service rendered before civil employment under the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.

समीन अंसारी
(Samin Ansari)
Under Secretary to the Govt. of India

To All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

सं.- 57/02/2021-पी&पीडबल्यू(बी)/7138

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक : 14.10.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निरीक्षण तंत्र(एनपीएस ओएसएम) ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन की स्थिति पर छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी, व्यय विभाग के दिनांक 02.07.2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(24)/ईवी/2016 द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसरण में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निरीक्षण तंत्र ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन की स्थिति पर अक्टूबर, 2023 से मार्च, 2024 की छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में इस विभाग के दिनांक 04.06.2024 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ लेने का अनुरोध करते हैं।

2. उपर्युक्त अनुदेशों में यह सलाह दी गई है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(एनपीएस) अंशदानों की उचित निगरानी सुनिश्चित करने और उस राशि का नियमित रूप से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों में जमा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में एनपीएस निरीक्षण तंत्र स्थापित किया जाएगा और पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को एक छमाही रिपोर्ट भेजी जाए।

3. इस विभाग के दिनांक 07.06.2021 के पत्र द्वारा छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक निर्धारित फॉरमेट भी परिचालित किया गया। इसके अतिरिक्त, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने और अधिक सुविधा के लिए एक पोर्टल विकसित किया जिसका URL https://pensionersportal.gov.in/NPS है। साथ ही इस पत्र में, इस विभाग के पोर्टल को हैंडल करने वाले नोडल अधिकारियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने और उक्त पोर्टल के माध्यम से छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। पोर्टल को हैंडल करने के लिए एक उपयोगकर्ता पुस्तिका भी उपलब्ध कराई गई थी।

4. 50 मंत्रालयों/विभागों ने अपने नोडल अधिकारियों के ब्यौरे प्रस्तुत किए जिन्हें इस विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त, पिछली छमाही अवधि के दौरान 34 मंत्रालयों/विभागों ने पोर्टल के माध्यम से अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत की। अब, अप्रैल, 2024 से सितंबर, 2024 तक की छमाही अवधि के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।

5. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निरीक्षण तंत्र(एनपीएस ओएसएम) ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, अप्रैल, 2024 से सितंबर, 2024 तक की अवधि के लिए अपनी छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(ध्रुवज्योति सेनगुप्ता)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

वित्तीय सलाहकार,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

No.- 57/02/2021-P&PW(B)/7138
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi, Dated: 14.10.2024

Office Memorandum

Subject: Submission of six-monthly report on status of implementation of NPS through the NPS oversight mechanism online portal - reg.

Undersigned requests to refer to this Department's O.M. of even number dated 04.06.2024 regarding submission of six-monthly report of NPS through the NPS OSM Portal for October, 2023 to March, 2024 pursuant to the instructions of Department of Expenditure vide OM No. 1(24)/EV/2016 dated 02.07.2019.

2. It is advised in the aforesaid instructions that an NPS oversight mechanism would be set up in each Ministry/Department to ensure proper monitoring of NPS contributions and ensuring that the same are regularly getting credited into the individual accounts of the employees covered under NPS and a 6- monthly status report may be sent to the DoPPW.

3. This Department circulated vide letter dated 07.06.2021 a prescribed format for the said report. Further DoPPW developed a portal with URL **https://pensionersportal.gov.in/NPS** for further facilitation. It was requested to furnish details of Nodal officers who would be handling the portal to this Department and also to submit the six monthly reports through the said portal. An user manual for handling the portal was also provided.

4. 50 Ministries/Departments have furnished details of Nodal officers who have been registered on the portal by this Department. Further 34 Ministries/Departments submitted their report online through the portal during the last six-monthly period. Now, report for the six-monthly period from April, 2024 to September, 2024 is due for submission.

5. In view of the above, all Ministries/Departments are requested to submit their six monthly reports for the period April, 2024 to September, 2024 through the NPS OSM portal.

14/10/2024

(Dhrubajyoti Sengupta)
Joint Secretary to the Government of India

Financial Advisors,
All Ministries / Departments

सं. 57/06/2021-पी&पीडब्ल्यू(बी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्केट

नई दिल्ली, दिनांक : 14 अक्टूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 की अधिसूचना से पूर्व, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी की मृत्यु अथवा नि:शक्तता या अशक्तता होने के कारण सेवा से कार्यमुक्त किए जाने की दशा में, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के अधीन हितलाभ प्राप्त करने पर कर्मचारी के हिस्से तथा उस पर रिटर्न की वापसी-संबंधी

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 22.12.2003 की अधिसूचना सं.5/7/2003-ईसीबी&पीआर द्वारा नई पेंशन योजना (जिसे अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कहा जाता है)(एनपीएस) लागू की गई थी। 1 जनवरी 2004 से, सशस्त्र बलों को छोड़कर, केंद्र सरकार की सेवा में भर्ती होने वाले सभी नए कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अनिवार्य किया गया। इसके साथ ही, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 और केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 में संशोधन किया गया ताकि इन नियमों को दिनांक 31.12.2003 को या उससे पूर्व नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू किया जा सके।

2. तथापि, दिनांक 01.01.2004 को या उसके पश्चात नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के समक्ष पेश आ रही कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, इस विभाग के दिनांक 05.05.2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/41/06/पीएंडपीडब्लू(ए) द्वारा, यथास्थिति, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमों के हितलाभ, एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने या अशक्तता/नि:शक्तता होने के कारण सेवा से कार्यमुक्त किए जाने की दशा में, अनंतिम आधार पर विस्तारित किए गए थे। चूंकि ये हितलाभ अनंतिम प्रकृति के थे, भावी विरचित नियमों के अनुसार संदत्त अंतिम भुगतानों के सापेक्ष समायोजन के अध्यधीन थे।

3. तत्पश्चात, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण(पीएफआरडीए) ने दिनांक 11.05.2015 को पीएफआरडीए अधिनियम के अधीन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 अधिसूचित किया, जिसमें यह उपबंधित है कि यदि अभिदाता या अभिदाता की मृत्यु पर उसके कुटुंब के सदस्य, सरकार द्वारा यथा उपबंधित, मृत्यु या नि:शक्तता संबंधी अतिरिक्त अनुतोष के विकल्प का प्रयोग करते हैं तो सरकार को अभिदाता का संपूर्ण संचित धन अपने पास समायोजित करने या अंतरण किए जाने का अधिकार होगा। अत:, सरकारी कर्मचारी या उसके कुटुंब के सदस्यों द्वारा, यथास्थिति, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के अधीन हितलाभ प्राप्त करने पर, एनपीएस के अधीन संपूर्ण संचित पेंशन कॉर्पस सरकारी खाते में अंतरित कर दिया गया।

जारी -

4. तत्पश्चात, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बाबत सेवा संबंधी मामलों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया। इन नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंधित है कि अभिदाता की मृत्यु हो जाने अथवा अशक्तता या नि:शक्तता के कारण सेवा से कार्यमुक्त किए जाने पर, केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 या केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के अधीन कुटुंब के सदस्यों/सरकारी कर्मचारी को हितलाभ संदेय हैं, तो अभिदाता के संचित पेंशन कॉर्पस में सरकार का अंशदान और उस पर मिलने वाला रिटर्न सरकारी खाते में अंतरित कर दिया जाएगा। शेष संचित पेंशन राशि का भुगतान, यथास्थिति, सरकारी कर्मचारी या उस व्यक्ति/व्यक्तियों को एकमुश्त किया जाएगा, जिनके पक्ष में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अधीन नामनिर्देशन किया गया है।

5. केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 राजपत्र में अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 31.03.2021 से लागू होगी।

6. व्यय विभाग और लेखा महानियंत्रक के साथ परामर्श करके मामले की जांच की गई है। यह निर्णय लिया गया है कि एनपीएस कर्मचारियों से संबंधित मामलों में, जहां सरकारी कर्मचारी या उसके कुटुंब के सदस्यों को पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 05.05.2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/41/06-पीएंडपीडब्लू(ए) के अनुसरण में एनपीएस के स्थान पर केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के अधीन हितलाभ दिया गया था और एनपीएस के अधीन संपूर्ण संचित पेंशन तथा कॉर्पस को सरकारी खाते में अंतरित कर दिया गया था, अभिदाता के संचित पेंशन कॉर्पस में से केवल सरकारी अंशदान तथा उस पर रिटर्न को सरकारी खाते में रखा जाएगा और शेष राशि, यथास्थिति, सरकारी कर्मचारी या नामनिर्देशित व्यक्ति(यों) या कानूनी उत्तराधिकारी(यों) को वापस कर दी जाएगी, जैसाकि केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 में उपबंधित है।

7. ये आदेश दिनांक 01.01.2004 से प्रभावी होंगे। कर्मचारी का अंशदान, उस पर रिटर्न सहित, मृत्यु होने/बोर्डिंग आउट होने की तारीख से लेकर उस राशि के भुगतान की तारीख तक की अवधि के लिए, समय-समय पर लोक भविष्य निधि जमा पर लागू दरों और रीति से संगणित ब्याज सहित यथास्थिति, नामनिर्देशिती(यों)/कानूनी उत्तराधिकारी(यों)/सरकारी कर्मचारी को लौटाया जाएगा।

8. एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों से संबंधित मामलों में, जहां सरकारी कर्मचारी या उसके कुटुंब के सदस्यों को पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 05.05.2009 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के अधीन हितलाभ प्रदान किए गए और उन्हें सरकारी कर्मचारी के एनपीएस के अंतर्गत संचित पेंशन कॉर्पस से भी हितलाभ प्रदान किए गए, पेंशन नियमों के अंतर्गत पेंशन का हितलाभ प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारी या उसके कुटुंब के सदस्य को (ऐसे मामलों में जहां एनपीएस संचय सरकारी खाते में जमा नहीं किए गए थे या पेंशन नियमों के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त करने के लिए सरकारी खाते में पहले से वापस नहीं किए गए थे) एनपीएस से निकासी के समय संचित पेंशन कॉर्पस में से सरकारी अंशदान, उस पर रिटर्न सहित और ब्याज (सरकारी खाते में जमा करने की तारीख तक) के साथ वापस करना होगा, जिसकी संगणना उसी

जारी

दर और रीति से की जाएगी, जैसाकि पेंशन नियमों के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त करना जारी रखने के लिए समय-समय पर लागू सामान्य भविष्य निधि के मामले में लागू है।

9. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय द्वारा उनके दिनांक 23.03.2023 के आईडी नोट संख्या 648/91- जीए/2014 और लेखा महानियंत्रक द्वारा उनके दिनांक 31.03.2023 के यूओ नोट संख्या टीए-3-6/3/2020-टीए- III/सीएस-4308/138 द्वारा, कर्मचारियों के हिस्से और उस पर रिटर्न, अद्यतित ब्याज सहित वापस करने के लिए, यथाप्रदत्त लेखा प्रक्रिया अनुलग्नक-क में संलग्न है।

10. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इन आदेशों की विषय-वस्तु को लेखा नियंत्रक/वेतन एवं लेखा अधिकारियों तथा अपने अधीन संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों के संज्ञान में लाएं।

11. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 17.01.2022 के आईडी नोट संख्या 1(15)/ईवी/2021 के परामर्श से तथा लेखा महानियंत्रक के दिनांक 22.04.2022 के आईडी नोट संख्या टीए-3-6/3/2020-टीए-III/सीएस-4308 के परामर्श से जारी किया जाता है।

12. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कार्मिकों के संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन यथाअधिदेशित, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करने के पश्चात जारी किए जाते हैं।

(एस. चक्रबर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली।
4. रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।
5. वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली।
6. सीजीए, व्यय विभाग, आईएनए, नई दिल्ली।
7. एनआईसी को इस विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

अनुलग्नक - क

दिनांक 03.10.2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 57/06/2021-पी&पीडबल्यू(बी) के पैरा (9) में संदर्भित लेखा प्रक्रिया

लेखा प्रक्रिया केवल ऐसे नामनिर्देशित व्यक्ति/सरकारी कर्मचारियों को, कर्मचारी के हिस्से की, उस पर रिटर्न सहित वापसी करने और अद्यतन ब्याज का संदाय करने के लिए की जाएगी, जिन्होंने पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 05.05.2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/41/06-पी&पीडब्लू (ए) के संदर्भ में, केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 की अधिसूचना से पूर्व राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(एनपीएस) के अंतर्गत कवर किए गए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने अथवा अशक्तता या नि:शक्तता होने पर सेवा से कार्यमुक्त किए जाने की दशा में, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के अधीन हितलाभ प्राप्त किया था। यह प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :

1. ऐसे कर्मचारियों की बाबत जिनकी अनंतिम पेंशन या कुटुंब पेंशन का संदाय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 05.05.2009 के कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में पहले से ही किया जा रहा था, पीएफआरडीए से प्राप्त कर्मचारी अंशदान और उस पर रिटर्न सहित नियोक्ता अंशदान की पूरी रकम "एमएच-0071-अंशदान और वसूली पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ। 01-सिविल, 101-अभिदान और अंशदान, 01-एनपीएस अभिदाताओं की बाबत संचित पेंशन धन" में जमा की गई थी।

2. कार्यालय अध्यक्ष/आहरण एवं संवितरण अधिकारी, कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड, सरकारी खातों(अर्थात एमएच 0071-अंशदान और वसूली एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ, 01-सिविल, 101-अभिदान और अंशदान, 01-एनपीएस अभिदाताओं की बाबत संचित पेंशन धन) में जमा एनपीएस संचित विवरण दर्शाने वाले चालान की प्रति और कर्मचारियों के अन्य विवरण जैसे प्रान(PRAN), अंशदान की अवधि, कर्मचारी की अशक्तता या मृत्यु की तारीख आदि की पुष्टि करते हुए राशि(कर्मचारी अंशदान और उस पर रिटर्न) का द्विभाजन करेंगे।

3. आहरण एवं संवितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा सुझाए गए एनपीएस संचयों का विवरण एनएसडीएल द्वारा प्रदत्त विवरणों से मेल खाता है या पीएफआरडीए के गठन से पूर्व सरकारी रिकॉर्डों से मेल खाता है। इस राशि का मिलान वेतन एवं लेखा अधिकारी के पास उपलब्ध आंकड़ों से भी किया जाए।

4. वेतन एवं लेखा अधिकारी एक अंतरण प्रविष्टि तैयार करेगा और कर्मचारी अंशदान की द्विभाजन राशि और कर्मचारी अंशदान पर रिटर्न को मूल रूप से जमा किए गए शीर्ष (अर्थात एमएच 0071-अंशदान और वसूली एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ) से "एमएच 8342- अन्य जमा, 117- सरकार के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" में अंतरित करेगा।

5. संचित निधि के भुगतान की प्रस्तावित तारीख तक द्विभाजन राशि (अर्थात कर्मचारी का अंशदान और कर्मचारी के अंशदान पर रिटर्न) पर ब्याज की संगणना संबंधित कर्मचारियों के आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा की जाएगी।

6. ब्याज की संगणना को संबंधित वेतन एवं लेखा अधिकारी द्वारा एक प्राधिकारी के रूप में सत्यापित किया जाएगा।

7. वेतन एवं लेखा अधिकारी शीर्ष "एमएच-2049-ब्याज का भुगतान, 60-अन्य दायित्वों पर ब्याज, 101-जमा पर ब्याज, 29-परिभाषित अंशदान पेंशन योजना पर ब्याज। 01-टियर-1 के अंतर्गत अंशदान पर ब्याज" को डेबिट करते हुए और "एमएच 8342-अन्य जमा, 117- सरकार के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना, 01-टियर-1 के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी का अंशदान" को क्रेडिट करते हुए ब्याज राशि की अपेक्षित लेखा प्रविष्टि करेगा।

8. ब्याज की संगणना करने और वेतन एवं लेखा अधिकारी से सत्यापित होने के पश्चात, आहरण एवं संवितरण अधिकारी कुल राशि का बिल तैयार करेगा और वेतन एवं लेखा अधिकारी को भेजेगा जिसमें कर्मचारियों के विवरण जैसे कि प्रान(PRAN) और द्विभाजन राशि, ब्याज राशि आदि का स्पष्ट उल्लेख होगा।

9. वेतन एवं लेखा अधिकारी अपने पास उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर बिल राशि की पुष्टि करेगा।

10. वेतन एवं लेखा अधिकारी "8342-अन्य जमा, 117-सरकार के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना, 01-टियर-1 के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी का अंशदान" शीर्ष को डेबिट करते हुए बिल का भुगतान करेगा।

11. वेतन एवं लेखा अधिकारी संबंधित एनपीएस कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड में अपेक्षित प्रविष्टि भी करेगा।

- - -

No. 57/06/2021-P&PW (B)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension
Department of Pension and Pensioners' Welfare

Lok Nayak Bhawan, Khan Market
New Delhi, Dated 14th October, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Refund of employee's share with returns thereon on availing benefits under CCS (Pension) Rules, 1972 or CCS (EoP) Rules, 1939 in the event of death of a Central Government employee covered under National Pension System or his discharge on the ground of disablement or invalidation prior to notification of the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 - reg.

The undersigned is directed to say that the New Pension Scheme (now called as National Pension System) (NPS) was introduced vide Ministry of Finance, Department of Economic Affairs' notification No. 5/7/2003-ECB & PR dated 22.12.2003. It was provided that NPS would be mandatory for all new recruits to the Central Government service from 1st of January 2004 except the Armed Forces. Simultaneously, the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 and the CCS (Extraordinary Pension) Rules, 1939 were amended to provide that those rules would be applicable to the Government servants appointed on or before 31.12.2003.

2. However, considering the hardship being faced by the Government servants appointed on or after 01.01.2004, benefits of CCS (Pension) Rules, 1972 or CCS (Extraordinary Pension) Rules, 1939 as the case may be, were extended on provisional basis, in the event of death of Government servant covered by NPS or his discharge from service on invalidation / disablement, vide this Department's OM No. 38/41/06/P&PW(A) dated 05.05.2009. These benefits being provisional in nature, were subject to adjustment against the final payments to be made in accordance with the Rules to be framed.

3. Thereafter, PFRDA notified PFRDA (Exits and Withdrawals under NPS) Regulation, 2015 under PFRDA Act on 11.05.2015 which stipulates that if the subscriber or the family members of the deceased subscriber, upon his death, avails the option of additional relief on death or disability provided by the Government, the Government shall have right to adjust or seek transfer of the entire accumulated pension wealth of subscriber to itself. Therefore, on availing benefits under CCS (Pension) Rules, 1972 or CCS (Extraordinary Pension) Rules, 1939, as the case may be, by the Government employee or the family members, the entire accumulated pension corpus under NPS was transferred into the Government account.

Contd.

4. Subsequently, Department of Pension and Pensioners' Welfare notified Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 to regulate service related matters in respect to Central Government employees covered under National Pension System. These rules inter-alia provides that if on death of the Subscriber or his discharge from service on invalidation or disablement, benefits are payable to the family members / Government servant under the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, 1939 or the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, the Government contribution and returns thereon in the accumulated pension corpus of the Subscriber shall be transferred to Government account. The remaining accumulated pension corpus shall be paid in lump sum to the Government servant or the person(s) in whose favour a nomination has been made under the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015, as the case may be.

5. The CCS (Implementation of NPS) Rules, 2021 are applicable from the date of their notification in the official Gazette i.e. 31.03.2021.

6. The matter has been examined in consultation with Department of Expenditure and Controller General of Accounts. It has been decided that in the cases relating to NPS employees, where Government servant or the family members had been granted benefits under CCS (Pension) Rules, 1972 or CCS (EOP) Rules, 1939 in place of NPS in accordance with the Department of Pension and Pensioners' Welfare OM No. 38/41/06-P&PW(A) dated 05.05.2009 and the entire accumulated pension corpus under NPS was transferred to the Government account, only the Government contribution with returns thereon in the accumulated pension corpus of the subscriber would be retained in Government account and remaining corpus would be paid back to the Government servant or nominee(s) or legal heir(s), as the case may be, as provided in the CCS (Implementation of NPS) Rules, 2021.

7. These orders shall take effect from 01.01.2004. The employee's contribution with returns thereon would be returned to the nominee(s) / legal heir(s) / Government servant, as the case may be, along with interest calculated for the period from the date of death / boarding out up to the date of payment of that amount, at rates and manner applicable to Public Provident Fund deposits from time to time.

8. In the cases related to Central Government employees covered under NPS, where Government servant or family members had been granted benefits under CCS(Pension) Rules, 1972 or CCS (EOP) Rules, 1939 in accordance with the Department of Pension and Pensioners' Welfare OM dated 05.05.2009 and has also been granted benefits from the accumulated pension corpus under NPS of the Government servant, the Government servant or the family member availing benefit of pension under pension rules **would require to refund** (in cases where NPS accumulations were not deposited into the Government account or not already refunded into Government account for availing benefit under pension rules) the Government contribution with return thereon in the accumulated pension corpus at the time of exit from NPS along with interest (upto the date of deposit in Government account) to be calculated at the same rate and manner as in the case of General Provident Fund applicable from time to time to continue to avail benefit under pension rules.

Contd.

9. The accounting procedure for refund of employee's share with return thereon along with up to date interest, as provided by Office of the Comptroller & Auditor General vide their ID note No. 648/91-GA/2014 dated 23.03.2023 and Controller General of Accounts vide their UO note No. TA-3-6/3/2020-TA-III/cs-4308/138 dated 31.03.2023 is attached at Annexure-A.

10. All Ministries / Departments are requested to bring the contents of these orders to the notice of Controller of Accounts/ Pay and Accounts Officers and Attached, Subordinate offices under them.

11. This issues in consultation with Ministry of Finance, Department of Expenditure vide their ID Note No. 1(15)/EV/2021 dated 17.01.2022 and in consultation with Controller General of Accounts vide their I.D. Note No. TA-3-6/3/2020-TA-III/cs-4308 dated 22.04.2022.

12. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Government of India

To,

1. All Central Government Ministries / Departments.
2. Department of Expenditure, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.
3. C&AG, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
4. Ministry of Railways, Railway Board, New Delhi.
5. Department of Financial Services, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi.
6. CGA, Department of Expenditure, INA, New Delhi.
7. NIC for posting on the website of this Department.

Annexure-A

Accounting procedure as referred to in para (9) of the OM No. 57/06/2021-P&PW(B) dated 03.10.2024

The accounting procedure will be followed only for refund of employees share with return thereon and up to date interest to the nominee / Government Servants who had availed benefit under CCS (Pension) Rules, 1972 or CCS (EOP) Rules, 1939 in term of DOP&PW OM No. 38/41/06-P&PW(A) dated 05.05.2009, in the event of death of discharge on their disablement or invalidation of Government Servant covered under National Pension System (NPS) prior to notification of CCS (Implementation of NPS) Rules, 2021. The procedure would be as under:

1. In respect of employee whose provisional pension or family pension was already being paid in terms of DOP&PW OM dated 05.05.2009, the entire amount of employee's contribution and employer contribution with return thereon, as received from PFRDA was credited to "MH-0071-Contributions and Recoveries Pension and other Retirement Benefits. 01-Civil, 101-Subscriptions and Contributions, 01- Accumulated Pension Wealth in respect of NPS subscribers".

2. The Head of the Office / DDO shall work out the bifurcation of amount (employee's Contribution and return thereon) in confirmation with the service record of the employee, the copy of challan indicating details of NPS accumulated credited into Government Accounts (i.e. under MH 0071-Contribution and Recoveries and other retirement benefits, 01-Civil, 101-Subscription and Contributions, 01-Accumulated Pension Wealth in respect of NPS Subscribers) and other details of employees viz. PRAN, Period of Contribution, date of invalidation or death of employee etc.

3. DDO shall ensure that details of NPS accumulations so suggested by him tallies with the details provided by NSDL or match with Government records prior to constitution of PFRDA. The amount also needs to be reconciled with the figures available with the PAO.

4. PAO will prepare a Transfer Entry and transfer the bifurcation amount of employee contribution and return on employee contribution from the head originally credited (i.e. MH 0071-Contribution and Recoveries and other retirement benefits) to "MH 8342- Other Deposit, 117- Defined Contribution Pension Scheme for Government".

5. The interest on bifurcation amount (i.e. employee's contributions and return on employee's contribution) till proposed date of payment of accumulated fund shall be calculated by the DDO of the employees concerned.

6. The calculation of interest will be verified by the PAO concerned in the form of an authority.

Contd..

7. The PAO will make necessary accounting entry of interest amount by debiting the head "MH-2049-Interest payment, 60-Interest on other obligations, 101-Interest on Deposits, 29-Interest on defined Contribution Pension Scheme. 01-Interest on Contribution under Tier-1" and crediting the "MH 8342-Other Deposits, 117- Defined Contribution Pension Scheme for Government, 01- Government Servant Contribution under Tier-1".

8. After calculating the interest and got verified from PAO, the DDO shall prepare and prefer the bill of total amount to PAO clearly mentioning the employees details viz. PRAN and bifurcation amount interest amount etc.

9. The PAO shall confirm the bill amount on the basis of record available with them.

10. The PAO shall make payment of bill by debiting the head "8342-Other Deposit, 117-Defined Contribution Pension Scheme for Government, 01-Government Servant Contribution under Tier-1".

11. The PAO will also make necessary entry in service record of the concerned NPS employee.

***

सं.11(15)/2022-पी&पीडबल्यू(एच)-8363

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन,

खान मार्केट, नई दिल्ली,

दिनांक : 15th अक्तूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- विदेश में रहने वाले पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों की बाबत वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना।

केंद्र सरकार के प्रत्येक पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी को अपनी पेंशन/कुटुंब पेंशन आगे जारी रखने के लिए नवंबर माह में **वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र** प्रस्तुत करना होता है। विदेश में रहने वाले पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी के मामले में, जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित तरीके उपलब्ध हैं -

i. विदेश में रहने वाले और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किसी दूसरे बैंक के माध्यम से अपनी पेंशन/कुटुंब पेंशन आहरित करने वाले पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी के मामले में, बैंक के किसी अधिकारी द्वारा जीवन प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। बैंक के उपर्युक्त अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मिलती है।

ii. भारत में निवास नहीं करने वाले पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी, जिसका विधिवत अधिकृत एजेंट मजिस्ट्रेट, नोटरी, बैंकर या भारत के राजनयिक प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है, उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जाती है।

iii. पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत कर सकते हैं। https://jeevanpramaan.gov.in/

(सीपीएओ योजना पुस्तिका पैरा संख्या 14.3, पृष्ठ संख्या 38 - पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र - अधिकृत बैंकों द्वारा केंद्र सरकार के सिविल पेंशनभोगियों को पेंशन संदाय करने की योजना (*पांचवां संस्करण, जुलाई 2021*)

iv. एनआरआई पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों के मामले में, जो व्यक्तिगत पहचान के लिए भारत आने में असमर्थ हैं, उस देश, जहां पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी निवास कर रहा है, के भारतीय दूतावास/भारतीय उच्चायोग के अधिकृत अधिकारी या भारतीय वाणिज्य दूतावास के वाणिज्यदूत द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र के आधार पर पेंशन/कुटुंब पेंशन की अनुज्ञा दी जा सकती है। पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी के पीपीओ में चिपकाए गए फोटोग्राफ के आधार पर या पासपोर्ट या किसी अन्य ऐसे दस्तावेज पर चिपकाए गए फोटोग्राफ के आधार पर सत्यापन के बाद यह प्रमाणपत्र जारी किया जाए।

v. यदि पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास जाने में असमर्थ है, तो वह इस आशय का डॉक्टरी प्रमाणपत्र कि पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असमर्थ है, के साथ अपेक्षित दस्तावेज डाक द्वारा प्रेषित कर सकता है। भारतीय दूतावास/उच्चायोग/भारतीय वाणिज्य दूतावास भी पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाणपत्र जमा करने में सहायता कर सकता है।

(सीपीएओ योजना पुस्तिका पैरा संख्या 16, पृष्ठ 44 - एनआरआई पेंशनभोगियों को पेंशन का संदाय - अधिकृत बैंकों द्वारा केंद्र सरकार के सिविल पेंशनभोगियों को पेंशन संदाय करने की योजना (*पांचवां संस्करण, जुलाई 2021*)

(सुभाष चंदर)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि :

1. सचिव, सीपीवी और प्रवासी भारतीय मामले
2. सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग
3. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड
4. सचिव, भूतपूर्व सैनिक कल्याण
5. सचिव डाक
6. सचिव दूरसंचार
7. लेखा महानियंत्रक, व्यय विभाग
8. सभी पेंशन संवितरण बैंकों के सीएमडी/एमडी
9. सभी पेंशन संवितरण बैंकों के सीपीपीसी प्रमुख।
10. एनआईसी : - इस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. पेंशनर्स पोर्टल के अंतर्गत सभी पेंशनर्स एसोसिएशन: - पेंशनभोगियों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए।

F. No. 11(15)/2022-P&PW(H)-8363
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department to Pension & Pensioners' Welfare

3rd floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi
15th October, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Submission of Annual Life Certificate in respect of pensioners/family pensioners living abroad.

Every Central Government pensioner/family pensioner has to submit **Annual Life Certificate** in the month of November for further continuation of pension/family pension. In the case of a pensioner/family pensioner residing abroad, the following methods are available for submission of life certificate –

i. In the case of a pensioner/family pensioner residing abroad and drawing his pension/family pension through any bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934, the life certificate may be signed by an officer of the Bank. A pensioner/family pensioner gets exemption from personal appearance subject to production of Life Certificate signed by the above mentioned officer of the bank.

ii. A pensioner/family pensioner not residing in India in respect of whom his duly authorized agent produces a life certificate signed by a Magistrate, a Notary, a Banker or a Diplomatic Representative of India is exempted from personal appearance.

iii. Pensioner/family pensioner can also provide Digital Life Certificate online through Aadhaar based biometric authentication system. https://jeevanpramaan.gov.in/

(CPAO SCHEME BOOKLET PARA No. 14.3, pg 38 - CERTIFICATES TO BE FURNISHED BY THE PENSIONERS/FAMILY PENSIONERS - SCHEME FOR PAYMENT OF PENSIONS TO CENTRAL GOVERNMENT CIVIL PENSIONERS By AUTHORISED BANKS (Fifth Edition, July 2021)

iv. In case of NRI pensioners/family pensioners who are unable to come to India for personal identification, pension/family pension may be allowed on the basis of a certificate to be issued by an authorized official of the Indian Embassy/High Commission of India or Consul of Indian Consulate in the country where the pensioner/family pensioner is residing. This certificate is to be issued on verification of Pensioner/Family Pensioner on the basis of photograph pasted in

the PPO or on the basis of photograph pasted on the Passport or any other such document.

v. In case the pensioner/family pensioner is unable to visit the Embassy of India/Consulate, he/she may submit requisite documents by post to the Embassy/Consulate, including Doctor's Certificate showing the pensioner's/family pensioner's inability to present himself/herself in person. Embassy of India/High Commission/ Indian Consulate may also assist pensioners/family pensioners in submission of the Life Certificate.

(CPAO SCHEME BOOKLET PARA No. 16, pg. 44 - Payment of Pension to NRI Pensioners -SCHEME FOR PAYMENT OF PENSIONS To CENTRAL GOVERNMENT CIVIL PENSIONERS By AUTHORISED BANKS (Fifth Edition, July 2021)

(Subhash Chander)
Under Secretary to the Government of India

Copy to:

1. Secretary, CPV and Overseas Indian Affairs
2. Secretary Department of Financial Services
3. Chairman, Railway Board
4. Secretary, Ex-Servicemen Welfare
5. Secretary Posts
6. Secretary Telecom
7. Controller General of Accounts, Department of Expenditure
8. CMDs/MDs of all the Pension Disbursing Banks
9. Head of CPPCs of All Pension Disbursing Banks.
10. NIC: - for posting on website of this Department.
11. All Pensioners' Associations under Pensioners' Portal: - for giving vide publicity among pensioners.

सं. 55/13/2023-पी&पीडबल्यू(सी)(पार्ट 1)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोक नायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : 15.10.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की बाबत ऑनलाइन(भविष्य/ई-एचआरएमएस) के माध्यम से पेंशन मामलों को एकल पेंशन आवेदन प्ररूप 6-क में प्रस्तुत करना।

कृपया नए एकल पेंशन आवेदन प्ररूप 6-क, जिसे सेवानिवृत्त होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा भरा जाना अपेक्षित है, के लागू होने के संबंध में भारत के राजपत्र में दिनांक 16.07.2024 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.410 (ई) का संदर्भ ग्रहण करें। यह नया प्ररूप 6-क अधिसूचना की तारीख से 120 दिनों के पश्चात अर्थात 16.11.2024 से लागू होने वाला है।

2. तथापि, नया प्ररूप 6-क को भविष्य और ई-एचआरएमएस में समाविष्ट कर लिया गया है और दिनांक 15.10.2024 से यह सेवानिवृत्त होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लाइव हो रहा है।

3. अत: सेवानिवृत्त होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन(भविष्य/ई-एचआरएमएस) माध्यम से नया एकल पेंशन आवेदन प्ररूप 6-क भरें।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपरोक्त अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें सभी संबंधितों के संज्ञान में लाएं।

विशाल

(विशाल कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
3. सी&एजी, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली
4. सीजीए, व्यय विभाग, आईएनए, नई दिल्ली
5. एनआईसी को इस विभाग के वेबसाइट पर डालने हेतु।

फा. सं55/13/2023 .-P&PW(C)(Part1)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोक नायक भवन
खान मार्केट नई दिल्ली
दिनांक **15.10.2024**

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- Submission of Pension cases in Single Pension Application Form 6-A in respect of Central Government retiring officials through online mode (Bhavishya/e-HRMS)

Please refer to notification No. G.S.R. 410(E). dated 16.07.2024 in Gazette of India regarding introduction of new Single Pension Application Form 6-A that is required to be filled by the retiring Central Government employees. This new Form 6-A is scheduled to come into force after 120 days from the date of notification i.e. 16.11.2024.

2. However, the new Form 6-A has been incorporated in Bhavishya and e-HRMS and is going live for retiring central government employees w.e.f. 15.10.2024.

3. Thus, the retiring central government employees, henceforth, are requested to fill the new Single Pension Application Form 6-A through online mode (Bhavishya/e-HRMS).

4. All Ministries/Departments are requested to bring these instructions to the notice of all concerned for strict compliance.

(विशाल कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. All Ministries/Departments of Government of India.
2. Department of Expenditure, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.
3. C&AG, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
4. CGA, Department of Expenditure, INA, New Delhi.
5. NIC for posting on the website of this Department.

सं.-14/12/2023-पी&पीडब्ल्यू(सीपेन)-9012

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- सीपेनग्राम्स(CPENGRAMS) पोर्टल पर केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की शिकायतों का संवेदनशील, सुलभ और सार्थक निवारण करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश - संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को पेंशनर्स शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ बनाने के संबंध में, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 06.08.2021 और 23.08.2023 के कार्यालय ज्ञापनों का संदर्भ देने और यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि कैबिनेट सचिव के दिनांक 01.07.2024 के अर्धशासकीय पत्र संख्या 1/28/2/2024-कैब, द्वारा, 29 जून, 2024 को भारत सरकार के सचिवों के साथ वार्ता के दौरान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक संवेदनशील, सुलभ और सार्थक बनाने हेतु दिए गए निर्देशों को संसूचित किया गया, के अनुपालन में, इस विभाग ने केंद्रीकृत पेंशन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली(CPENGRAMS) की प्रक्रिया की समीक्षा की है।

2. तदनुसार, निम्नलिखित मुद्दों पर दिशानिर्देशों को, निम्नानुसार संशोधित किया गया है:-

क. शिकायत निवारण अधिकारियों(जीआरओ) की भूमिका और उत्तरदायित्वः-

(i) शिकायत का निवारण '*whole of the Government approach*' के अंतर्गत किया जाए। यदि शिकायत उस जीआरओ से संबंधित नहीं है, जिसके पास इसे भेजा गया है, तो वह इसे तत्काल संबंधित जीआरओ को अग्रेषित करेगा, यदि उसे सही मैपिंग पता है। अन्यथा, वह इसे अपने मंत्रालय/विभाग के नोडल लोक शिकायत अधिकारी को वापस कर देगा और नोडल अधिकारी शिकायत को संबंधित जीआरओ या डीओपीपीडब्ल्यू को अग्रेषित करेगा(यदि शिकायत उस मंत्रालय/विभाग से संबंधित नहीं है)। किसी भी मामले में, शिकायत को यह कहकर सरसरी तौर पर बंद नहीं किया जाए कि 'यह इस कार्यालय से संबंधित नहीं है'।

(ii) जब तक आवेदक को अंतिम परिणाम प्राप्त न हो जाए, तब तक कोई शिकायत बंद नहीं की जाए। चूंकि अधिकांश पेंशन शिकायतें आर्थिक प्रकृति की होती हैं, अतः शिकायत को बंद करते समय, दर्ज की गई अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) में, पोर्टल पर यूनिक ट्रांजेक्शन नंबर (यूटीआर) या संदर्भ संख्या भरी जाए। जो शिकायतें आर्थिक प्रकृति की नहीं हैं, उनके लिए पीपीओ/पत्र/ई-मेल सहित सुसंगत आदेश या दस्तावेज अपलोड किए जाएं।

ख. नोडल लोक शिकायत अधिकारियों की भूमिका और उत्तरदायित्वः-

(i) प्रत्येक नोडल पीजी अधिकारी पोर्टल पर पेंशन संबंधी लंबित शिकायतों की मासिक समीक्षा करेगा ताकि शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निवारण सुनिश्चित किया जा सके जैसाकि का.ज्ञा. के पैरा 2ग(ii) में उल्लिखित है। नोडल पीजी अधिकारी CPGRAMS पोर्टल (**https://pgportal.gov.in/ccfeedback/**) पर जाकर आवेदकों द्वारा दी गई खराब/औसत प्रतिक्रिया देख सकता है और अपेक्षित सुधारक उपाय कर सकता है।

(ii) नोडल पीजी अधिकारी शिकायतों की प्रवृत्ति का विश्लेषण करेगा और मूल कारणों की जांच करेगा। तदनुसार, शिकायतों को कम करने के लिए लोगों, नीति और प्रक्रियाओं से संबंधित उपचारी उपाय किए जा सकते हैं।

ग. **शिकायतों के निवारण के लिए समय-सीमा:-**

(i) पिछले कुछ समय में, शिकायत निवारण प्रक्रिया में किए गए सुधारों, जैसे डीओपीपीडब्ल्यू द्वारा सतत निगरानी, शिकायतों को संबंधित जीआरओ को ऑनलाइन भेजना, पेंशन शिकायत निवारण प्रक्रिया में तैनात जनशक्ति का क्षमता निर्माण किया जाना आदि के कारण पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण का औसत समय काफी कम हो गया है।

(ii) अतः सभी मंत्रालय/विभाग, तकनीक का प्रयोग करके और सभी जीआरओ का कौशल विकसित करके, 21 दिनों के भीतर पेंशनभोगियों की शिकायतों का निवारण करने का प्रयास करें। ऐसे मामले जिनमें शिकायत के निवारण में अधिक समय लगता है, वहां पोर्टल पर उसका कारण उपदर्शित करते हुए और शिकायत के निवारण की अपेक्षित समय-सीमा के साथ, एक अंतरिम उत्तर प्रस्तुत किया जाए।

घ. **अपील तंत्र:-**

(i) शिकायत के बंद होने पर, आवेदक को शिकायत के बंद होने के 30 दिनों के भीतर अपनी शिकायत के निवारण के विरुद्ध अपील करने का विकल्प प्रदान किया जाए।

(ii) अपील प्राधिकारी, अपील की अभिप्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील का निपटारा करेगा। सुसंगत दस्तावेज, यदि कोई हो, को संलग्न करते हुए, सकारण आदेश पारित किया जाए।

ङ. **फ़िज़िकल शिकायतों का निपटान :-**

मंत्रालय/विभाग के साथ फ़िज़िकल रूप से दर्ज की गई शिकायत आवेदनों को, इन शिकायतों की उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए CPENGRAMS पोर्टल पर अपलोड किया जाए। पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के लिए, CPENGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in/pension/Help.aspx) के होम पेज पर 'Help' शीर्ष के अंतर्गत दी गई विस्तृत प्रक्रिया का संदर्भ लिया जा सकता है।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

प्रमोद

(डॉ.प्रमोद कुमार)
निदेशक
दूरभाष सं. : 011 24654734

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी सचिव।
2. सभी मंत्रालयों/विभागों के नोडल अपील प्राधिकारी।
3. सभी मंत्रालयों/विभागों के नोडल लोक शिकायत अधिकारी।
4. एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दें।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. प्रधानमंत्री कार्यालय (ध्यानाकर्षण : श्री अमित खरे, प्रधानमंत्री के सलाहकार)
2. मंत्रिमंडल सचिव
3. सचिव, राष्ट्रपति सचिवालय
4. महासचिव, राज्यसभा सचिवालय
5. महासचिव, लोकसभा सचिवालय
6. सचिव(समन्वय और लोक शिकायत), मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रमोद

(डॉ.प्रमोद कुमार)
निदेशक
दूरभाष सं. : 011 24654734

F-No-14/12/2023-P&PW (CPEN)-9012
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 16th October, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषयः Comprehensive guidelines for sensitive, accessible and meaningful redressal of Central Government Pensioners' grievances on CPENGRAMS Portal - reg.

The undersigned is directed to refer to the Department of Pension and Pensioners' Welfare's OMs dated 06.08.2021 and 23.08.2023 regarding the strengthening of the Pensioners' grievance redressal mechanism and to say that in compliance of Cabinet Secretary's DO No. 1/28/2/2024- Cab. dated 01.07.2024, conveying the directions of Hon'ble Prime Minister during his interaction with the Secretaries to the Government of India on 29th June, 2024 to make grievance redressal system more sensitive, accessible and meaningful, this Department has reviewed the process of the Centralized Pension Grievances Redress and Monitoring System (CPENGRAMS).

2. Accordingly, the guidelines have been revised on following issues, as under:

A. Role and Responsibilities of Grievance Redressal Officers (GROs):

(i) Grievance shall be redressed under '*whole of the Government approach*'. If the grievance does not pertain to the GRO to whom it has been forwarded, he shall immediately forward the same to the concerned GRO, if he knows the correct mapping. Otherwise, he shall return it back to the Nodal Public Grievance Officer of his Ministry/Department and the Nodal Officer shall forward the grievance to concerned GRO or to the DOPPW (in case, the grievance does not pertain to that Ministry/Department). In no case, grievance shall be closed summarily by stating, '*it does not pertain to this Office*'.

(ii) No grievance shall be closed without final outcome accruing to the applicant. As most of the pension grievances are monetary in nature, therefore, in the Action Taken Report (ATR) filed at the time of closure of grievance, Unique Transaction Reference (UTR) number or Reference number should be filled in on the portal. For grievances which are not monetary in nature, relevant order(s) or document(s) including PPO/letter/e-mail should be uploaded.

B. Role and Responsibilities of Nodal Public Grievance Officers:

(i) Every Nodal PG Officer shall undertake a monthly review of Pension related grievances pending on the portal to ensure the qualitative redressal of grievances within the prescribed time limit as mentioned in para 2C(ii) of this OM. The Nodal PG officer may access the poor/average feedback of the applicants by accessing CPGRAMS Portal (https://pgportal.gov.in/ccfeedback/) and take necessary corrective measures.

(ii) The Nodal PG Officer shall analyze the trend of grievances and conduct a root cause analysis. Accordingly, remedial measures related to people, policy and procedures to reduce the incidence of grievances may be taken.

C. Timeline for the redressal of the grievances:

(i) Over the period, the average redressal time of the pension related grievances has reduced substantially due to the reforms brought in the grievance redressal process including constant monitoring by DOPPW, on-line movement of the grievances to the concerned GROs and the capacity building of manpower deployed in pension grievance redressal process.

(ii) Therefore, Ministries/ Departments should strive to redress the pensioners' grievances within 21 days with the employment of technological intervention and development of skill sets of the GROs. In the cases, where redressal of the grievance requires longer time, an interim reply may be furnished on the portal along with the reason for the same and the expected timeline for redressal of the grievance.

D. Appellate Mechanism:

(i) Upon the closure of the grievance, applicant is provided with the option to prefer an appeal against the redressal of his grievance within 30 days of closure of the grievance.

(ii) The Appellate Authority shall dispose of the appeal within 30 days of receipts of the appeal. A speaking order shall be passed, attaching relevant documents, if any.

E. Dealing with physical grievances :

The grievance applications filed in physical form with the Ministry/Department shall be uploaded on the CPENGRAMS portal to ensure proper monitoring of these grievances. For filing of grievances on the portal, the process as elaborated under the heading- 'Help' on the Home page of CPENGRAMS Portal (https://pgportal.gov.in/pension/Help.aspx) may be referred.

3. This issues with the approval of the competent authority.

प्रमोद

(Dr. Pramod Kumar)
Director
Tel: 011 24654734

To

1) All Secretaries to the Government of India,
2) Nodal Appellate authorities of all Ministries/Departments,
3) Nodal Public Grievance officers of all Ministries/Departments,
4) NIC, DOPPW for uploading on Department's website.

Copy for information to: -

1) Prime Minister's Office (Kind Attention: Shri Amit Khare, Advisor to Hon'ble Prime Minister),
2) Cabinet Secretary,
3) Secretary to the President Secretariat,
4) Secretary General, Rajya Sabha Secretariat,
5) Secretary General, Lok Sabha Secretariat,
6) Secretary (Coordination & PG), Cabinet Secretariat

प्रमोद

(Dr. Pramod Kumar)
Director

सं. 38/10(04)/2024-पी&पीडबल्यू(ए) (ई-10124)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110 003
दिनांक : 18.10.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन कवर किए गए केंद्र सरकार के सिविल सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अतिरिक्त पेंशन संस्वीकृत करने के लिए शर्तें- संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 44 के उपनियम 6 [तत्कालीन केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का नियम 49(2-ए)] के अनुसार, **सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु पूर्ण होने के बाद,** इस नियम के अधीन अनुज्ञेय पेंशन या अनुकंपा भत्ते के अलावा, सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी को निम्नानुसार अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता संदेय होगा :

पेंशनभोगी की आयु	अतिरिक्त पेंशन/अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता
80 वर्ष की आयु से लेकर 85 वर्ष से कम की आयु तक	मूल पेंशन/अनुकंपा भत्ते का 20%
85 वर्ष की आयु से लेकर 90 वर्ष से कम की आयु तक	मूल पेंशन/अनुकंपा भत्ते का 30%
90 वर्ष की आयु से लेकर 95 वर्ष से कम की आयु तक	मूल पेंशन/अनुकंपा भत्ते का 40%
95 वर्ष की आयु से लेकर 100 वर्ष से कम की आयु तक	मूल पेंशन/अनुकंपा भत्ते का 50%
100 वर्ष या इससे अधिक	मूल पेंशन/अनुकंपा भत्ते का 100%

2. अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता कैलेंडर मास, जिसमें यह देय होता है, के पहले दिन से संदेय होगा।

उदाहरण : यदि किसी पेंशनभोगी की जन्मतिथि 20 अगस्त, 1942 है, तो वह 1 अगस्त, 2022 से मूल पेंशन के बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन का पात्र होगा। यदि किसी पेंशनभोगी की जन्मतिथि 1 अगस्त, 1942 है, तो वह भी 1 अगस्त, 2022 से मूल पेंशन के बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन का पात्र होगा।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों और पेंशन संवितरण प्राधिकरणों/बैंकों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के उपरोक्त उपबंधों को अनुपालनार्थ, सभी संबंधितों के संज्ञान में लाएं।

मधु

(मधु मनकोटिया)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. : 24644637

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 38/10(04)/2024-P&PW(A) (e 10124)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 18.10.2024

कार्यालय ज्ञापन/**Office Memorandum**

विषय:**Conditions for grant of additional pension to the retired Central Government Civil Employees covered under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021– reg.**

The undersigned is directed to say that as per the provisions of Sub Rule 6 of Rule 44 of CCS(Pension) Rules 2021 [erstwhile Rule 49(2-A) of CCS(Pension) Rules 1972], **after completion of eighty years of age or above by a retired Government servant**, in addition to a pension or a compassionate allowance admissible under the rules, additional pension or additional compassionate allowance shall be payable to the retired Government servant in the following manner:

Age of pensioner	**Additional pension/additional compassionate allowance**
From 80 years to less than 85 years	20% of basic pension/compassionate allowance
From 85 years to less than 90 years	30% of basic pension/compassionate allowance
From 90 years to less than 95 years	40% of basic pension/compassionate allowance
From 95 years to less than 100 years	50% of basic pension/compassionate allowance
100 years or more	100% of basic pension/compassionate allowance

2. The additional pension or additional compassionate allowance shall be payable from first day of the calendar month in which it falls due. For example, a pensioner born on 20th August, 1942 shall be eligible for additional pension at the rate of twenty percent of the basic pension with effect from 1st August, 2022. A pensioner born on 1st August, 1942 shall also be eligible for additional pension at the rate of twenty percent of the basic pension with effect from 1st August, 2022.

3. All Ministries/Departments and Pension Disbursing Authorities/Banks are requested that the above provisions of Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of all concerned for compliance.

Madhu 18.10.24

(Madhu Mankotia)
Under Secretary to the Government of India
Tel: 24644637

To,

All the Ministries/Departments/Organizations (As per standard list)

सं. 38/10(04)/2024-पी&पीडब्ल्यू(ए) (ई-10124)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110 003
दिनांक : 18.10.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन प्राधिकृत किए जाने के पश्चात पेंशन का पुनरीक्षण-संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 66 के उपनियम 2 [तत्कालीन केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का नियम 70] के अनुसार, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 7 और 8 के उपबंधों के अध्यधीन, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 66 के **उप-नियम(1) के अधीन अंतिम निर्धारण या पुनरीक्षण के पश्चात् प्राधिकृत की गई पेंशन या कुटुंब पेंशन सरकारी कर्मचारी के अहितकर रूप में पुनरीक्षित नहीं की जाएगी किंतु ऐसा पुनरीक्षण बाद में पता चलने वाली किसी लिपिकीय भूल के कारण आवश्यक होने पर किया जा सकता है।** पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी के अहितकर रूप में, पेंशन या कुटुंब पेंशन का कोई भी पुनरीक्षण किए जाने का आदेश पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की सहमति के बिना नहीं किया जाएगा, यदि लिपिकीय भूल का पता पेंशन या कुटुंब पेंशन प्राधिकृत या संशोधित किए जाने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के बाद चलता है।

2. इसके अतिरिक्त, **यह प्रश्न कि क्या लिपिकीय त्रुटि के कारण पुनरीक्षण करना आवश्यक हो गया है या नहीं, इसका निर्णय प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा किया जाएगा।** उपनियम(2) के अधीन पेंशन या कुटुंब पेंशन के पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप, यदि यह पाया जाता है कि पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी को पेंशन या कुटुंब पेंशन का अधिक संदाय किया गया है **और यदि ऐसा अधिक संदाय पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा तथ्यों की किसी भी गलत व्याख्या के कारण नहीं हुआ है, तो प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग, व्यय विभाग के परामर्श से जांच करेगा कि इस तरह के अतिरिक्त संदाय की वसूली को अधित्याग किया जा सकता है या नहीं** और इस संबंध में सुसंगत नियमों और अनुदेशों के अनुसार उपयुक्त आदेश जारी करेगा। जहां प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग पेंशन या कुटुंब पेंशन के अधिक संदाय को अधित्याग नहीं करने का निर्णय लेता है, तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा संबंधित सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी या कुटुंब पेंशनभोगी को उसके द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर उसे पेंशन के अधिक संदाय का प्रतिदाय करने की मांग करते हुए एक नोटिस जारी किया जाएगा। यदि सरकारी कर्मचारी नोटिस का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो कार्यालयाध्यक्ष, लिखित आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे अधिक संदाय का भविष्य में पेंशन का कम संदाय करके एक या अधिक किश्तों में जो कार्यालयाध्यक्ष निर्दिष्ट करें, समायोजन किया जाए।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के उपरोक्त उपबंधों को अनुपालनार्थ, सभी संबंधितों के संज्ञान में लाएं।

मधु

(मधु मनकोटिया)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. : 24644637

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 38/10(04)/2024-P&PW(A) (e 10124)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 18.10.2024

कार्यालय ज्ञापन/**Office Memorandum**

विषय: **Revision of pension after authorisation under Central Civil Services (Pension) Rules 2021 – reg.**

The undersigned is directed to say that as per Sub Rule 2 of Rule 66 of CCS(Pension) Rules 2021 [erstwhile Rule 70 of CCS(Pension) Rules 1972], subject to provisions of Rule 7 and 8 of CCS(Pension) Rules 2021, **pension or family pension once authorised after final assessment or revised under Sub Rule 1 of Rule 66 of CCS(Pension) Rules 2021 shall not be revised to the disadvantage of the pensioner or family pensioner unless such revision becomes necessary on account of detection of a clerical error subsequently.** In case the clerical error is detected after a period of two years from the date of authorisation or revision of pension or family pension, no revision of pension to the disadvantage of the pensioner or family pensioner shall be ordered without the concurrence of Department of Pension and Pensioners' Welfare.

2. Further, **the question whether the revision has become necessary on account of a clerical error or not shall be decided by the administrative Ministry or Department**. If, consequent on revision of pension or family pension under sub-rule 2, an excess payment of pension or family pension is found to have been made to the pensioner or family pensioner **and if such excess payment is not on account of any misrepresentation of facts by the pensioner or family pensioner, the administrative Ministry or Department shall examine in consultation with the Department of Expenditure whether or not recovery of such excess payment can be waived off** and issue appropriate orders in accordance with the relevant rules and instructions in this regard. Where the administrative Ministry or Department decides not to waive off the excess payment of pension or family pension, the retired Government servant concerned or family pensioner shall be served with a notice by the Head of Office requiring him to refund the excess payment of pension within a period of two months from the date of receipt of notice by him. In case the Government servant fails to comply with the notice, the Head of Office shall, by order in writing, direct that such excess payment shall be adjusted in instalments by short payments of pension in future, in one or more instalments, as the Head of Office may direct.

3. All Ministries/Departments are requested that the above provisions of Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of all concerned for compliance.

18.10.24

(Madhu Mankotia)
Under Secretary to the Government of India
Tel: 24644637

To,

All the Ministries/Departments/Organizations (As per standard list)

11/15/2022-पी&पीडबल्यू(एच)-8363(I)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन,

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक : 24-10-2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : पति/पत्नी के नाम में परिवर्तन – पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की सलाह।

अधोहस्ताक्षरी को पति/पत्नी के नाम में परिवर्तन के संबंध में इस विभाग के दिनांक 6-10-2022 के का.ज्ञा.सं. 3(2)/2022-पी&पीडबल्यू(एच)-7942(प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है। दिनांक 6-10-2022 के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन में निहित सलाह निम्नानुसार है :

(i) केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 में सेवानिवृत्त होने के पश्चात सरकारी कर्मचारी या पति/पत्नी के पेंशन संदाय आदेश(पीपीओ) में नाम/उपनाम के परिवर्तन के लिए पृथक रूप से कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। पेंशन संदाय आदेश(पीपीओ) कर्मचारी की सेवा रिकॉर्ड/सेवा-पुस्तिका के आधार पर जारी किया जाता है और सेवा पुस्तिका के रखरखाव का कार्य कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित है।

(ii) इसके अतिरिक्त, निदेशक(पीडब्लू), पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की अध्यक्षता में आयोजित सीपेनग्राम्स में लंबित शिकायतों की अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को सूचित किया गया कि वे कुटुंब पेंशनभोगी के नाम में परिवर्तन के लिए भी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12 मार्च, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 190016/187-स्था. का अनुसरण कर सकते हैं। यदि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को ऐसा प्रतीत होता है कि पीपीओ में नाम में परिवर्तन करने के लिए दिए गए आवेदन के समर्थन में शिकायतकर्ता कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कुछ विसंगति है, तो वे उनके साथ संपर्क करके इसका समाधान कर सकते हैं और यह सुनिश्चित करें कि नाम में परिवर्तन करने के लिए किया गया अनुरोध कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12 मार्च, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 190016/187-स्था. की शर्तों को पूरा करता है।

2. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपरोक्त उपबंधों का अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(सुभाष चंदर)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 24644631

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

सं.3(2)/2022-पी&पीडब्ल्यू(एच)-7942
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

8वीं मंजिल 'बी' विंग, जनपथ भवन
जनपथ, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 6 अक्टूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: स्वर्गीय श्री मन मोहन चंदर, पूर्व सहायक के पेंशन संदाय आदेश(पीपीओ) में पत्नी श्रीमती सिमरो देवी के नाम में परिवर्तन- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की सलाह लेने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 8/7/2022 के यूओ सं. ए-38012/1/2021-प्रशा-II और इस विभाग के दिनांक 17/5/2022 के आईडी नोट सं. 3(2)/2022-पी&पीडब्ल्यू-7942 का संदर्भ देने का और यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि इस विभाग की सलाह पहले ही उपरोक्त संदर्भित दिनांक 17/5/2022 के आईडी नोट द्वारा जारी की जा चुकी है।

2. इस विभाग में मामले की पुन: जांच की गई है। यह सूचित किया जाता है कि: -

(i) केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 में सेवानिवृत्ति के पश्चात सरकारी कर्मचारी या पति/पत्नी के पीपीओ में नाम/कुलनाम का परिवर्तन करने के लिए कोई पृथक प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। पीपीओ कर्मचारी के सेवा अभिलेख/सेवा पुस्तिका के आधार पर जारी किया जाता है और सेवा पुस्तिका के रखरखाव का संबंध डीओपीटी से है।

(ii) इसके अलावा, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के निदेशक(पीडब्ल्यू) की अध्यक्षता में आयोजित सीपेनग्राम्स में लंबित शिकायतों की अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को सूचित किया गया कि वे कुटुंब पेंशनभोगी के नाम में परिवर्तन के लिए भी डीओपीटी के दिनांक 12 मार्च, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 190016/187-स्था. का अनुसरण करेI यदि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा पीपीओ में नाम परिवर्तन करने के लिए दिए गए आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों में कुछ विसंगति है, तो वे उनके साथ संपर्क करके इसका समाधान कर सकते हैं और यह सुनिश्चित करें कि नाम परिवर्तन करने के लिए किया गया अनुरोध डीओपीटी के दिनांक 12 मार्च, 1987 के का.ज्ञा. सं. 190016/187-स्था. की शर्तों को पूरा करता है।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता हैI

(अशोक कुमार सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
फोन: 23310108

सेवा में,
अवर सचिव(प्रशा. .II)
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
खुर्शीद लाल भवन, जनपथ
नई दिल्ली

11/15/2022-P&PW(H)-8363 (I)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110 003
Date: 24 -10-2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Change of name of spouse- Advice of Department of Pension and Pensioners' Welfare.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 3(2)/2022-P&PW(H)-7942 dated 6-10-2022 regarding change of name of spouse (Copy attached). The advice contained in the above-mentioned OM dated 06-10-2022 are as under:

(i) There is no separate procedure prescribed in the CCS (Pension) Rules, 2021 or CCS (Pension) Rules, 1972 for change of name/surname in the PPO of Government employees or spouse after retirement. The PPO is issued on the basis of service record/service book of the employee and the maintenance of service book is concerned with DoPT.

(ii) Further, this matter was discussed in the inter-ministerial Review meeting of pending grievances in CPENGRAMS, held under the chairmanship of Director(PW), Department of Pension & Pensioners' Welfare. Ministry of Statistics & Programme Implementation were informed that they may follow DoPT's OM No. 190016/187-Estt. dated 12th March, 1987 for change of name of family pensioner also. In case the Ministry of Statistics &e Programme Implementation feels that there is some discrepancy in the documents submitted by the complainant family pensioner in support of her application for change of name in the PPO, they may sort it out with her directly and ensure that the request for change of name fulfils the conditions of DoPT's OM No. 190016/187-Est. dated 12th March, 1987.

2. All Ministries/Departments are requested that the above provisions may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder for compliance.

(Subhash Chander)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele. No. 24644631

To
All Ministries/Departments/Organizations (As per standard list)

सं. 3(2)/2022-P&PW(II)-7942
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

8वीं मंजिल 'बी' विंग, जनपथ भवन
जनपथ, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 6 अक्टूबर, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Change of name of spouse Smt. Simro Devi in PPO of Late Shri Man Mohan Chander, Ex-Asstt. seeking advice of Department of Pension & Pensioners' Welfare- reg.

The undersigned is directed to refer to the Ministry of Statistics & Programme Implementation's UO No. A-38012/1/2021-Ad.II dated 8/7/2022 and this Department's ID Note No. 3(2)/2022-P&PW-7942 dated 17/5/2022 on the subject mentioned above and to say that the advice of this Department has already been issued vide ID Note dated 17/5/2022 as referred to above.

2. The matter has been re-examined in this Department. It is stated that: -

(i) There is no separate procedure prescribed in the CCS (Pension) Rules, 2021 or CCS (Pension) Rules, 1972 for change of name/surname in the PPO of Government employees or spouse after retirement. The PPO is issued on the basis of service record/service book of the employee and the maintenance of service book is concerned with DoPT.

(ii) Further, this matter was discussed in the inter-ministerial Review meeting of pending grievances in CPENGRAMS, held under the chairmanship of Director(PW), Department of Pension & Pensioners' Welfare. Ministry of Statistics & Programme Implementation were informed that they may follow DoPT's OM No. 190016/187-Estt. dated 12th March, 1987 for change of name of family pensioner also. In case the Ministry of Statistics & Programme Implementation feels that there is some discrepancy in the documents submitted by the complainant family pensioner in support of her application for change of name in the PPO, they may sort it out with her directly and ensure that the request for change of name fulfils the conditions of DoPT's OM No. 190016/187-Estt. dated 12th March, 1987.

3. This issues with the approval of the competent authority.

(अशोक कुमार सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
फोन: 23310108

To

The Under Secretary (Ad.II)
M/o Statistics & Programme Implementation
Khurshid Lal Bhawan, Janpath
New Delhi.

11/15/2022-पी&पीडब्ल्यू(एच)-8363(III)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन,

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक : 24-10-2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: ऐसा सरकारी कर्मचारी, जो किसी शारीरिक या मानसिक कमजोरी के कारण पेंशन प्ररूपों को प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है, की बाबत पेंशन/कुटुंब पेंशन प्राधिकृत करने के मामलों पर कार्रवाई- संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 28-10-2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/15/2022-पी&पीडब्ल्यू(एच)-8363(2) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसके द्वारा ऐसे सरकारी कर्मचारी की बाबत पेंशन दावा प्राप्त करने से संबंधित अनुदेश जारी किए गए थे, जो केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 57(3) के अनुसार किसी शारीरिक या मानसिक कमजोरी के कारण पेंशन प्ररूपों को प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है और इस नियमावली के नियम 80(5) के साथ पठित नियम 59(2) के अनुसार इन प्ररूपों पर आगे कार्रवाई करने की प्रक्रिया, सभी मंत्रालयों/विभागों को सूचनार्थ और अपेक्षित अनुपालनार्थ संसूचित की गई थी।

2. यह देखा गया है कि मंत्रालयों/विभागों द्वारा उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन नहीं किया जा रहा है और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों/कुटुंब के सदस्यों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

3. अत: सभी मंत्रालयों/विभागों से पुन: अनुरोध है कि उपरोक्त उपबंधों का अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(सुभाष चंदर)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 24644631

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

11/15/2022-P&PW(H)-8363 (III)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110 003
Date: 24-10-2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Processing of cases for authorization of pension/family pension in respect of a Government servant who is not in a position to submit the pension forms on account of any bodily or mental infirmity-reg.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 11/15/2022-P&PW(H)-8363 (2) dated 28-10-2022 vide which instructions relating to obtaining pension claim, in respect of a Government servant, who is not in a position to submit the pension forms on account of any bodily or mental infirmity, in accordance with Rule 57(3) of CCS (Pension) Rules, 2021 and further processing of these Forms in accordance with Rule 59(2) read with Rule 80(5) of these Rules were communicated to Ministries/Departments for information and necessary compliance.

2. It is noticed that the above provisions are not being followed strictly by Ministries/Departments and grievances are being received from retired Government servants/family members.

3. All Ministries/Departments are, therefore, again requested that the above provisions may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder for compliance.

(Subhash Chander)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele. No. 24644631

To
All Ministries/Departments/Organizations (As per standard list)

सं.3/7/2024-पी&पीडबल्यू(एफ) (10139)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग
***

तीसरा तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक : 25.10. 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सेवानिवृत होने वाले सरकारी कर्मचारी को जीपीएफ का अंतिम भुगतान समय पर करने से संबंधित स्पष्टीकरण-संबंधी।

हाल ही में विभाग को ऐसे कई संदर्भ प्राप्त हुए हैं, जिनमें सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को जीपीएफ के विलंबित भुगतान पर ब्याज दिए जाने के संबंध में पूछा गया है, कि सेवानिवृत्ति के बाद जीपीएफ पर ब्याज देय है या नहीं।

2. इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि इस विभाग के दिनांक 16 जनवरी, 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3/3/2016-पी&पीडबल्यू(एफ) **(प्रति संलग्न)** द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को जीपीएफ का अंतिम भुगतान समय पर करने से संबंधित विस्तृत स्पष्टीकरण सभी मंत्रालयों/विभागों को प्रेषित किए गए थे।

3. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियमावली, 1960 के नियम 34 में स्पष्ट प्रावधान है कि जब अंशदाता के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि देय हो जाती है, तो भुगतान करने का दायित्व लेखा अधिकारी का होगा।

4. यह भी उल्लेखनीय है कि सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी की व्यक्तिगत संपत्ति है। उनके खिलाफ लंबित किसी भी अनुशासनिक मामले या लगाए गए जुर्माने का सामान्य भविष्य निधि राशि के संवितरण पर **कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।** सामान्य भविष्य निधि नियमावली के नियम 11(4) के अनुसार, यदि सेवानिवृत्ति पर जीपीएफ की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो सेवानिवृत्ति के बाद की अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि की बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान करना अपेक्षित है।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नक : यथोक्त

25.10.2024
(दिलीप कुमारि साहू)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 011-24641627

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन(मानक सूची के अनुसार)

सं. 3/3/2016-पी एंड पी डब्ल्यू (एफ)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)
डेस्क-एफ

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक 16 जनवरी, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को समय पर जीपीएफ का अंतिम भुगतान करने से संबंधित स्पष्टीकरण - के संबंध में।

'भविष्य' के क्रियान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए मंत्रालयों/ विभागों के साथ आयोजित समीक्षा बैठकों में यह देखा गया है कि कई मामलों में सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी/ अधिकारी को सेवानिवृत्ति पर सामान्य भविष्य निधि का अंतिम भुगतान तत्काल नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण विलंबित अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करना पड़ता है।

2. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियमावली के नियम 34 में स्पष्ट प्रावधान है कि जब अंशदाता के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि देय हो जाती है, तो भुगतान करने का दायित्व लेखा अधिकारी का होगा। भुगतान करने का प्राधिकार, अधिवर्षिता की आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम एक महीने पहले जारी किया जाएगा, किंतु वह सेवानिवृत्ति की तारीख को देय होगा। यह उल्लिखित है कि सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी द्वारा सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता को इस विभाग के दिनांक 15.11.1996 की अधिसूचना सं. 20(12)/94-पी एंड पी डब्ल्यू (ई) द्वारा समाप्त कर दिया गया है और दिनांक 23.11.1996 के एस.ओ.सं. 3228 के तहत अधिसूचित किया गया है।

3. सामान्य भविष्य निधि नियमावली के नियम 11 (4) के अनुसार, यदि सेवानिवृत्ति पर सामान्य भविष्य निधि की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो सेवानिवृत्ति के बाद की अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि की बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। जहां सामान्यत: सेवानिवृत्ति के बाद छह महीने की अवधि के लिए ब्याज की अनुमति वेतन एवं लेखा अधिकारी (पीएओ) द्वारा दी जा सकती है, वहीं छह महीने से अधिक के ब्याज के भुगतान के लिए लेखा कार्यालय के प्रमुख और एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए लेखा नियंत्रक/वित्तीय सलाहाकार के अनुमोदन की आवश्यकता है।

4. सामान्य भविष्य निधि का समय से भुगतान सुनिश्चित करने और सेवानिवृत्ति के बाद ब्याज के अनावश्यक बोझ से बचने के लिए अब यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी मामलों में जहां कि सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1960 के नियम 11 (4) के अनुसार सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज का भुगतान अनिवार्य हो जाता है, उन मामलों को प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे सभी मामलों में सामान्य भविष्य निधि के भुगतान में देरी के लिए सभी स्तरों पर जिम्मेदार पाए जाने वाले सरकारी सेवक/सेवकों के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव जिम्मेदारी तय करेंगे।

5. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से उनके दिनांक 27 सितंबर, 2016 के आईडी सं. 187/E.V/2016 के तहत जारी किया जाता है।

(सीमा गुप्ता)
निदेशक

सेवा में,

1. सभी मंत्रालय/विभाग (मानक डाक सूची के अनुसार)
2. राष्ट्रपति सचिवालय
3. संघ लोक सेवा आयोग
4. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, डीडीयू मार्ग, नई दिल्ली।

फा. न. 3/7/2024-P&PW(F) (10139)
भारत सरकार Government of India
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय Ministry of Personnel, PG & Pensions
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग Department of Pension & Pensioners' Welfare
***

लोक नायक भवन 3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
खान मार्केट नई दिल्ली Khan Market, New Delhi-110 003
दिनांक Dated: 25.10.2024

OFFICE MEMORANDUM

विषय : **Clarification regarding timely payment of GPF final payment to the retiring Government servant - regarding**

Recently few references regarding interest on delayed payment of GPF to the retired Government have been received for clarification whether interest is payable on GPF after retirement.

2. In this connection, it may be stated that detailed clarifications regarding timely payment of GPF final payment to the retiring Government servant were furnished to all Ministries/Departments vide this Departments' Office Memorandum No.3/3/2016-P&PW(F) dated 16th January, 2017 **(copy enclosed)**.

3. The per Rule 34 of General Provident Fund (Central Service) Rules, 1960 clearly provides that when the amount standing at the credit of a subscriber in the General Provident Fund becomes payable, it shall be the duty of the Accounts Officer to make payment.

4. It is also added the amount deposited in General Provident Fund Account is solely the asset of the individual Government servant. Any disciplinary case pending or penalty imposed against him **does not have any impact** on the disbursement of the GPF amount. As per Rule 11(4) of GPF Rules, in case the GPF balance is not paid on retirement, interest on the GPF balance is required to be paid for the period beyond the date of retirement also.

5. This issues with the approval of competent authority.

Encl – As above.

Dalip 25.10.2024
(दिलीप कुमार साहू) / (Dilip Kumar Sahu)
अवर सचिव, भारत सरकार / Under Secretary to the Govt. of India
Tele. No. 011-24641627

To,
All the Ministries / Departments / organisations (As per Standard List)

No 3/3/2016-P&PW (F)
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare
Desk-F

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan,
Khan Market, New Delhi-110003
Dated 16th January 2017.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Clarification regarding timely payment of GPF final payment to the retiring Government servant – regarding

During review meetings held to evaluate the status of implementation of Bhavishya with Ministries/Departments, it was observed that GPF final payment in many cases is not being paid to the retiring Government servants immediately on retirement from service leading to payment of interest for the delayed period.

2. Rule 34 of General Provident Fund (Central Service) Rules clearly provides that when the amount standing at the credit of a subscriber in the General Provident Fund becomes payable, it shall be the duty of the Accounts Officer to make payment. The authority for the amount payable is to be issued at least a month before the date of superannuation, but payable on the date of superannuation. It may be noted that the requirement of submitting a written application by the retiring Govt. servant for GPF final payment has been dispensed with vide this Department's Notification No. 20(12)/94-P&PW (E) dated 15.11.1996 and notified under S.O No.3228 dated 23.11.1996.

3. As per Rule 11(4) of GPF Rules, in case the GPF balance is not paid on retirement, interest on the GPF balance is required to be paid for the period beyond the date of retirement also. While interest for the first six months beyond retirement can be allowed by the PAO in the normal course, approval of Head of the accounts office is required for payment of interest beyond six months and that of Controller of Account/Financial Adviser beyond a period of one year

4. To ensure timely final payment of GPF, and to avoid unnecessary financial burden on account of interest beyond retirement, it has now been decided that every case, in which payment of interest on General Provident Fund becomes necessary in terms of Rules 11(4) of GPF Rules, 1960, shall be put up for consideration to the Secretary of the Administrative Ministry/Department. In all such cases the Secretary of the Administrative Ministry/ Department will fix responsibility at all levels to take appropriate action against the Government servant or servants who are found responsible for the delay in the payment of General Provident Fund.

5. This issues with the concurrence of the Ministry of Finance, Department of Expenditure, vide their ID NO.187/E.V/2016 dated 27th September 2016.

6. Hindi version will follow.

(Seema Gupta)
Director

To,

1. All Ministries/Departments (As per Standard Mailing list)
2. President Secretariat
3. UPSC
4. Office of C&AG, DDU Marg, New Delhi.

सं. 57/03/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8361(7)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट

नई दिल्ली, दिनांक :25 अक्तूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : अर्हक सेवा का आवधिक सत्यापन और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव स्तर पर मॉनिटरिंग।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 30 के उपनियम(1) के अनुसार सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवा के अठारह वर्ष पूरे करने पर और अधिवर्षिता की तारीख से पूर्व पांच वर्ष की सेवा बाकी रहने पर, कार्यालयाध्यक्ष, लेखा अधिकारी से परामर्श करके तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार, ऐसे सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई सेवा का सत्यापन करेगा, अर्हक सेवा का अवधारण करेगा और इस प्रकार अवधारित सेवा की अर्हक अवधि को फॉर्मेट-4 में उसे संसूचित करेगा।

2. इस नियम में आगे उपबंधित है कि ऐसे सरकारी कर्मचारियों के ब्यौरे, जिन्हें उपनियम(1) के अधीन विगत कैलेंडर वर्ष के दौरान अर्हक सेवा का प्रमाणपत्र जारी किया जाना अपेक्षित था, ऐसे सरकारी कर्मचारियों के ब्यौरे, जिन्हें उक्त अवधि के दौरान वस्तुतः उक्त प्रमाणपत्र जारी किया गया, और शेष मामलों में उक्त प्रमाणपत्र जारी नहीं करने के कारणों को दर्शाने वाली एक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष की 31 जनवरी तक प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग के सचिव को, सौंपी जाएगी।

3. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बाबत केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उपदान का संदाय) नियमावली, 2021 के नियम 21 में अर्हक सेवा के सत्यापन के समान उपबंध किए गए हैं।

4. यद्यपि इन सांविधिक उपबंधों को मंत्रालयों/विभागों को बार-बार संसूचित किया जा रहा है, फिर भी यह देखा गया है कि उपरोक्त नियमों के अधीन अपेक्षित अर्हक सेवा के बारे में सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सूचित नहीं किया जाता है।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से पुनः अनुरोध है कि इन उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें कार्यालय अध्यक्षों के संज्ञान में लाएं।

(एस. चक्रवर्ती)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन

(मानक सूची के अनुसार)

No. - 57/03/2022-P&PW(B)/8361(7)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 25th October, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Periodic verification of qualifying service and monitoring at the level of Secretary of the administrative Ministry/Department.

The undersigned is directed to say that Sub-rule (1) of Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, provides that on a Government servant completed eighteen years of service and on his being left with five years of service before the date of superannuation, the Head of Office in consultation with Accounts Officer, shall, in accordance with the rules for the time being in force, verify the service rendered by such a Government servant, determine the qualifying service and communicate to him, in Format 4, the period of qualifying service so determined.

2. The rule further provides that a report shall be submitted to the Secretary of the Administrative Ministry/Department by 31st January of each year, giving the details of the Government servants who were required to be issued a certificate of qualifying service during the previous calendar year under sub-rule (1), the details of the Government servants who have actually been issued the said certificate during the said period and the reasons for not issuing the said certificate in the remaining cases.

3. Similar provisions of verification of qualifying service have been made in rule 21 of the CCS (Payment of Gratuity under NPS) Rules, 2021 in respect to Central Government employees covered under the National Pension System.

4. Even though these statutory provisions are being repeatedly communicated to Ministries / Departments, it is noticed that the qualifying service is not invariably communicated to the Government servant required under the above rules.

5. All Ministries/Departments are, therefore, again requested to bring these provisions to the notice of Head of Offices for strict compliance.

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Govt. of India

To
All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

सं. 57/03/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8361(8)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट

नई दिल्ली, दिनांक :25अक्तूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 की प्रयोज्यता – संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को प्रशासित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 के नियम 2 में यह उपबंधित है कि ये नियम किन पर लागू होंगे।

3. इस विभाग को ऐसे कई संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें, इन नियमों और इन नियमों के नियम 10 के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों से विकल्प प्राप्त करने के लिए दिनांक 26.10.2022 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी किए गए अनुदेशों को, स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों पर लागू किए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

4. अत: यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 और दिनांक 26.10.2022 का उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं। तथापि, चूंकि स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के सेवा मामले इस विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, अत: उपरोक्त अनुदेशों सहित इस विभाग द्वारा जारी किए गए सभी नियम/अनुदेश स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों पर स्वत: लागू नहीं होते हैं।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 की प्रयोज्यता के संबंध में उपरोक्त स्थिति सूचनार्थ और अपेक्षित अनुपालनार्थ, सभी संबंधितों के संज्ञान में लाएं।

(एस. चक्रवर्ती)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन

(मानक सूची के अनुसार)

No. - 57/03/2022-P&PW(B)/8361(8)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 25th October, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Applicability of the CCS(Implementation of National Pension System) Rules, 2021 - reg.

The undersigned is directed to say that the Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 to govern the service related matters of Central Government civil employees covered under the National Pension System.

2. Rule 2 of the Central Civil Services (Implementation of NPS) Rules, 2021 provides to whom these rules are applicable.

3. References have been received seeking clarification on applicability of these rules and instructions issued vide OM of even number dated 26.10.2022 for obtaining option from Central Government employees covered under NPS in accordance with rule 10 of these rules to the employees of autonomous bodies.

4. It is, therefore, clarified that the CCS (Implementation of NPS) Rules, 2021 and aforesaid OM dated 26.10.2022 are applicable to all Central Government employees covered under the National Pension System. However, as the service matters of employees of autonomous bodies do not come under the jurisdiction of this Department, therefore, rules / instructions issued by this Department including above instructions are not suo-moto applicable to the employees of autonomous bodies.

5. All Ministries/Departments are requested that the above position regarding applicability of CCS(INPS) Rules, 2021 may be brought to the notice of all concerned for information and necessary compliance.

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Govt. of India

To
All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

सं. 57/03/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8361(9)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट

नई दिल्ली, दिनांक :25अक्तूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों से केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 के नियम 10 के अधीन विकल्प- संबंधी

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 का नियम 10 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के प्रत्येक कर्मचारी द्वारा सेवा के दौरान, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने अथवा अशक्तता या निःशक्तता के आधार पर सेवामुक्ति होने की दशा में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त करने के विकल्प का प्रयोग करने से संबंधित है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 के नियम 10 के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किया गया प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, सरकारी सेवा में कार्यग्रहण करने के समय उसकी मृत्यु होने अथवा निःशक्तता के आधार पर सेवामुक्ति या अशक्तता होने पर सेवानिवृत्ति होने की दशा में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली के अधीन हितलाभ पाने के लिए प्ररूप 1 में विकल्प का प्रयोग करेगा। ऐसे सरकारी कर्मचारी जो पहले से ही सरकारी सेवा में हैं और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए हैं, वे भी ऐसे विकल्प का प्रयोग करेंगे।

3. प्रत्येक सरकारी कर्मचारी प्ररूप 1 में विकल्प सहित प्ररूप 2 में कुटुंब के ब्यौरों को भी कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा।

4. इसके अतिरिक्त, इस विभाग के दिनांक 26.10.2022 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया था कि वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों से उपरोक्त सूचना प्राप्त करें।

5. यद्यपि इन सांविधिक उपबंधों को मंत्रालयों/विभागों को बार-बार संसूचित किया जा रहा है, फिर भी यह देखा गया है कि केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के प्ररूप-1 में विकल्प और प्ररूप-2 में कुटुंब के ब्यौरे, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों से प्राप्त नहीं किए गए हैं।

6. अत: सभी मंत्रालयों/विभागों से पुन: अनुरोध है कि इन उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें कार्यालय अध्यक्षों के संज्ञान में लाएं।

(एस. चक्रवर्ती)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन

(मानक सूची के अनुसार)

No. – 57/03/2022-P&PW(B)/8361(9)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare
***

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 25th October, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Options under rule 10 of the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 from Central Government employees covered under the National Pension System -reg.

The undersigned is directed to say that Rule 10 of the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 provides for option to be exercised by every Central Government employee covered under National Pension System for availing benefits under National Pension System or old pension scheme in the event of death of Government servant during service or his discharge on the ground of invalidation or disablement.

2. In accordance with rule 10 of the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021, every Government servant covered under the National Pension System shall, at the time of joining Government service, exercise an option in Form 1 for availing benefits under the National Pension System or under the Central Civil Service (Pension) Rules or the Central Civil Service (Extraordinary Pension) Rules in the event of his death or boarding out on account of disablement or retirement on invalidation. Government servants, who are already in Government service and are covered by the National Pension System, shall also exercise such option.

3. Every Government servant shall, along with the option in Form 1, also submit details of family in Form 2 to the Head of Office.

4. Further, this Department vide OM of even number dated 26.10.2022 had requested all Ministries / Departments to obtain above information from all Central Government employees covered under NPS.

5. Even though these statutory provisions are being repeatedly communicated to Ministries / Departments, it is noticed that the options Form-1 and details of family in Form - 2 of the CCS(Implementation of NPS) Rules, 2021 have not been obtained from all Central Government employees covered under NPS.

6. All Ministries/Departments are, therefore, again requested to bring these provisions to the notice of Head of Offices for strict compliance.

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Govt. of India

To
All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

11/15/2022-पी&पीडबल्यू(एच)-8363(IV)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन,

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक : 25-10-2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सरकारी कर्मचारी के अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने पर पेंशन और उपदान प्राधिकृत करने की प्रक्रिया में विभिन्न कार्रवाईयों को पूरा करने की समय-सीमा।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 28-10-2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/15/2022-पी&पीडब्लू (एच)-8363 (1) का संदर्भ देने और यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और उपदान प्राधिकृत करने की प्रक्रिया में विभिन्न कार्यालयों/प्राधिकरणों द्वारा की जाने वाली विभिन्न कार्रवाईयां सम्मिलित हैं। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 में इनमें से प्रत्येक कार्रवाई को पूरा करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। इन कार्रवाई में निम्न सम्मिलित हैं :

क. नियम 54 के अनुसार, प्रत्येक विभागाध्यक्ष(एचओडी) को प्रत्येक मास के 15वें दिन तक ऐसे सभी सरकारी कर्मचारियों की सूची तैयार करनी अपेक्षित होती है, जो उस तारीख से अगले पंद्रह मास के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

ख. नियम 55 के अनुसार, सरकारी कर्मचारी से उसकी सेवानिवृत्ति की पूर्वानुमानित तारीख से कम से कम एक वर्ष पूर्व सरकारी आवास के संबंध में संपूर्ण ब्यौरे प्राप्त किया जाना अपेक्षित है और सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से आठ मास पूर्व की अवधि की बाबत 'बेबाकी प्रमाणपत्र' जारी किए जाने के लिए इन ब्यौरों को संपदा निदेशालय को भेजा जाए।

ग. नियम 56 और 57 में, सेवानिवृत्ति से पूर्व एक वर्ष की अवधि के दौरान अधिवर्षिता पर पेंशन के मामले पर कार्रवाई संबंधी प्रारंभिक कार्य के लिए विस्तृत प्रक्रिया दी गई है। इसमें सेवा का सत्यापन, सेवा पुस्तिका के लोपों की पूर्ति, त्रुटियों या कमियों को दूर करना सम्मिलित है।

घ. नियम 59 और 60 के अनुसार, कार्यालय अध्यक्ष, सरकारी कर्मचारी से पेंशन प्ररूप प्राप्त होने की तारीख से दो माह के भीतर पेंशन मामले को फॉर्मेट 10 में सहपत्र सहित वेतन और लेखा कार्यालय को प्रेषित करेगा।

ङ. पेंशन पत्र प्राप्त होने पर लेखा अधिकारी अपेक्षित जांच पड़ताल करेगा और अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से दो मास पूर्व पेंशन संदाय आदेश जारी करेगा।

च. लेखा अधिकारी, पेंशन संदाय आदेश की एक प्रति केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय को, कार्यालय अध्यक्ष से पेंशन पत्रों के प्राप्त होने की तारीख से दो मास के भीतर अग्रेषित करेगा। सीपीएओ एक विशेष प्राधिकार मुहर जारी करेगा और पेंशन संदाय आदेश प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर पेंशन संदाय आदेश की प्रति के साथ पेंशन संवितरण प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा। तत्पश्चात, पेंशन संवितरण प्राधिकारी जिस तारीख से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को पेंशन देय हो, उस तारीख से उसे संवितरित करने के लिए कार्रवाई करेगा।

2. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपरोक्त उपबंधों का अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(सुभाष चंदर)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 24644631

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

11/15/2022-P&PW(H)-8363 (IV)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110 003
Date: 25-10-2024

OFFICE MEMORAN DUM

Subject: Timelines for completion of various activities in the process of authorization of pension and gratuity on retirement on superannuation of a government servant.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 11/15/2022-P&PW(H)-8363 (1) dated 28-10-2022 on the above subject and to say that the process of authorization of pension and gratuity involves various activities to be performed by different offices/authorities. Timelines have been prescribed in the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021 for completion of each of these activities. These activities include:

A. As per Rule 54, every Head of Department (HoD) is required to have a list prepared by 15th day of every month, of all Government servants, who are due to retired within the next fifteen months of that date.

B. As per Rule 55, Complete details regarding the Government accommodation are required to be obtained from the Government servant at least one year before the anticipated date of retirement and send these details Directorate of Estates for issuing a 'No demand certificate' in respect of the period preceding eighth months of the retirement of the Government servant.

C. Elaborate procedure has been laid down in Rules 56 and 57 for preparatory work for processing of pension case on superannuation during the period of one year before retirement. This includes verification of service, making good the omissions, imperfections or deficiencies in the service book.

D. As per Rule 59 & 60, the HOO is required to send the pension case to the Pay & Accounts Office with a covering letter in Format 10 within two months from the date of receipt of pension forms from the Government servant.

E. On receipt of pension case the Accounts Officer shall apply the requisite checks and issue the pension payment order not later than two month in advance of the date of retirement of a Government servant on attaining the age of superannuation.

F. The Accounts Officer shall forward a copy of the Pension Payment Order to the Central Pension Accounting Office, within two months from the date of receipt of pension papers from the HOO. The CPAO shall issue the Special Seal Authority and forward the same to the Pension Disbursing Authority along with the copy of the Pension Payment Order within twenty one days from the date of receipt of the Pension Payment Order. The Pension Disbursing Authority shall thereafter take action to disburse the pension to the retired Government servant on the date on which it becomes due.

2. All Ministries/Departments are, therefore, requested that the above provisions may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder for compliance.

(Subhash Chander)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele. No. 24644631

To

All Ministries/Departments/Organizations (As per standard list)

सं.1/15/2024-पी&पीडब्ल्यू(एफ)/9809

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक : 25 अक्तूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा पेंशन संबंधी नियमों का कार्यान्वयन तथा सेवानिवृत्ति हितलाभों का समय पर जारी किया जाना।

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने हाल ही में केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 2023 जारी किए हैं। ये नियम ऐसे सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिन पर केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 लागू होती है। असाधारण पेंशन (ईओपी) नियम के अंतर्गत नि:शक्तता पेंशन/असाधारण कुटुंब पेंशन ऐसी पेंशन है, जो किसी सरकारी कर्मचारी की सरकारी सेवा के कारण, सेवा के दौरान नि:शक्तता/मृत्यु (या नि:शक्तता का बढ़ना/मृत्यु) होने पर सरकारी कर्मचारी/उसके कुटुंब को देय होती है।

2. उपरोक्त नियम प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। हाल ही में, ऐसे ही एक मामले में अदालत ने सरकारी सेवा के दौरान अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मारे गए कुछ सरकारी कर्मचारियों के पात्र कुटुंब के सदस्यों को असाधारण पेंशन (ईओपी) देने का आदेश दिया। अदालत की ओर से उन्हें असाधारण पेंशन (ईओपी) नियमों के अधीन कुटुंब पेंशन देने का आदेश दिया गया था। तथापि, संबंधित विभाग ने यह विचार किया कि चूंकि ये कर्मचारी असाधारण पेंशन (ईओपी) नियमों के अंतर्गत कवर किए जाते हैं, जिन्हें पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) द्वारा अधिसूचित/जारी किया गया है, इसलिए, आदेश को पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) द्वारा लागू किया जाना चाहिए। तत्पश्चात, मामले को उस विभाग को स्पष्ट किया गया और उसी विभाग द्वारा इसे लागू किया गया। तथापि, प्रक्रिया लंबी हो गई, जिसके परिणामस्वरूप भुगतान आदि करने में विलंब हुआ।

3. उपरोक्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए, यह दोहराया जाता है कि भारत सरकार में कार्य आवंटन नियमों के उपबंधों के अनुसार, पेंशन/पेंशन हितलाभ की मंजूरी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/संगठन का एकमात्र अधिदेश और उत्तरदायित्व है। अत: संबंधित संगठन द्वारा यथाशीघ्र नियमानुसार असाधारण पेंशन (ईओपी) सहित सभी सेवानिवृत्ति हितलाभ जारी किया जाना अपेक्षित होता है। यह उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 65 के अनुसार पेंशन, उपदान और कुटुंब पेंशन के विलंबित संदाय पर ब्याज देय है।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त का सख्ती से अनुपालन करें और अपने अधीन सभी प्राधिकारियों को ऐसे मामलों में यथाशीघ्र भुगतान की प्रक्रिया करने और उसे जारी करने के लिए जागरूक करें।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

25.10.2024

(दिलीप कुमार साहू)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 011-24641627

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

No. 1/15/2024-P&PW(F)/9809

भारत सरकार/Government of India

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय /Ministry of Personnel, PG & Pensions

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग/ Department of Pension & Pensioners' Welfare

***

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 25th October, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Implementation of pension related rules and timely release of retirement benefits by the administrative Ministries / Departments.

Department of Pension and Pensioners' Welfare (DoPPW) has recently issued Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, 2023. These rules apply to the Government servant to whom the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 apply. Extraordinary Pension (EOP) Rules are in the form of Disability pension/extraordinary family pension that may be paid to the Government servant/his family if disablement/death (or the aggravation of disablement/death) of the Government servant, during his service, are attributed to the Government service.

2. The above rules are implemented by the administrative Ministry / Department / Organisation. Recently, in one such case court ordered for grant of EOP to the eligible family members of few Government servants who were killed in action during Govt duty. There was order from the court to grant them family pension under EOP Rules. However, the concerned Department took a view that since these employees are covered under EOP Rules which have been notified / issued by DoPPW, hence, the order should be implemented by DoPPW. The matter was subsequently clarified to the that Department and the same was implemented by that Department only. However, the process got prolonged resulting delay in payment etc.

3. In view of the above experience, it is reiterated that as per provisions of the Allocation of Business Rules in the Govt of India, sanction of pension / pensionary benefits is the sole mandate and responsibility of the administrative Ministry / Department / organisaiton. Therefore, the concerned organization is required to release all the retirement benefits including EOP as per rules at the earliest possible. It is added that delay in payment of pension, gratuity and family pension attracts payment of interest in terms of Rule 65 of CCS (Pension) Rules, 2021.

4. All Ministries/Departments are requested to observe the above strictly and sensitise all authorities under them to process and release payment in such cases at the earliest possible.

5. This issues with the approval of competent authority.

Dilip
25.10.2024

(दिलीप कुमार साहू) / (Dilip Kumar Sahu)
अवर सचिव, भारत सरकार / Under Secretary to the Govt.of India
Tele. No. 011-24641627

To,
All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list)

सं. 42/02/2024-पी&पीडब्ल्यू(डी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 30 अक्तूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की मंजूरी - संशोधित दर दिनांक 01.07.2024 से लागू।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 13.03.2024 के कार्यालय ज्ञापन सं. 42/02/2024-पी&पीडब्ल्यू(डी) का संदर्भ देने और यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति जी ने यह निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को अनुज्ञेय महंगाई राहत को, **दिनांक 01 जुलाई, 2024** से मूल पेंशन/कुटुंब पेंशन (जिसमें अतिरिक्त पेंशन/कुटुंब पेंशन भी है) के **50% की मौजूदा दर से बढ़ाकर 53%** कर दिया जाए।

2. महंगाई राहत की ये दरें निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू होंगी:

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में आमेलित केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगी, जिनकी बाबत 15 वर्ष की संराशीकरण अवधि के समाप्त होने के पश्चात पूर्ण पेंशन की बहाली हेतु इस विभाग के दिनांक 23.06.2017 के का.ज्ञा. सं.4/34/2002-पी&पीडब्ल्यू(डी)खंड-II द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, सहित सिविल केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी।

(ii) सशस्त्र बलों के पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी और सिविल पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी जिनके लिए रक्षा सेवा प्राक्कलनों से अदायगी की जाती है।

(iii) अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी।

(iv) रेलवे पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी।

(v) ऐसे पेंशनभोगी जो अनंतिम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

(vi) बर्मा सिविल पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी और बर्मा/पाकिस्तान से विस्थापित पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी, जिनकी बाबत इस विभाग के दिनांक 11.09.2017 के का.ज्ञा. सं.23/3/2008-पी&पीडब्ल्यू(बी)द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।

3. महंगाई राहत के संदाय में जहां रूपये का कोई भाग हो, वहां उसे अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाए।

4. महंगाई राहत के बकाया का संदाय पेंशन/कुटुंब पेंशन के संवितरण की तारीख अक्तूबर, 2024 से पहले नहीं किया जाए।

5. नियोजित कुटुंब पेंशनभोगियों और पुनर्नियोजित केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगियों की बाबत महंगाई राहत की अनुज्ञा को अभिशासित करने वाले अन्य उपबंध, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 52 में निहित उपबंधों और इस विभाग के समय-समय पर यथासंशोधित, दिनांक 02.07.1999 के का.ज्ञा.सं.45/73/97-पी&पीडब्ल्यू(जी) के अनुसार विनियमित होंगे। जहां कोई पेंशनभोगी एक से अधिक पेंशन आहरित कर रहा है, वहां महंगाई राहत को विनियमित करने वाले उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

6. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के मामले में, आवश्यक आदेश, न्याय विभाग द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे।

7. यह पेंशन संवितरण प्राधिकरणों, जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक आदि भी हैं, का दायित्व होगा कि वे प्रत्येक व्यक्ति के मामले में संदेय महंगाई राहत की मात्रा की गणना करें।

8. महालेखाकार कार्यालय और प्राधिकृत पेंशन संवितरण बैंकों से अनुरोध है कि वे सभी महालेखाकारों को संबोधित भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के दिनांक 23.04.1981 के पत्र सं 528 टीए, II/34-80-II और भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके सहायक बैंकों और सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को संबोधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 21 मई, 1981 के परिपत्र संख्या जीएएनबी सं 2958 जीए 64 (ii) (सीजीएल)/ 81 को ध्यान में रखते हुए, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक से किसी अन्य अनुदेश की प्रतीक्षा किए बिना, उपर्युक्त अनुदेशों के आधार पर, पेंशनभोगियों और कुटुंब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत के संदाय का प्रबंध करें।

9. भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में कार्यरत कार्मिकों के संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन यथाअधिदेशित, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करने के पश्चात जारी किए जाते हैं।

10. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से उनके दिनांक 21.10.2024 के कार्यालय ज्ञापन सं 1/5/2024-ई-II(बी) के अनुसरण में और सी&एजी के दिनांक 30.10.2024 के आईडी नोट सं. भारत के नि.म.ले.प.यू.ओ. संख्या-339 स्टाफ हक(नियम)/एआर/02-2020 के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

30/11/2024

(ध्रुवज्योति सेनगुप्ता)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि।(मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)
3. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव और प्रशासक।
4. सभी प्राधिकृत पेंशन संवितरण बैंकों के सीएमडी/सीपीपीसी।
5. भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई) को सूचनार्थ।

No. 42/02/2024-P&PW (D)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003
Date: - 30th October, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Grant of Dearness Relief to Central Government pensioners/family pensioners – Revised rate effective from 01.07.2024-reg

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 42/02/2024-P&PW(D) dated 13.03.2024 on the subject mentioned above and to state that the President is pleased to decide that the Dearness Relief admissible to Central Government Pensioners/Family Pensioners shall be enhanced from the existing rate of **50% to 53%** of the basic pension/family pension (including additional pension/family pension) **w.e.f 01st July, 2024**.

2. These rates of DR will be applicable to the following categories:-

(i) Civilian Central Government Pensioners/Family Pensioners including Central Govt. absorbee pensioners in PSU/Autonomous Bodies in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 4/34/2002-P&PW(D)Vol.II dated 23.06.2017 for restoration of full pension after expiry of commutation period of 15 years.

(ii) The Armed Forces Pensioners/Family Pensioners and Civilian Pensioners/Family Pensioners paid out of the Defence Service Estimates.

(iii) All India Service Pensioners/Family Pensioners.

(iv) Railway Pensioners/Family Pensioners.

(v) Pensioners who are in receipt of provisional pension

(vi) The Burma Civilian Pensioners/Family Pensioners and Pensioners/families of displaced Government Pensioners from Burma/ Pakistan, in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 23/3/2008-P&PW(B) dated 11.09.2017.

3. The payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.

4. The payment of arrears of Dearness Relief shall not be made before the date of disbursement of pension/family pension of October, 2024.

Contd/....

5. Other provisions governing grant of DR in respect of employed family pensioners and re-employed Central Government Pensioners will be regulated in accordance with the provisions contained in Rule 52 of CCS (Pension) Rules, 2021 and this Department's OM No. 45/73/97-P&PW (G) dated 2.7.1999 as amended from time to time. The provisions relating to regulation of DR where a pensioner is in receipt of more than one pension will remain unchanged.

6. In the case of retired Judges of the Supreme Court and High Courts, necessary orders will be issued by the Department of Justice separately.

7. It will be the responsibility of the pension disbursing authorities, including the nationalized banks, etc. to calculate the quantum of DR payable in each individual case.

8. The offices of Accountant General and authorised Pension Disbursing Banks are requested to arrange payment of Dearness Relief to Pensioners/Family Pensioners on the basis of these instructions without waiting for any further instructions from the Comptroller and Auditor General of India and the Reserve Bank of India in view of letter No. 528- TA, II/34-80-II dated 23/04/1981 of the Comptroller and Auditor General of India addressed to all Accountant Generals and Reserve Bank of India Circular No. GANB No. 2958/GA-64 (ii) (CGL)/81 dated the 21 st May, 1981 addressed to State Bank of India and its subsidiaries and all Nationalised Banks.

9. In so far as the pensioners/family pensioners of Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

10. This issues in accordance with the Ministry of Finance, Department of Expenditure's OM No. 1/5/2024-E-II(B) dated 21.10.2024 and approval of C&AG vide ID Note No. भारत के नि.म.ले.प.यू.ओ.सख्या-339 स्टाफ हक (नियम)/AR/02-2020) dated 30.10.2024.

Hindi version will follow.

30/10/2024

(Dhrubajyoti Sengupta)
Joint Secretary to the Government of India

1. All Ministries/Departments of the Government of India
2. C&AG of India, UPSC, etc. as per standard endorsement list.
3. Chief Secretaries and AGs of all States/UTs.
4. CMDs/CPPCs of all authorised Pension Disbursing Banks
5. Reserve Bank of India (RBI) for Information.

11/15/2022-पी&पीडबल्यू(एच)-8363(II)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन,

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक : 30-10-2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केंद्र सरकार के पेंशनभोगी के कुटुंब के ब्यौरे से पुत्री का नाम हटाने पर स्पष्टीकरण।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 50(15) के अनुसार जैसे ही सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवा में प्रविष्ट होता है, वह अपने कुटुंब के ब्यौरे प्ररूप 4 में कार्यालय अध्यक्ष को देगा, जिसमें पति/पत्नी, सभी बच्चों, माता-पिता और नि:शक्त सहोदरों(कुटुंब पेंशन के लिए पात्र हो या न हो) से संबंधित सभी सुसंगत ब्यौरे सम्मिलित होंगे। इस नियम में आगे उपबंधित है कि सरकारी कर्मचारी, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने से पूर्व, पेंशन पत्रों के साथ प्ररूप 4 में कुटुंब के अद्यतित ब्यौरे प्रस्तुत करेगा।

3. इस विभाग को ऐसे कई संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें सरकारी कर्मचारी की सेवाननिवृत्ति के पश्चात कुटुंब के सदस्यों के ब्यौरों में से पुत्री का नाम हटाने के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

4. इस विभाग के दिनांक 07-10-2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3(2)/2022- पी&पीडबल्यू(एच)-7942 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी को कुटुंब के सभी सदस्यों के ब्यौरे प्रस्तुत करने होंगे, चाहे वे कुटुंब पेंशन के लिए पात्र हो या न हो। निर्धारित प्रोफार्मा में सरकारी कर्मचारी द्वारा सूचित किए जाने पर ही पुत्री को सरकारी कर्मचारी के कुटुंब का सदस्य माना जाता है। अत: पुत्री का नाम कुटुंब के सदस्यों के ब्यौरे में सम्मिलित रहेगा। मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगियों की मृत्यु होने के पश्चात ही कुटुंब पेंशन की पात्रता निर्धारित की जाएगी।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपरोक्त उपबंधों का अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(सुभाष चंदर)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 24644631

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन(मानक सूची के अनुसार)

11/15/2022-P&PW(H)-8363 (II)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110 003
Date: 30-10-2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Clarification on deletion of name of daughter from the family details of a Central Government pensioner.

The undersigned is directed to say that the Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.

2. Rule 50 (15) of the CCS (Pension) Rules, 2021 provides that as soon as a Government servant enters Government service, he shall give details of his family in Form 4 to the Head of Office, which shall include all relevant details relating to spouse, all children, parents and disabled siblings (whether or not eligible for family pension). This Rule further provides that the Government servant shall submit the up to date details of the family in Form 4 again along with the pension papers, before retirement from Government service.

3. References were received seeking clarification in respect of deletion of name of the daughter from the details of family members after retirement of the Government servant.

4. It has been clarified by this Department vide OM No. 3(2)/2022-P&PW(H)-7942 dated 07-10-2022 that the Government servant/pensioner shall submit details of all member of family whether or not eligible for family pension. The daughter is deemed to be a member of the family of Government servant as and when intimated by the Government servant in the prescribed proforma. Hence, the name of the daughter shall remain included in the details of family members. The eligibility for family pension would be decided after demise of pensioner/family pensioners in accordance with the existing rules.

5. All Ministries/Departments are requested that the above provisions may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder for compliance.

30-10-2024

(Subhash Chander)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele. No. 24644631

To

All Ministries/Departments/Organizations (As per standard list)

सं.38/05(25)/2024-पी&पीडब्ल्यू(ए)(9633)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोक नायक भवन

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक : 15.07.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को न्यायिक मामलों के संदर्भ भेजने हेतु नीति – अनुदेश – संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 07.10.2015 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/70/14-पी&पीडबल्यू(ए) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जो न्यायालय के आदेशों के कार्यान्वयन या अन्यथा ऐसे सभी मामलों में इस विभाग के साथ परामर्श करने के संबंध में हैं, जिनमें पेंशन से संबंधित कोई नीतिगत मुद्दा सम्मिलित है।

2. पेंशन संबंधी मामलों का नोडल विभाग होने के कारण पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, लगभग सभी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण(कैट)/उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायिक मामलों में, संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ या तो मुख्य पक्ष या प्रोफार्मा पक्ष के रूप में पक्षकार बनाया जाता है।

3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.02.2015 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 43011/9/2014-स्था.डी और दिनांक 16.06.2016 के अ.शा. पत्र संख्या 1/50/3/2016-कैब के निर्देशानुसार, न्यायिक मामले में सरकार की ओर से बचाव करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का है। तथापि, यदि मामले से सुसंगत नियमों या अनुदेशों की व्याख्या करने या लागू किए जाने पर किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो संबद्ध मंत्रालय/विभाग नोडल विभाग से परामर्श कर सकता है, जिसके प्रयोजनार्थ न्यायालय के समक्ष एकीकृत रूख लिया जाए और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा सरकार की ओर से एक साझा प्रतिउत्तर दाखिल किया जाए। किसी भी परिस्थिति में मुकदमे को इतना लंबा नहीं चलने दिया जाए कि इसके परिणामस्वरूप अवमानना की कार्यवाहियां हो।

4. मौजूदा नीति के अधीन, इस विभाग को ऐसे मामलों में अंतर-मंत्रालयी संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं, जहां एसएलपी मामले दाखिल किए जाने हैं। तथापि, यह देखा गया है कि माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण(कैट) और उच्च न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में एसएलपी का ग्रहण न्यूनतम है, क्योंकि तथ्य/नीति के मुद्दों को पूर्व में संबोधित किया जा चुका है। अत: न्यायालयों के समक्ष भारत संघ के हितों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालयों के समक्ष अभिवचन में सरकारी नीति/नियमों को प्रस्तुत करने की गुणवत्ता में सुधार करने की तत्काल आवश्यकता है।

जारी....पृ/2

5. अतः, यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी मामले, जिनमें मंत्रालय/विभाग केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमों/नीति से संबंधित मुद्दों को उच्च न्यायालयों के समक्ष ले जाना चाहते हों, उन्हें समयबद्ध रीति से प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के विचारों सहित पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को संदर्भित किया जाए और इस विभाग से प्राप्त टिप्पणियों/सुझाव, यदि कोई हों, को प्रमुख पेंशन नीतिगत मुद्दों से जुड़े मामलों में माननीय उच्च न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तुतीकरण में सम्मिलित किया जाए।

6. प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग अपने प्रस्ताव को संदर्भित करते समय मामले से संबंधित सभी तथ्यों को एक स्व-निहित नोट में सदैव दर्शाएं। इस नोट में याचिकाकर्ता/आवेदक द्वारा मांगी गई राहत, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की पूर्व सलाह/राय, न्यायालय/केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण(कैट) के समक्ष विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्तुतीकरण, निर्णय पर सरकारी वकील की राय, विधि कार्य विभाग और व्यय विभाग/कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की राय, यदि कोई हो, भी सम्मिलित की जाए। **सभी संदर्भ, मामले पर अपने विचारों सहित तथा प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव की मंजूरी के साथ, इस विभाग को पहले ही भेजे जाएं।**

7. उपरोक्त अनुदेशों को सभी संबंधितों के संज्ञान में लाया जाए ताकि उनका सख्ती से अनुपालन हो सके। ये अनुदेश व्यय विभाग के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

8. इसे इस विभाग के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(ध्रुवज्योति सेनगुप्ता)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 24625540
ई-मेल : js-doppw@nic.in

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

i. सचिव, व्यय विभाग
ii. सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
iii. सचिव, विधि कार्य विभाग
iv. पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी

No.38/05(25)/2024-P&PW(A)(9633)

भारत सरकारGovernment of India

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय Ministry of Personnel, PG & Pensions

पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग Department of Pension & Pensioners' Welfare

लोक नायक भवन 3rd Floor, Lok Nayak Bhawan

खान मार्केट नई दिल्ली Khan Market, New Delhi-110 003

दिनांक Dated: 15.07.2024

कार्यालय ज्ञापन/Office Memorandum

विषय: Policy for references of Court Cases to Department of Pension and Pensioners' Welfare - Instructions - reg.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No.38/70/14-P&PW(A) dated 07.10.2015 regarding consultation with this Department in all cases for implementation or otherwise of the court orders, where any policy issue relating to pension matters is involved.

2. The Department of Pension and Pensioners' Welfare, being nodal Department on pension matters, is impleaded along with the concerned administrative Ministries/Departments, either as main party or proforma party in almost all CAT/High Court/Supreme Court cases.

3. As per the instructions of DoPT vide OM No. 43011/9/2014-Estt.D dated 13.02.2015 and DO letter No. 1/50/3/2016-Cab dated 16th June 2016, the primary responsibility for defending the court case on behalf of the Government lies with the administrative Ministry/ Department concerned. If, however, any clarification is required on the interpretation or application of the rules or instructions relevant to the case, the concerned Ministry/ Department may consult the nodal Department, for that purpose a unified stand should be taken before the court of law and a common counter reply should be filed on behalf of the Government by the concerned administrative Ministry/ Department. In no case should the litigation be allowed to prolong to the extent that it results in contempt proceedings.

4. Under the extant policy, this Department is receiving Inter- Ministerial references in matters where SLP cases are to be filed. However, it has been observed that admission for filing SLP in concurrent judgments of Hon'ble CATs and High Courts have been minimal, as issues of facts/policy have already been addressed. Therefore, there is a pressing need to improve the quality of presenting Govt policy/rules in pleadings before the High Courts for safeguarding the interest of the UOI before the Courts of Law.

Contd....p/2

5. Hence, it is decided that all matters where Ministries/Departments seek to approach High Courts in CCS (Pension) Rules/Policy related issues, be referred to Department of Pension and Pensioners' Welfare alongwith the views of the administrative Ministry/ Department in a timely manner and comments/opinion of this Department received, if any, may be incorporated in the submissions made before Hon'ble High Courts in the matters involving major pension policy issues.

6. The administrative Ministry/Department while referring the proposal should invariably indicate all facts pertaining to the case in a Self Contained Note. The note should also include the relief sought by the petitioner/applicant, earlier advice/opinion of DoPPW, submission made by the Department before the Court/CAT, opinion of the Government Counsel on the judgment, opinion of D/o Legal Affairs and D/o Expenditure/DoPT, if any. **All the references should be made to this Department alongwith views in the matter and with the approval of the Secretary of the Administrative Ministry/Department well in advance.**

7. The above instructions may be brought to the notice of all concerned for strict compliance. These instructions are issued in consultation with Department of Expenditure.

8. यह इस विभाग के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

15/7/2024

(Dhrubajyoti Sengupta)
Joint Secretary to the Government of India
Tel. No 24625540
E mail: js-doppw@nic.in

To

The Secretaries of all Ministries/Departments of the Government of India

Copy for information to :

i. The Secretary, Department of Expenditure
ii. The Secretary, Department Personnel and Training
iii. The Secretary, D/o Legal Affairs
iv. All officers in the DoPPW

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग
DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE

पता - तीसरा तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली - 110003
Address - 3rd Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003
www.pensionersportal.gov.in